व्यपार चिह्न नियम 2002 का प्रकाशन नीतियों का निम्नलिखित प्रारंभ केन्द्रीय सरकार, व्यपार चिह्न अधिनियम 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा(१) और उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की उपधारा (१) की संशोधन करके उसकी वक्तव्यों की जानकारी के लिए जिन्हें उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और उस सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारंभ उस तारीख से, जिसके इन अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की पत्रियाँ जमात को उपलब्ध कर दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात दिवार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव यदि कोई हो, अवक सचिव भारत सरकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली-110011 को ई-मेल द्वारा pahlipalka@nic.in पर भेज सकेंगे;

ऐसे किसी आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारंभ नियम
भाग 1
अध्याय - 1
(१) संशोधन नाम और प्रारंभ: इन नियमों का संशोधन नाम व्यपार चिह्न नियम, 2015 है।
(२) तो राजपत्र भी अंतिम प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्ति होगी।
(२) परिशोधण: (१) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "अधिनियम" से व्यापार वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 47) अभिलेख है:

(ख) "अभिलेख" से अधिनियम की धारा 145 के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिलेख है;

(ग) "किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन" के अनुसार या सेवाओं के लिए वह व्यापार चिह्न जो उसमें अन्तर्विष्ट है;

(घ) "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समाप्ति कार्यालय" से नियम 4 में व्यावहारिक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समाप्ति कार्यालय अभिलेख है;

(ङ) "अधिनियम का सुनिश्चित कार्यालय" से सूचना प्रदायक की अधिनियम, 2000 में यथा पर भारत "अक्सर हस्ताक्षर" के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का अभिलेख अभिलेख है;

(च) "वर्गीय फीस" से किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए विभिन्न फीस अभिलेख है;

(छ) "कलेक्चर देश" से धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित कोई देश या देशों का समूह या देशों के अंदर सरकारी संगठन अभिलेख है;

(ज) "कलेक्चर आवेदन" से धारा 154 के आधार पर बनाए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अभिलेख है;

(झ) "विभाजित आवेदन" से अभिलेख है जो किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18 (2) के अधीन किए गए आवेदन के विभाजन के लिए कोई अनुरोध अंतर्विष्ट करने वाला आवेदन है;

(ञ) "विभाजित फीस" से प्रथम अनुसूची का प्रविष्टि संख्या 62 के समान विभिन्न फीस अभिलेख है;

(ट) "प्रकरण" से दिवसीय या तृतीय अनुसूची में दिया गया प्रकरण अभिलेख है;

(ठ) "फाइल की समाकृति" से कागजपत्र के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रदर्शित योग्य खाता या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न की समाकृति अभिलेख है और इसमें हिडिटाइप्ड स्क्रीन में दिया गया प्रदर्शित भी शामिल है;

(ट्विन्स) "जर्नल" से महानियतक, एक्रोट अभिलेख में व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार चिह्न जर्नल अभिलेख है;

(ट्विन्स) "अभिलेख तरीका" से यह तरीका अभिलेख है जिसके ये नियम प्रस्तुत होते हैं;

(ण) अधिनियम के प्रारूप के ठीक पूर्व विवरण में तथा प्रणव वर्तु चिह्न अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियम अभिलेख है;

(त) "विषय" से यथास्पदित किसी व्यापार चिह्न या समानांतर चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विषय है;

(थ) "भारत में कार्यालय का सुनिश्चित स्थान" से नियम 3 में यथा विभाजित भारत में कार्यालय का सुनिश्चित स्थान अभिलेख है;

(द) "प्रकटित करना" से व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित करना अथवा महानियतक,
एकत्र अभिकर्ता और व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अभियुक्त है;
(६) "रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता" से यह व्यापार चिह्न अभिकर्ता अभियुक्त है जिसका नाम नियम १४८ के अंतर्गत रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में वास्तव में प्रबन्धित है;
(७) "नवीकरण" से स्थानों किसी व्यापार चिह्न या किसी प्रसारणीकरण व्यापार चिह्न या समूह के चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अभियुक्त है और उसके अंतर्गत है;
(८) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभियुक्त हैं;
(९) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभियुक्त है;
(१०) "विविधिदी" से उस माल या सेवाओं का अभियुक्त है जिनके संबंध में व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है या किए जाने की प्रवत्थिति की जाती है;
(११) यह सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रमुनाल हैं और परिवर्तन नहीं हैं किच्छु अधिनियम में या माल का भीमसूचक उपदेश (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, १९९९ (१९९९ का ४८), प्रतिलिपि यथाधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) में परवर्तित नहीं, वैसे अर्थ होने जो कि उन अधिनियमों में कल्याण: उनके नहीं हैं।
(२) इन नियमों में, अन्यथा उपदेशक विचार, किसी धारा के प्रति निर्देश अधिनियम में उस धारा के प्रति निर्देश है, किसी नियम के प्रति निर्देश उन नियमों में उस नियम के प्रति निर्देश है, किसी अनुसूची के प्रति निर्देश इन नियमों की उस अनुसूची के प्रति निर्देश है और किसी प्रयोग के प्रति निर्देश यथास्पदति, इन नियमों की दिवसीय या तृतीय अनुसूची में वर्णित उस प्रयोग के प्रति निर्देश है।

3. भारत में कारबाह का मुख्य स्थान—भारत में कारबाह के मुख्य स्थान से निम्नलिखित अभियुक्त है—
(i) जहाँ कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न से संबंधित माल या सेवाओं का कारबाह करता है वहाँ—
(क) यदि कारबाह भारत में केवल एक ही स्थान में किया जाता है, तो वह स्थान,
(ख) यदि कारबाह भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है तो वह स्थान,
जिसका वह व्यक्ति भारत में कारबाह के मुख्य स्थान के रूप में उल्लिखित करें;
(ii) जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यापार चिह्न से संबंधित माल या सेवाओं का कारबाह नहीं करता है, वहाँ—
(क) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबाह केवल एक स्थान में कर रहा है, तो वह स्थान,
(ख) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबाह एक से अधिक स्थानों में कर रहा है, तो वह स्थान,
जिसका वह भारत में कारबाह के मुख्य स्थान के रूप में उल्लिखित करें; और
(iii) जहाँ कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबाह नहीं करता है किच्छु उसका भारत में निवास
स्थान है, वहां भारत में ऐसा निवास स्थान।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का सम्पूर्ण कार्यालय - धारा 18 के अंतर्गत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 21 के पदाधिकार के सूचना देने या धारा 47 के पदाधिकार के लिए या धारा 57 के अंतर्गत किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उससे परिवर्तन करने के लिए या अधिनियम या नियमों के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदन करने के प्रयोजनों के लिए "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का सम्पूर्ण कार्यालय" -

(क) अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर -

(i) ऐसी तारीख को रजिस्ट्री में यथाप्रक्रिया व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र धारी का भारत में कार्यालय का मुख्य स्थान स्थित है;

(ii) यहां रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र धारी के भारत में कार्यालय के मुख्य स्थान के बारे में रजिस्ट्री में कोई प्रविष्टि नहीं है, तो ऐसी तारीख को रजिस्ट्री में यथाप्रक्रिया भारत में तामिल के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

(iii) संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र धारियों के मामले में उस स्वतंत्र धारी का भारत में कार्यालय का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम ऐसी तारीख को भारत में ऐसे कार्यालय का स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्ट्री में सबसे पहले प्रविष्ट होता है;

(iv) जहां संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र धारियों में से किसी को भी भारत में मुख्य स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्ट्री में नहीं दिखाया जाता है, तो ऐसी तारीख को रजिस्ट्री में यथाप्रक्रिया संयुक्त स्वतंत्र धारियों के भारत में तामिल के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

(v) यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र धारी का या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की दशा में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वतंत्र धारियों में से किसी का भारत में कार्यालय का कोई मुख्य स्थान रजिस्ट्री में प्रविष्ट ही नहीं है और रजिस्ट्री में भारत में तामिल के लिए कोई पते नहीं दिखा गया है, तो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय का वह स्थान जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था, स्थित है; और

(ख) उस व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण कोई आवेदन अधिपूर्वी तारीख को लक्षित है या अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात किया गया है व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का वह कार्यालय जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर -

(i) आवेदक के आवेदन में प्रकट किए गए रूप में आवेदक का भारत में कार्यालय का मुख्य स्थान या संयुक्त आवेदकों की दशा में, उस आवेदक का भारत में कार्यालय का मुख्य स्थान
स्थित है जिसका नाम कार्यालय का ऐसा स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में सबसे पहले उल्लिखित है;

(अ) जहां प्रयास स्थिति, न तो आवेदन का और न संयुक्त आवेदकों में से किसी का भारत में कार्यालय का मुख्य स्थान है वहां आवेदन में, वहा विनिर्देश भारत में तामिल के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है।

5. कार्यालय के मुख्य स्थान में या तामिल के लिए पते में परिवर्तन के कारण समृद्धित कार्यालय की अधिकारिता में परिवर्तन न होना—किसी ऐसे परिवर्तन से जो—

(1) अधिसूचित तारीख को रजिस्ट्रर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में किसी रजिस्ट्रीपुरूष स्वतंत्रतारी के या संयुक्त रजिस्ट्रीपुरूष स्वतंत्रतारी के से किसी के भारत में कार्यालय के मुख्य स्थानमें या भारत में तामिल के लिए पते में, उस तारीख के पश्चातवर्ती किया गया है या प्रभावी किया गया है, या

(2) किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लंबित है या उस तारीख को अवधारणा उसके पत्ताने किया गया है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के या रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों में से किसी के भारत में कार्यालय के मुख्य स्थान में या भारत में तामिल के लिए पते में, यथास्थिति, उस तारीख को या ऐसा आवेदन मानिए करने की तारीख को किया गया या प्रभावी किया गया है, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समृद्धित कार्यालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. रजिस्ट्री में समृद्धित कार्यालय की प्रविष्टि— अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात रजिस्ट्री में किए गए प्रत्येक व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्री रजिस्ट्री में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समृद्धित कार्यालय की प्रविष्टि कराएगा और रजिस्ट्री इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा।

7. लंबित आवेदन और कार्यवाहियों का व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समृद्धित कार्यालय को हस्तांतरित करना— व्यापार चिह्न के संबंध में अधिसूचित तारीख को रजिस्ट्रर के समय लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही की बाबत वह समझा जाएगा कि वह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समृद्धित कार्यालय को हस्तांतरित करती है।

8. दस्तावेजों को छोड़ना, आदि— अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन लम्बित है, अधिनियम या नियमों द्वारा प्रतिबंधित या अपेक्षित सभी आवेदन रजिस्ट्री के समृद्धित कार्यालय में किए जाएंगे, सूचनाओं की तामिल वहां की जाएगी, विवरण या अन्य दस्तावेज वहां दिए वा भेजे जाएंगे, या फीस का संदाय वहां किया जाएगा।
परम्परागत रजिस्ट्रार जर्नल में अदिशुचित जारी कर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन के अनुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन के किसी अन्य कार्यालय में दाखिल करने की अनुमति देते हैं।

9. सूचनाओं आदि का जारी किया जाना— अधिनियम या नियमों के अंतिम किसी आवेदन, विषय या कार्यालय के संबंध में सूचना अथवा अदशुचता रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाती है।

10. फीस— (1) अधिनियम और नियमों के अंतिम आवेदन, विषय या रजिस्ट्रेशन, नवीकरण, त्वरित परीक्षा या रिपोर्ट या किसी अन्य विषय के संबंध में संदर्भ जाने वाली फीस, जिन्हें इसमें इसके परिचालन निदेशन फीस कहा गया है, वे होगी जो कि प्रथम अनुसूची में विनिमय हैं।

(2) जहां किसी विषय के संबंध में नियमों के अंतिम फीस संदर्भ जाने अपेक्षित है, वहाँ उससे संबंधित रस्सा या आवेदन या पाठ्यक्रम या विविध जानकारी के साथ विकसित फीस होगी।

(3) फीस नकद दी जा सकती है या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन को संबंधित मानकांक रवाना से या अनुशंसित बैंक द्वारा बैंक राष्ट्र द्वारा या अन्य बैंक या बैंकस्वींक द्वारा उस स्थान पर, जहां व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन का समर्पित कार्यालय अवस्थित है, लेकिन जा सकती है और यदि वह ड्रापर द्वारा केवल जाना है तो उस समय संदर्भ ती की गई समझौते का जारी या उचित रूप से संबंधित बैंक राष्ट्र या बैंकस्वींक कार्यालय में प्राप्त होगा।

(4) बैंक राष्ट्र और बैंकस्वींक रेखांकित होगे और व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन के समर्पित कार्यालय में रजिस्ट्रेशन को संदेह होगे और इन्हें उस स्थान के अनुशंसित बैंक पर लिखा जाएगा जहां व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन का समर्पित कार्यालय अवस्थित है।

(5) जहां किसी दस्तावेज के फाइल करने के संबंध में कोई फीस संदेह है और जहां दस्तावेज बिना फीस के या अपशंसित फीस के साथ फाइल किया जाता है, वहाँ यह समझा जाएगा कि ऐसा दस्तावेज इन नियमों के अंतिम किसी दस्तावेजों के प्रयोग के लिए फाइल नहीं किया गया है।

(6) रजिस्ट्रेशन जर्नल को जर्नल में अथवा शासकीय वेबसाइट पर साधन सूचना देने के पर्याप्त ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अंतिम रहने हुए, जो इस निमित्त विनिमय किए जाएँ, इसके तत्कालीन फीस अनुसूची उपलब्ध कर सकते हैं।

11. प्रश्न— (1) दिवालियों और वृद्धि मुक्त अनुशंसित में लिखे प्रश्नों का उत्तयोग उन सभी मामलों में किया जाएगा जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य मामलों में लागू करने के लिए उन्हें रजिस्ट्रार के निर्देशों के अनुसार उपलब्धित किया जा सकेगा।

(2) कोई प्रश्न जब व्यापार चिह्न रजिस्ट्रेशन में फाइल किया जाएगा तब उसके साथ विकसित फीस होगी।
12. दस्तावेज का आकार आदि- (1) किसी अन्य ऐसे निर्देशों के जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्नों को छोड़कर वे सभी आवेदन, नोटिस, विवरण या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या हां या रजिस्ट्रे के पारा या उसके रूप में जाने, तामील चिह्न जाने, छोड़े जाने या बेश्रे जाने या संदर्भित किए जाने के लिए अपहृत या निर्देशों द्वारा प्राप्त किए या अपेक्षित है, A-4 या वैधिक आकार के मजबूत कागज पर केंद्रित अंतर स्थानों में सुझाव अथवा आवेदनों में सुझाव विभिन्न प्रज्ञान कागज व दस्तावेज में तालिक किए या कंप्यूटर प्लांट आउट किए जाएं और कागज में बाई ओर कन्स कर कागज का हावां वह आगा होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी समय अपेक्षा करता है तो दस्तावेज की दूसरी प्रतिशिमा, जिसके अन्तर्गत व्यापार चिह्नों की अवधियों भी हैं, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फिक्स की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार जनपत में जाना की सूचना करने के पश्चात सभी आवेदन, सुझाव, विवरण या अन्य दस्तावेज और सन्मान के, जो नियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रैली के समान बनाए जाने के लिए अपेक्षित है, आकार में परिवर्तन कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार, जनपत में जाना की सुझाव दिए जाने के पश्चात आवेदन, सुझाव, विवरण और अन्य दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रैली द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो उस जनपत में विनिर्दिष्ट कर, फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

13. दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना- (1) किसी ऐसे दस्तावेज पर जो भागीदारी फर्म द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तालिकांकित है, भागीदारी में से कम से कम एक भागीदार द्वारा यह करने करते हुए हस्ताक्षर किए जाएं या यह फर्म के अधीन से हस्ताक्षर कर रहा है और ऐसे दस्तावेज पर जो नियम निकाय द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तालिकांकित हैं, किसी नियम निकाय के निर्देश द्वारा या संवेदन द्वारा या अन्य मूल्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे वह है सिर्फ, जिसमें कोई भी स्वतंत्र भागीदारी या तिमाही निकाय की ओर से किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, उसके हस्ताक्षर के नीचे उल्लिखित की जाएगी।

(2) किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरों के साथ हिंदी में या हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, तो बड़े अंकों में हस्ताक्षरकारों का नाम होगा।
14. दस्तावेज़ों की तालीमः (1) रूपण चिपके हुए सभी आवेदन, सूचनाएँ, विवरण, कागज़पत्र या अन्य दस्तावेज़, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यवस्थित के पास या उसको किए जाने, तामिल किए जाने, छोड़ जाने या भेजे जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, हाल से दिए या डाक से ऐसे पत्र दुरारा भेजे जा सकते हैं जिसके लिए डाक महसूल दे दिया गया है अथवा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जा सकते हैं।

(2) इस प्रकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई दस्तावेज उस समय किया गया तामिल किया गया व छोड़ दिया गया या भेज दिया गया समझा जाता। अथवा वह पत्र जिसमे वह आवेदन या दस्तावेज है, डाक से साधारण अनुकूल में परिवर्तन कर दिया जाता।

(3) ऐसा भेजा जाना साफ़ते करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिख कर उसे डाक में डाल दिया गया था।

(4) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के पास कोई आवेदन फाइल करने के पश्चात, कोई व्यवस्थित उससे संबंधित पत्र चर्चा करते समय निम्नलिखित विशेषज्ञाओं देगा, अथवा-
   (क) आवेदन की संख्या या संख्याएं, यदि कोई है,
   (ख) फाइल करने की तारीख और स्थान:
   (ग) यथास्थिति, समस्याग्रह या कोई वर्ग, जिसके या जिनके संबंध में आवेदन किया गया है।
   (घ) संस्कृति के लिए पता; और
   (ङ) संबंधित अभिव्यक्ति का कोड, यदि कोई है, और संबंधित स्वतंत्रतार का कोड, यदि उपलब्ध हो।

(5) रजिस्ट्रार जरूरत में अथवा शासकीय वेबसाइट पर साधारण जनता को सूचित करने के पश्चात, इस उद्देश्य के लिए प्रदत्त मैचिन या मैचिन तथा ऑनलाइन आवेदन, सूचना, कथन या अन्य दस्तावेज़, अथवा उन दस्तावेज़ों जिनके लिए किसी फीस का संदाय अपेक्षित नहीं है, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत है- मेल के माध्यम से स्वीकार कर सकता।

15. आवेदनों और अन्य व्यवस्थितों के पत्रों की विशिष्टता- (1) आवेदकों और अन्य व्यवस्थितों के पूरे नाम और पते दिए जाएंगे और उसके साथ उनकी राजस्वता, अर्जितका और ऐसे अन्य विशिष्टों होंगे जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक है।

(2) किसी फर्म की दशा में, उसके प्रत्येक भागीदार के पूरे नाम और राजस्वता का कथन किया जाएगा।

(3) कुल देश में किसी आवेदन की दशा में और भारत में कार्यालय का कई मुख्य रूप से रखने वाले व्यवस्थितों की दशा में, उनके अपने देश में उनके पते भारत में तामिल के लिए उनके पते के
अतिरिक्त दिए जाएंगे।

(4) किसी निगम नियम का या पर्यावरण की दशा में, स्थायीत्व, निगमन देश या रजिस्ट्राइकरण की प्रकृति दी जाएगी।

16. किसी आवेदन में भारत में कारबाह के मुख्य स्थान का कथन– (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्राइकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में आवेदक के भारत में कारबाह के मुख्य स्थान का, यदि कोई हो, या संयुक्त आवेदकों की दशा में, संयुक्त आवेदकों में से ऐसे आवेदकों के, जिनका भारत में कारबाह का मुख्य स्थान है, ऐसे कारबाह के मुख्य स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

2) नियम 17, 18, और 20 के उपर्युक्त के अंतर्गत हुए, किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्राइकरण के संबंध में किसी आवेदक को, संयुक्त आवेदकों की दशा में संयुक्त आवेदक को आवेदन में उसके दुरारा दिए गए उनके भारत में कारबाह के मुख्य स्थान के पते पर कोई लिखित संसूचना संबंधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबंधित की गई समझी जाएगी।

17. तामील के लिए पत्ता– (1) भारत में तामिल के लिए पत्ता–

(क) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्राइकरण के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदक दुरारा दिया जाएगा, जिसका भारत में कारबाह का कोई मुख्य स्थान नहीं है;
(ख) किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्राइकरण के लिए संयुक्त आवेदकों की दशा में, यदि उनमें से किसी का भैरू भारत में कारबाह का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा;
(ग) व्यापार चिह्न के ऐसे स्वतंत्र चिह्न, जिसका रजिस्ट्राइकरण के लिए आवेदन करने की तारीख का भारत में अपना कारबाह का मुख्य स्थान था किन्तु पश्चिम उसका ऐसा स्थान नहीं रहा है, दिया जाएगा;
(घ) प्रत्येक आवेदक दुरारा फाइल अधिनियम या नियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में और विशेष रूप से संसूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति दुरारा, जिसका भारत में कारबाह का मुख्य स्थान नहीं है, दिया जाएगा, और
(ङ) प्रत्येक व्यक्ति दुरारा, जिसके नियम 101 के अंतर्गत सम्बन्धित करने की इजाजत दी गई थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को भारत में तामील के लिए उसके दुरारा दिए गए पते पर पूर्वक रूप से लिखित संसूचना संबंधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबंधित की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उपर्युक्त (2) में अपेक्षित रूप में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है तब तक रजिस्ट्राइकरण के मुद्दे अपेक्षित रूप में कोई सुचना भेजने के लिए वाच्य नहीं होगा और कार्यवाही में कोई परामर्श वांछित आदेश या विनिश्चित इस आदेश पर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि सुचना की तामील में कोई कामी थी उसको तामील नहीं की गई थी।
18. आवेदन और विरोध संबंधी कार्यवाहियाँ मांगी में के लिए पता— व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रारकरण के लिए कोई आवेदन या विरोध की स्पष्टता प्राप्त करने से व्यापार चिह्न निर्देश रूप से लिखित अनुरोध कर सकेगा और भारत में ऐसा पता दें सकेगा जिस पर ही आवेदन या विरोध संबंधी कार्यवाहियाँ के संबंध में संसुधार के जा सकेगी। आवेदन या विरोध करने का ऐसा पता, जब तक कि यदि विरोध कर दिया जाता है, तब तक, यथास्थितिर, आवेदक या विरोधक को वास्तविक पता सम्मान जाएगा और आवेदन अथवा विरोध की स्पष्टता संबंधी सभी संसुधार और दस्तावेजों का तामील, यथास्थिति, आवेदक या विरोध के ऐसे पते पर उन्हें परिदर्शन करने या शक देवारा भेजकर की जा सकेगी।

19. रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज संप्रेषण— (1) आवेदन या विरोध मामले या रजिस्ट्रारकृत व्यापार चिह्न से संबंधित सभी संदेह और दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा संबंध पते के पते पर पहुँचाया या शक देवारा भेजा जाएगा अथवा इ—मेल देवारा प्रेरित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्रेरित कोई संदेह या दस्तावेज उस पते या शक की साधारण प्रक्रिया द्वारा प्रदान किए जाने अथवा इ—मेल देवारा भेजे जाने के समय प्रदान किया गया माना जाएगा।

(3) इस प्रदान किया गया प्रामाण्य करने के लिए, यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि पता पर उपयुक्त पता लिखकर उसे शक में दिया गया है या संबंध पते द्वारा प्रदान इ—मेल आईडी पर इ—मेल संप्रेषण किया गया है।

20. अधिकार— (1) धारा 145 के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकार प्रसन्न व्यापार. वि. एम में निर्णय किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकार की दश में कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील, उसे इस प्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील सम्बंधी जाएगी; कार्यवाही या मामले की बात ऐसे व्यक्ति को की जाने के लिए निर्देश दिए सभी संसुधार, ऐसे अभिकर्ता को संबंधित की जाएगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष उससे संबंधित सभी हाजिरियाँ ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी अधिकार की जा सकेगी।

(3) किसी विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधकर तरस्तिनी, रजिस्ट्रार कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत हस्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही से अथवा किसी अन्य कार्य से जिसके लिए वह प्राधिकृत हो प्रतिहारण के मामले में, ऐसे आवेदन या विरोध के तरस्तिनी या जहाँ भारत में व्यवसाय का तरस्तिनी या अन्य स्तर उल्लिखित न हो, आवेदक या विरोध करने की तरीक़ी से दो माह की अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करेगा। यदि वह उस अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करने में
असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन या विरोध, स्थायित्व, का परिलक्षण कर दिया है।

(5) उस आवेदन या विरोध के संदर्भ में, जहाँ भारत में व्यवसाय का मूल स्थान उत्तराखंड ना हो, आवेदक या विरोधकारी दुर्योग प्राधिकरण के प्रतिसंदेह के मामलों में, आवेदक या विरोधकारी जैसा भी संदर्भ हो, उस प्रतिसंदेह से दो महीने की अवधि के बीतर भारत में सेवायं पद पर उपहर नहीं कराएगा। यदि वह उस अवधि के बीतर भारत में सेवायं पद पर उपहर करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन या विरोध, स्थायित्व, का परिलक्षण कर दिया है।

21. माल और सेवाओं का वर्गीकरण – (1) व्यापार विहारों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाएँ उस रीति में वर्गीकृत की जाएगी जो विशेष बांधक का सम्बंध संयोजन (वापसी) द्वारा प्राप्त किए गए माल और सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत (रू.आई.सी.सी.वर्गीकरण) "२" की वर्तमान स्थिति में विषयक।

(2) रजिस्ट्रार, व्यापार सापेक्ष, माल और सेवाओं के वर्गीकरण की वर्गीकरण अनुमानित विभाग में भारतीय मूल के माल या सेवाओं की पहचान करेगा और उसने सम्मिलित करेगा।

22. सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक समाहार – (1) थारा १३३ की उपधारा (१) के अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक समाहार के लिए कोई आवेदन या संदेह के संबंध में निर्देश २१ के उप निर्देश (२) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा यथा प्रक्रिया और यथार्थ अनुसूची की प्रज्ञानित संख्या ४५ में यथानिरूपित पैकेज के साथ प्रस्तुत व्यावास्था विषयमें निर्देश २१ में किया जाएगा और उसके साथ व्यापार चिन्ह के तीन व्यक्तिगत होगी।

23. कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्रस्तुत – (१) व्यावास्था विषयमें – सी में तलाशी करने के लिए और प्रतिलिपियांधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) की धारा २५ की उपधारा (१) के अंतर्गत इस प्रमाण का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निवेदन कर सकता है कि ऐसी कलाकृति कृति के जिसे प्रतिलिपियांधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) के अंतर्गत प्रतिलिपियांधिकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सुनाया गया है, तद्रूप या इत्यादि समय जिससे धीरा हो जाता, कोई व्यापार चिन्ह अधिनियम, १९९९ (१९९९ का ४७) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह के रूप में आवेदक द्वारा फार्मी द्वारा संबंधित है तो इसके अंतर्गत अन्य व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है। प्राप्तिपत्र सामान्यतः निवेदन की तारीख से कार्यकरण के तीन दिन के बीतर जारी किए जाएंगे:

परंतु तथापि, रजिस्ट्रार आवेदक से असंगतियों के विवरण के लिए मांग कर सकेगा और यदि असंगतियों का उस विवरण के ऐसे मांगे जाने की तारीख से दो मास के बीतर अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्रतिवेदन व्यावास्था विषयमें निर्देश २१ में किया गया है।

(२) रजिस्ट्रार उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम (३) के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र को सूचना देने और उन आधारों का कथन करने के पश्चात् जिन पर रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र को रज करने की प्रस्तावना करता है और सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रज कर सकेगा।
अध्याय 2

व्यापार चिह्नों के रजिस्टरकरण के लिए प्रक्रिया

24. आवेदन का प्रस्तुत और हस्ताक्षर करना- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्टरकरण के लिए रजिस्ट्रेट को किए गए आवेदन पर आवेदक या उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और व्यापार, चिह्न, प्रक्रिया के तरीके पर दिनीयक रूप से दाखिल किया जाएगा; तथा ही आवेदन इस प्रयोजन के लिए प्रदत्त गेटवे के माध्यम से व्यापार, चिह्न, प्रक्रिया के तरीके पर ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है।

(2) माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्टरकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में-

(क) व्यापार चिह्न को, यदि आवश्यक हो तो, पर्याप्त साक्ष्य के साथ शारीर में विभिन्न कर्मसूची किया जाएगा ताकि आवेदक का अधिकार अधिकारित किया जा सके;

(ख) व्यापार चिह्न का ग्राफिक नमूनों में चित्रण करने में समय लगेगा;

(ग) इसे तीन विचारों वाले व्यापार चिह्नों के रूप में समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आवश्यक का विवरण वर्णित है;

(घ) इसे संबंधित वाले व्यापार चिह्न समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आवश्यक का विवरण अंतर्गत है;

(3) धारा 22 के परिवर्तन के अधीन आवेदन को विभाजित करने के लिए प्रस्तुत व्यापार, चिह्न, प्रक्रिया के तरीके पर संशोधित किया जाएगा।

(4) यदि वह भूतपूर्व व्यापार चिह्न नहीं है तो कितने भी वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के लिए केवल एक व्यापार चिह्न की बाबत एक ही आवेदन किया जाएगा।

(5) किसी वर्ग में सममित सभी माल या सेवाओं या किसी वर्ग के माल या सेवाओं के किसी वृहत किस्म की बाबत रजिस्टरकरण के लिए आवेदन की दशा में रजिस्ट्रेट उस आवेदन को स्वीकार करने से मना कर सकेगा अब तक जब उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विनिर्देश उस चिह्न के उपयोग को व्यापार संघटन ठहराता है जो आवेदक ने दिया है, या उसे वह देना चाहता है और वह तब जब वह रजिस्टरकृत कर दिया जाता है;
25. कब्जेशन ठहराके अधीन आवेदन— (1) जहां धारा 154 के अधीन किसी कब्जेशन देश में सम्यक स्वरूप से फाइल किए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के कारण पूर्ववर्त्ता के अधिकार का दावा किया जाता है वहाँ रजिस्ट्रार या व्यापार चिह्न का पात्रता के सक्षम प्राधिकारी दुवारा प्रमाणपत्र के लिए और उस आवेदन में चिह्न, देश या देशों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ फाइल किया जाएगा और आवेदन के फाइल करने की तारीख या तारीखों की विशिष्टता और ऐसे अन्य विशेषताएं, जो रजिस्ट्रार दुवारा अपेक्षित हों, सम्मिलित होंगी।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उस आवेदन को फाइल करने के समय ऐसा प्रमाण पत्र फाइल नहीं किया गया है आवेदन के अंतर्गत आने वाले उस आवेदन के फाइल करने की तारीख, देश, चिह्न की समाकृति और माल और सेवाओं को रजिस्ट्रार के समाधान के लिए प्रमाणित करते हुए या सत्यापित करते हुए ऐसे आवेदन के फाइल करने के दो मास के भीतर वह फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन कब्जेशन आवेदन के फाइल करने की तारीख, उस कब्जेशन देश का नाम, जहां यह फाइल किया गया, क्रम सं. , यदि कोई हो, और ऐसा कोई विवरण जिससे यह उपदासित नहीं किया गया हो कि पूर्ववर्त्ता का दावा किया गया है, सम्मिलित होंगे:

परन्तु जहां आवेदक ने उसी व्यापार चिह्न के बाबत धारा 154 के अधीन एक से अधिक पूर्ववर्त्ता दाबे फाइल किए हैं, वहाँ रजिस्ट्रार, कब्जेशन देश में किए गए पूर्ववर्त्ता आवेदन की तारीख को, पूर्ववर्त्ता की तारीख के रूप में लेगा;

परन्तु यह और कि ऐसी पूर्ववर्त्ता तारीख कब्जेशन आवेदन के तहत नहीं आने वाले मालिया या सेवाओं के लिए अनुज नहीं होगी जो पहले निर्देशित किए गए हैं,

परन्तु यह कि नियम 24 (1) के तहत दाखिल व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में उल्लिखित सभी मालिया या सेवाओं के संदर्भ में केवल एकल पूर्ववर्त्ता का दावा किया जाय।

(4) जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन माल या सेवाओं के एक या अधिक वर्गों के लिए कब्जेशन देश से कोई एकल आवेदन फाइल किया जाता है वहां आवेदक सभी ऐसे वर्गों में आवेदन के फाइल करने की तारीख के लिए रजिस्ट्रार के समाधान के लिए पयाप्त आधार सिद्ध करेगा।

26. आवेदन में उपयोगकर्ता का कब्ज़— (1) जब तक कि व्यापार चिह्न का उपयोग करने की प्रथापत्ता न की गई हो, व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन में उस कालावधि का, जिसके दौरान में और
उस व्यक्ति का जिसने आवेदन में उल्लिखित मात्र शी सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग किया है, विवरण अंतर्विष्ठ होगा।

(2) आवेदन की तारीख के पूर्व व्यापारिक बिंदु के उपयोग का दावा करने की स्थिति में आवेदक ऐसे उपयोग के समर्थन में सहायक दर्जावेज के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करेगा।

27. बिंदु की समाकृति— (1) व्यापारिक बिंदु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में और जहां कि आवेदन की अन्तरिक्ष प्रतियों अपेक्षित हैं, वहां अन्य प्रतियों में चिह्न की समाकृति उस स्थान (8 सें. मी. × 8 सें. मी.) से अधिक दी जाएगी जो कि आवेदन में उस प्रयोजन के लिए निर्माण है।

(2) जहाँ आवेदन में ऐसा प्रमाण का एक कथन अंतर्विष्ठ है कि आवेदक बिंदु के एक सुचिनित विशेषता के रूप में रंग के समावेश का दावा करने का इच्छुक है, उस आवेदन के साथ बिंदु का रंग संयोजन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जहाँ आवेदन में ऐसा प्रमाण का एक कथन शामिल है कि व्यापारिक बिंदु एक विशेषांक बिंदु है, उस बिंदु की प्रस्तुति में दो आयामी ग्राफिक या फोटोग्राफिक प्रस्तुति निम्न रूप में सम्मिलित होगी,

अथाहः—

(i) पद्धति प्रस्तुति में व्यापारिक बिंदु के तीन विशिष्ट दृश्य शामिल होगे;

(ii) जहां हालाँकि रजिस्ट्रे प्रत्येर यह समझता है कि आवेदक दूसरी प्रस्तुति की प्रस्तुति में विशेषांक बिंदु के विवरण पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, वह आवेदक को दो महीने के भीतर उस बिंदु के पॉक पृथक दृश्य प्रस्तुत करने और उस बिंदु को शब्दों में वर्णित करने को कहेगा;

(iii) जहां रजिस्ट्रे प्रत्येर यह समझता है कि उपयोग (ii) में इन्हें बिंदु के विशिष्ट दृश्य और/या वर्णन अव भी विशेषांक बिंदु के विवरण का पर्याय प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वह आवेदक को उस व्यापारिक बिंदु का नमृत उपलब्ध कराने को कहेगा।

(4) (i) जहां व्यापारिक बिंदु के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन में वस्तुओं के आकार या उनकी पैकेजिंग शामिल हो, पद्धति प्रस्तुति में उस बिंदु के पॉक पृथक दृश्य प्रस्तुत और उसका शाब्दिक विवरण शामिल होगा।

(ii) यदि रजिस्ट्रे प्रत्येर यह समझता है कि उपयोग (i) के बिंदु के विशिष्ट दृश्य और विवरण अव भी वस्तुओं के आकार या उनकी पैकेजिंग के विवरण का पर्याय प्रदर्शन नहीं करता है तो वह आवेदक को उस व्यापारिक बिंदु या पैकेजिंग का नमृत प्रस्तुत करने को कहेगा।

(5) जहां व्यापारिक बिंदु के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में व्यापारिक बिंदु के रूप में घटित शामिल है, उसकी प्रस्तुति MP3 पॉर्टेट में दाखिल की जाएगी जो अधिकतम 30 सेकंड की दौड़ी और ऐसे माध्यम में रिकॉर्ड की गई होगी जिसे आसानी और स्पष्टता से सुना जा सके और उसके साथ उसके मोडेल की शाब्दिक प्रस्तुति भी होगी।

(6) यदि रजिस्ट्रा का बिंदु की किसी प्रस्तुति से समाधान नहीं होता है तो वह किसी भी समय दूसरी प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है जो उसे समाधान कर सके और कार्यान्वयन के भविष्य आवेदन के साथ प्रतिस्पर्धित हो सके।
29. व्यापार चिह्नों की क्रमांकुस्ता: - (1) जहां कि धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, वहां शंखालों में के प्रत्येक व्यापार चिह्न की समाकृति की प्रतियां आवेदन के साथ नियम 29 में उपर्युक्त रूप से भेजी जाएंगी। रजिस्ट्रेस्ट्र यदि इस बात से समझ नहीं करते हैं तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही करेगा।

(2) व्यापार चिह्न जनरल में आवेदन के प्रकार के पूर्व किसी भी समय उपर्युक्त (2) के अधीन आवेदन करने वाला आवेदक उस अवधि के एक या अधिक चिह्नों की वांछन यथास्थिति प्रथम आवेदन या आवेदनों में उस आवेदन के विभाग का प्रबंध न्याय, चि. -एम पर निवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रेस्ट्र यदि उसका यह समझ नहीं हो जाता है कि निवेदित विभाग का धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसार है उस आवेदन या आवेदनों को तदनुसार दीर्घायी सीस के भूमिका के लिए विभाजित करेगा।

29. भिस्मांतर और अनुवाद: - जहां किसी व्यापार चिह्न में एक या कई शब्द हिन्दी या अंग्रेजी लिपि से लिखा हुआ है वहां आवेदक, आवेदन में प्रत्येक वैसे शब्द का सटीक लिपियांतर और अनुवाद अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत करेगा और यह भी बताएगा कि वह शब्द किस भाषा से संबंधित है।

30. जीवित व्यक्तियों या हाल ही में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों के नाम और समाकृति: - जहां वह किसी व्यक्ति का नाम या समाकृति व्यापार चिह्न में दी हुई है, वहां आवेदक अपने से यह अपेक्षा रजिस्ट्रेस्ट्र द्वारा किये जाने पर यथास्थिति उस अवस्था में, जिसमें कि वह व्यक्ति जीवित है, ऐसे व्यक्ति की उस अवस्था में, जिसमें कि उसकी मृत्यु उस तारीख के पूर्व बीस वर्ष के जन्मदेर हो गई थी, जिसका कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया गया था, उसके अवयव प्रतिनिधि को इस बात के लिए लिखित सम्मिलित कि उसके नाम या उसकी समाकृति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है, रजिस्ट्रेस्ट्र को देगा और यदि ऐसा सम्मिलित नहीं हो जाती तो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पर कोई कार्यवाही करने से रजिस्ट्रेस्ट्र इंकार कर सकेगा।

31. व्यापार चिह्न पर माल या सेवाओं का नाम या वर्णन: - (1) जहां किसी माल या सेवाओं का नाम या वर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है, वहां रजिस्ट्रेस्ट्र ऐसे दिए नाम या वर्णन वाले माल या सेवाओं से भिन्न किसी माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेशन करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां कि किसी माल या सेवाओं का नाम वर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है और वह नाम और वर्णन उपयोग में लाया जाने में पररचित होता रहता है, वहां रजिस्ट्रेस्ट्र उस माल या सेवाओं और अन्य माल या सेवाओं के लिए चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमान तब दे सकेगा जब कि आवेदक यह वचन दे कि नाम और वर्णन में पररचर उस पररचित में किया जाएगा जिससे कि यह नामाकृत या वर्णित माल या सेवाओं से भिन्न ऐसे माल या सेवाओं पर उपयोग में लाया जाता है जो कि विलिस्तर के अन्तर्गत आ जाती है: इस भांति दिया गया वचन आवेदन के उस विज्ञापन में सुनिश्चित किया जायेगा जो कि जनरल में धारा 20 के अधीन किया जाता है।
32. कमियाँ—जहां नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रस्ट्रकरण के लिए कोई आवेदन अधिनियम के नियमों उपर्युक्त में से किसी अवस्था को पूरा नहीं करता है तब हां रजिस्ट्रस्ट्र कार्यालय के उपर्युक्त के लिए आवेदक को उसकी सूचना भेजेगा और यदि उस सूचना की तारीख से एक मास के भीतर उसमें इस प्रकार अधिसूचित किसी कभी अपना करने में असफल रहता है तो आवेदक को परिट्यकता समझा जाएगा।

33. अभिसूचीकृत का आवेदन—(1) किसी माल या सेवाओं के बारे में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रस्ट्रकरण के लिए प्रत्येक आवेदक की प्राप्ति रजिस्ट्रस्ट्र द्वारा अभिसूचीकृत की जाएगी। यह अभिसूचीकृत करने की रीति यह होगी कि आवेदक ने अपने आवेदन उस आवेदन की शासकीय संख्या देते हुए दिवसीय कौन से में दाखिल करे।

34. परीक्षण, स्वीकृति का विरोध, सूचनाओं (1) रजिस्ट्रस्ट्र, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का परीक्षण कराएगा जिस पर जिस पर सूचना देगा जिस पर जिस पर आवेदन देगा जिस पर सूचना देगा जिस पर आवेदन की स्वीकृति के लिए कोई आवेदन किया गया था। यह उसे धारा 18 की उपधारा (4) के अनुसार कोई व्यवसायी, संशोधनीय, सूचना या सीमाओं के अधीन उसे स्वीकार करने का प्रत्यावर्तन करता है, जैसा उसे उपयुक्त लगे, रजिस्ट्रस्ट्र वह लिखित आपत्ति या प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव देगा रजिस्ट्रस्ट्र के रूप में आवेदक को प्रस्ताव करेगा।

(2) यदि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रस्ट्रकरण हेतु आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी सांस्कृतिक के प्रयोग या सुक्रियता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रस्ट्र को आवेदन की स्वीकृति के लिए कोई आपत्ति है। यह उसे धारा 18 की उपधारा (4) के अनुसार कोई व्यवसायी, संशोधनीय, सूचना या सीमाओं के अधीन उसे स्वीकार करने का प्रत्यावर्तन करता है, जैसा उसे उपयुक्त लगे, रजिस्ट्रस्ट्र वह लिखित आपत्ति या प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव देगा रजिस्ट्रस्ट्र के रूप में आवेदक को प्रस्ताव करेगा।

(3) यदि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रस्ट्रकरण हेतु आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी सांस्कृतिक के प्रयोग या सुक्रियता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रस्ट्र आवेदन को रजिस्ट्रस्ट्रकरण हेतु पूर्णतया स्वीकार करता है, तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को प्रेषित करेगा और धारा 20(1) के तहत उस आवेदन का विज्ञापन स्वीकृत रूप में करेगा।

(4) यदि, परीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर आवेदक उस संस्करण का प्रत्युत्तर देना या सूचना के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रस्ट्र उस आवेदन को परिट्यकता मान लेगा।

(5) उस प्रत्युत्तर समय के भीतर परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर प्राप्त होने की स्थिति में, उस पर सम्मान विचार किया जाएगा और यदि रजिस्ट्रस्ट्र प्राप्त हेतु आवेदन स्वीकार कर तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को देगा और उस आवेदन को धारा 20(1) के अधीन स्वीकृत रूप में विज्ञापित करेगा।

(6) यदि परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर संतोषापद ना हो या जहां आवेदक वे सूचना का अनुरोध किया हो, रजिस्ट्रस्ट्र आवेदक को सूचना का अवसर प्रदान करेगा और नियम 118 के अधीन उसका संचालन करेगा।

(7) आवेदक के सूचना की निरस्तर तारीख को उपरोक्त ना होना और कारायलय को कोई आपत्ति
35. आवेदन का ल्यरित निर्देश— आवेदन का शास्त्रीय संदर्भ के जिसकी कर आवेदन का ल्यरित होने के बाद, आवेदक प्रमाण व्यापक प्रमाण व्यापक—सन्दर्भ में यह लिखित आवेदन शुल्क के पांच गुण का मुहूर्त का व्यापक विवेचन के रजिस्टर करने हेतु किया आवेदन का ल्यरित निर्देश का अनुरोध कर सकता है। यौगी आवेदन का ल्यरित परीक्षण संरचनात्मक आवेदन द्ैखश दर्शन करने की तारीख से तीस महीने के भीतर किया जाएगा। तत्परता, निम्नलिखित कार्यान्वयन अथवा परीक्षण रिपोर्ट के प्रत्युक्तर पर विचार, कारण बताओ सुनने की तारीख तय करना, आदि अपेक्षित हो, आवेदन का प्राप्तकाल और उसका विवेचन, यदि कोई हो, से आवेदन का अंतिम निर्देश कर तक का कार्य भी ल्यरित किया जाएगा। व्यापक विवेचन आवेदन का ल्यरित निर्देश के लए रजिस्टर करने का अवधारण रजिस्टर द्वारा किया जाएगा।

36. रजिस्टर करने के लए आवेदन का प्रत्ययारण करने की नीतिः व्यापक विवेचन के रजिस्टर करने के लए आवेदन का प्रत्ययारण धरा 133 की उपधारा (2) 2 नियम 24 के उपधारा (2) के अधीन करने की इस प्रयोजन से नीतिः कि आवेदन पाइल करने के अवधार पर दी गई किसी फीस का प्रतिदृष्ट कर लिया जाए नियम 34 के उपधारा (2) में बताया संस्थान का प्राप्ति की तारीख से एक साल के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी।

37. रजिस्टर का विवेचन— (1) रजिस्टर में विवेचन नियम 34, 35 या नियम 39 एव प्राप्तिक विवेचन संस्थान आवेदक को दी जाएगी और यदि आवेदक ऐसे विवेचन की अपील करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी संस्थान का प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रमाण व्यापक—सन्दर्भ पर विचार करने वाले आवेदक कर सकता है कि रजिस्टर अपने विवेचन के अधारों का और उन समय की जितना उपयोग उसने अपना विवेचन करने के लए किया है, लिखित करने दे।

2) उस दशा में जिससे कि रजिस्टर ऐसी कोई अपेक्षाएं करता है आवेदक को जितनी बातें कोई अपेक्षित नहीं है, आवेदक उन अपेक्षाओं का अनुसूचन रजिस्टर द्वारा उपचार नियम (1) के अधीन लिखित करने दिया जाने से पूर्व करेगा।

3) जिस तारीख का विवेचन करने उपधारा (1) के अधीन आवेदक द्वारा प्राप्त होता है, वह तारीख अपील के प्रयोजन के लए वह तारीख समझी जाएगी जिसको रजिस्टर ने अपना विवेचन किया है।

38. आवेदन में शुद्धि और संशोधन— व्यापक विवेचन के रजिस्टर करने के लए आवेदक, अपने आवेदन में या तसंस्थित किसी गलती को शुद्ध करने के लए या अपने आवेदन में कोई संशोधन करने के लए आवेदन उसके साथ विवेचन फीस देकर अपने आवेदन के प्रतियाहण के या तो पूर्व या पश्चात किंतु चिह्न के रजिस्टर करने से पूर्व
39. प्रतियोगिता का रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिपादक कर लेना— (1) यदि रजिस्ट्रार को आवेदन के प्रतिपादन के संबंध में कोई आपत्ति आवेदन के प्रतियोगिता के पश्चात वित्त व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व इस आधार पर कि वह गलती से प्रतियोगिता कर लिया गया है, तो उस चिह्न मामले की उन अवस्थाओं में प्रतियोगिता नहीं किया जाना चाहिए था, तो रजिस्ट्रार यह प्रस्तावना करता है कि वह चिह्न केवल उन शर्तों, मर्यादाओं, विभागों के अंतर्गत भी, या उन शर्तों या मर्यादाओं के के जिन पर कि आवेदन प्रतियोगिता किया गया है अतिरिक्त या उससे भिन्न शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की हृदि से अपने आवेदन को संशोधन उपलब्धिम (1) में वर्णित संसूचना की प्रक्षिप्त की तारीख से तीस दिन के भीतर या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के प्रतियोगिता की सामेल यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रार ने उसे प्रत्यक्ष हट कर लिया है और आवेदन की यथार्थ ऐसी कार्यवाही की जायेगी जाने कि उसे प्रतियोगिता नहीं किया गया हो।

(3) जब तक कि रजिस्ट्रार को आवेदक उपलब्धिम (2) में वर्णित कार्यवाही के भीतर यह सूचित करता है कि मेरी यह वांछा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस तारीख की सूचना देगा जिसके रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। तब तक कि आवेदक इससे अपनी वांछित सुनवाई के लिए समर्पित हो जाये, ऐसी सुनवाई की तारीख सुनवाई की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी व तैयारित सुनवाई करना नहीं चाहता और वह वे बारे पेश कर सकेगा जिससे कि वह वांछित समझता है।

(4) रजिस्ट्रार आवेदक की सुनवाई के पश्चात या यदि आवेदक ने कोई अंतर संस्करण लिखित रूप में पेश की है तो उन पर विचार करने के पश्चात ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

40. विज्ञापन की रीति— (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की बाबत धारा 20 की उपधारा (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विज्ञापित किया जाए या उस धारा की उपधारा (2) द्वारा उसे पुनः विज्ञापित किया जाए उसे जरूरत में विज्ञापित किया जाएगा।

41. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिकृताच— रजिस्ट्रार इस आवेदन की दशा में जिसे धारा 20 की उपधारा (2) का खंड (ख) लागू है, उस सूचि में जिसमें कि वह ऐसा विश्लेषण करता है, आवेदन को
रजिस्ट्रीकरण का विरोध

43. विरोध की सूचना— (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की सूचना धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत जनता का जर्नल उपलब्ध कराने वाले वित्तीय कंपनी या व्यक्ति को रजिस्ट्री दुवारा ही प्रस्तावित की जायगी, से तीन मास के अंदर या ऐसी और अवधि के अंदर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक नहीं होगी, प्ररूप व्या. चि. -भौ में तीन पत्रियों में दी जाएगी। इस सूचना के अंतर्गत उन आधारों का काम होगा जिन पर विशेष रजिस्ट्रीकरण पर आपेक्षित करता है। यदि रजिस्ट्रीकरण का विरोध इस आधार पर किया जाता है तो उनका प्रस्तावना करें व्यापार दिनांक पहले ही रजिस्ट्री में चलने वाला व्यापार चिह्न का विज्ञापन करें।

(2) जहां विरोध की सूचना मालकों और सेवकों के विश्वसनीय वर्गों के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बावजूद चिह्न क्रिया किया जाय, तब तक जिसके रूप में व विशेष फाइल किया जाता है।

(3) जहां कोई विरोध किसी एकल आवेदन की बावजूद किसी विविध वर्ग या वर्गों के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत फाइल किया जाता है वहाँ शेष वर्गों या वर्गों के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे का कार्यवाही तब तक नहीं होगा जब तक कि आवेदन दुवारा समन्वयी वैश्विक साधनों या साथ आवेदन के विज्ञापन के लिए कोई निवेदन प्रमाण व्या. चि. -भौ में नहीं किया जाता है।

(4) जहां किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बावजूद किसी वर्गों या वर्गों में विभिन्न फाइल क्रियायें तब तक नहीं होगी रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे का कार्यवाही की जाएगी।

नि: विज्ञापित कराने के बजाय आवेदन की सूचना, वह वर्गों के जिसमें वह किया गया है, आवेदक का नाम और उसके कारकीर्ति का भारत में मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, या जहां आवेदन का कोई कारकीर्ति का भारत में मुख्य स्थान नहीं है वहाँ भारत में तामिल के लिए उसका पता, उस जर्नल की सूचक जिसमें वह विज्ञापित किया गया है और आवेदन में की गई शुद्ध या संशोधन उपलब्ध कराने वाली अधिकारिक जर्नल में दे सकेगा।

परम्परा: व्यापार चिह्न के संदर्भ में विज्ञापन में बुद्धि, छोटी बालकों में हूली के अभिव्यंजना माल के वाल, ऐसो, व्यापार चिह्न के उपयोग का बावजूद के संदर्भ में वह विज्ञापन को निरस्त करने के लिए उस व्यापार चिह्न का पुन: विज्ञापन करेगा।
(5) विरोध की सूचना की एक प्रति समृद्धित कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन मास के भीतर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन द्वारा तारीख की जाएगी।

परन्तु जहाँ आवेदक में शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध विरोध की सूचना की प्रति के आधार पर प्रति-कथन पहले ही दाखिल कर दी है, उस आवेदक को विरोध की सूचना की प्रति प्रेषित करने की अपेक्षा नहीं होगी।

44. विरोध की सूचना की अपेक्षाएं-

(1) विरोध की सूचना में जिन्हें सम्मिलित अंतर्विहार होगा: 

(क) उस आवेदन की बाबत जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है।

(ख) उस आवेदन की आवेदन संख्या जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है;

(ग) उस व्यापार चिह्न के आवेदन रोज़गार के संस्थान या सेवाओं का उपदेश के जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है; और

(घ) व्यापार चिह्न के आवेदन का नाम।

(झ) उस पूर्ववर्ती चिह्न या पूर्ववर्ती अधिकार की बाबत जिस पर विरोध आधारित है।

(ञ) जहां विरोध किसी पूर्ववर्ती चिह्न पर आधारित है वहाँ उस प्राप्ति का वर्णन और पूर्ववर्ती चिह्न की प्राचीनता कक्ष कोई उपदेश।

(ञ्च) जहां उपलब्ध ही पूर्ववर्ती चिह्न की आवेदन संख्या या रजिस्ट्रकेरण संख्या और फाइल करने की तारीख जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती चिह्न की तारीख भी है।

(ञ्छ) जहां विरोध किसी पूर्ववर्ती चिह्न पर आधारित है जिसके बारे में अभिव्यक्त है कि वह धारा 11 की उपधारा (२) के अंतर्गत हो एक सुविधायित व्यापार चिह्न है, वहाँ उस आवेदन का उपदेश और उस देश या देशों का उपदेश किसी चिह्न के सुविधायत क्रम से मान्यता दी गई हैं।

(ञ्ट) जहां विरोध किसी ऐसी पूर्ववर्ती व्यापार चिह्न पर आधारित है जिसकी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (२) के तेंदुए (झ) के अंतर्गत एक प्रतिष्ठा है वहाँ उस आवेदन का उपदेश और उस उपदेश किसी पूर्ववर्ती चिह्न रजिस्ट्रीकृत है या उपयोजित है अथवा नहीं,

(ञ्ब) विरोध के चिह्न की सामान्यता और जहां समृद्धित हो उस चिह्न का पूर्ववर्ती अधिकार का एक अभिव्यक्त।

(ञ्व) जहां उस माल या सेवाओं जिसकी बाबत पूर्ववर्ती चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है या उपयोजित किया गया है जिसकी बाबत पूर्ववर्ती चिह्न की धारा 11 की उपधारा (२) के अंतर्गत सुविधायित या उस धारा के अंतर्गत उसकी एक प्रतिष्ठा है वहाँ विरोध के उन सबी माल या सेवाओं का उपदेश करने समय जिसके लिए पूर्ववर्ती चिह्न संरक्षित है उन माल या सेवाओं को भी उपदेश किया जिन पर विरोध आधारित है।
(ग) विरोध करने वाले पक्षकार की बात-

(1) जहाँ विरोध पूर्वक चिह्न ने का पूर्वतर अधिकार के स्वतंत्रता द्वारा दर्ज किया जाता है वहाँ उसका नाम और पता तथा यह उपदेश कि वह ऐसे चिह्न या अधिकार का स्वतंत्रता है;

(11) जहाँ विरोध अनुमस्तिधारी द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत उम्मीदार न होने के कारण दर्ज किया जाता है वहाँ अनुमस्तिधारी का नाम और उसका पता तथा ऐसा कोई उपदेश कि वह विरोध दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(111) जहाँ विरोध किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रतार के उस हक उलटायकी द्वारा दर्ज किया जाता है जिसका नए स्वतंत्रतार के रूप में रजिस्ट्रीकरण श्री नहीं किया गया है उस आवेदन का उपदेश विरोध करनेवाले पक्षकार का नाम और पता और उस तारीख का उपदेश जिसका नए स्वतंत्रतार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उस समुचित कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था या जहां वह जानकारी उपलब्ध नहीं है वहाँ उस समुचित कार्यालय को वह आवेदन भेजा गया था और और

(1111) जहाँ विरोध करने वाले पक्षकार का कार्यालय का भारत में कोई स्थान नहीं है वहाँ विशेषता का नाम और भारत में उसकी तारीख करने का पता।

(घ) वे आधार जिन पर विरोध आधारित है-

(2) विरोध का सूचना का विरोधी या उसके द्वारा प्राधिकृत असम्मानी द्वारा अधिभाष पर सत्यापित किया जाएगा।

(3) सत्यापित करने वाला व्यक्ति विरोधी के सूचना के संबंधायित पैरागो के तत्परिणाम से जो वह अपने स्वार्थ के ज्ञान से और जो यह प्राप्त सूचना के आधार पर और उसे सत्य मान कर सत्यापित करता है, विनिर्देश रूप से कदम करेगा।

(4) सत्यापित, उसे सत्यापित करने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिस तारीख को वह हस्ताक्षरित किया गया था और जिस स्थान पर वह हस्ताक्षरित किया गया था कदम करेगा।

45. प्रतिक्रिया-

(1) धारा 21 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रतिक्रिया रजिस्ट्रार से विरोध की सूचना की प्रति के आवेदन द्वारा प्राप्त होने से दो मास के भीतर प्रस्तुत करेगा। वि. - वि. - अधीनी के दो मासा भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अस्वीकारित वे तत्त्व यदि कोई हो। वि. - वि. - अधीनी के दो मासा भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अस्वीकारित वे तत्त्व यदि कोई हो।

(2) प्रतिक्रिया को उसी रैखिकता में सत्यापित किया जाएगा यथाउपर्युक्त नियम 44 के उपनियम (2), 

(3) और (4) में वर्णित है।
46. विरोध के समार्थक में साक्ष्य- (2) प्रतिक्षण की प्रति की तामील जिस दिन करा दिए हो उससे कोई महीने के भीतर या उसके पश्चात कुल मिलाकर एक मास से अधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो निवेदन पर रजिस्ट्रेस अनुमोदन करे, विरोध या तो रजिस्ट्रेस के पास ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र दुवारा देगा कि कि वह अपने विरोध के समार्थक में देना चाहता है या रजिस्ट्रेस को और आवेदक को यह लिखित प्रस्तावना देगा कि मैं अपने विरोध के समार्थक में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु यहाँ यह आश्चर्य है कि विरोध की सुविधा में किस्मत तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसी साक्ष्य, प्रतिदिन सहित यदि कोई हो, की प्रतियां देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रेस के पास इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसी प्रतियां देने की सिफत में रजिस्ट्रेस को सूचित करेगा।

(2) यदि विरोध करने वाला पश्चातक उपनियम (1) के अधीन उसमें वर्णित समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो वह समझा जाएगा कि विरोध करने वाले पश्चातक या अपने विरोध का परिवर्तन कर दिया है।

(3) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के बदले के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विशिष्ट पृष्ठ के साथ प्रस्तुत व्याख्या। वि. -एम में किया जाएगा।

47. आवेदन के समार्थक में साक्ष्य- (1) आवेदक रजिस्ट्रेस के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समार्थक में शपथ पत्र की प्रतियों अपने ही मिलाकर नहीं देना है और उसके पश्चात कुल मिलाकर एक मास से अधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर या उसके पश्चात कुल मिलाकर एक मास से अधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो अनुमोदन पर रजिस्ट्रेस अनुमोदन को किया जाता है वह अपने आवेदन के समार्थक में देना चाहता है और उसकी प्रतियों वह विरोध करने वाले पश्चातक को देगा या रजिस्ट्रेस को और विरोध करने वाले पश्चातक को यह वह प्राप्त कर देगा कि वह कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता किंतु यहाँ यह आश्चर्य है कि प्रतिक्षण में किस्मत तथ्यों का और/ या प्रश्न में आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पैश कर दिए गए साक्ष्य को सहारा लूंगा। उस अवस्था में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है या अपने द्वारा पैश किया जा पूरे किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियों प्रतिदिन सहित यदि कोई हो से साथ विरोध को देगा और इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रेस को करेंगे।

(2) उपनियम (1) में वर्णित एक मास की अवधि के बदले के लिए आवेदन उसमें वर्णित दो मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व विशिष्ट पृष्ठ के साथ प्रस्तुत व्याख्या। वि. -एम में किया जाएगा।

48. विरोध करने वाले पश्चातक द्वारा दिया गया उल्लब में साक्ष्य- विरोध द्वारा आवेदक के शपथ पत्र की प्रतियों के प्रति कार्य करने से एक मास के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो कुल मिलाकर एक मास से अधिक होती हो वह तत्परता जिसे रजिस्ट्रेस प्रस्तुत व्याख्या। वि. -एम में अनुरोध पर अनुमोदन करे, विरोध करने वाले पश्चातक उल्लब में शपथ पत्र द्वारा रजिस्ट्रेस को साक्ष्य देगा और आवेदक को उसकी प्रतियों, प्रतिदिन सहित यदि कोई हो, के साथ परिवर्तन करेंगे और इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रेस को देगे। वह साक्ष्य पूर्णतया केवल उस मामले तक शीघ्र होगा जो उल्लब से संबंधित है।
49. अतिरिक्त साक्ष्य - किसी का आरोप से कोई और साक्ष्य नहीं दी जाएगी, किन्तु रजिस्ट्रार के समझ किन्हीं कार्यवाहियों में वह निस्त्रोध करने के अधिकार को भी समझे, यदि उचित समझे, तो वह आवेदक को या विरोध करने वाले पश्चात को ऐसे निवर्तनों और खर्च पर या जिसे वह अन्याय ठीक समझ नहीं कोई साक्ष्य देने की इजाजत दे सकेगा।

50. दर्शावेज का अनुवाद - जहां तक हिंदी या अंग्रेजी से मिश्रण भाषा वाली किसी दर्शावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में प्रतिस्पर्ध या विरोधी कार्यवाहियों में फाइल किए गए शपथ-पत्र में निर्देश नहीं किया गया है तब वह हिंदी या अंग्रेजी में उसे अभिप्राच्यर्थ अनुवाद रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएगा और उसकी एक प्रति विरोधी पक्ष को देगा।

51. सुनवाई और विशेषता - (1) साक्ष्य के पूर्व होने पर यदि कोई हो रजिस्ट्रार, इस बात की सूचना पश्चात करने को देगा कि प्रथम बार सुनवाई कब होगी। सामान्यतः ऐसी सूचना साक्ष्य के पूर्व हो जाने के तीन मास के भीतर दी जाएगी। 

(2) यदि किसी भी पश्चात दृष्टांक स्थान के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार दृष्टांक स्थान करके जा सकेगा।

(3) यदि आवेदक सुनवाई की स्पष्टता तत्त्व पर उपस्थित नहीं है तो आवेदन का परित्याग किया जाना जाएगा।

(4) यदि विशेष विश्वासी सुनवाई की स्पष्टता तत्त्व पर उपस्थित नहीं है तो अभिप्राच्यर्थ के अभाव में विरोध को रद कर दिया जाएगा।

52. स्थान की प्रति एक द्वारा रजिस्ट्रार के अभिप्राच्यर्थ के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्वितीय रजिस्ट्रार के अद्विती�
रजिस्ट्रीकरण पूरा न होने की सूचना

53. सूचना देने के लिए प्रक्रिया-आवेदक को जो सूचना देने की रजिस्ट्रीकरण से अपेक्षा धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा की गई है वह आवेदक को उसके काराबास के भारत में मुख्य स्थान के नते पर या वह उसके काराबास का भारत में मुख्य स्थान नहीं है तो आवेदन में कथित भारत में पते पर उसकी तात्पर्य के लिए प्रस्तुत ओ-1 में भेजनी जाएगी, किन्तु यदि आवेदक ने आवेदन के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर दिया हो तो सूचना, अधिकार को भेजी जाएगी। सूचनाएं रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए सूचना की तात्पर्य से इकाइयों द्वारा समय या एक ज्ञान से अन्तिम की तैयारी और समय जो रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रस्तुत व्या.चि.-एम में किए गए अनुरोध पर अनुशासन किया जाए, वित्तविभाग होगा।

रजिस्ट्रीकरण

54. रजिस्ट्रर में प्रविष्टि-(1) जहाँ जरूरत में विज्ञापन या पुनर्विज्ञापन आवेदन के विश्लेष की कोई सूचना धारा 21 की उपधारा (1) में वित्तविभाग अधिकारी के भीतर फाइल नहीं की जाती है वह जो कोई विश्लेष फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है वह रजिस्ट्रीकरण धारा 23 की उपधारा (1) या धारा 19 के उपर्युक्त के अनुसार रहते हुए व्यापार चिह्न की प्रविष्टि करेगा।

(2) व्यापार चिह्न की जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें आवेदन के फाइल करने की तात्पर्य, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तात्पर्य, जो मामला या सेवाएं और वर्ग या वर्ग जिनकी बातिल व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अनुसंधान सभी विशेषताओं, जिनके अंतगत निम्नलिखित विशेषताओं हैं, सत्यापित होंगे:

(क) व्यापार चिह्न के स्वतन्त्रतार के काराबास का भारत में मुख्य स्थान, का यदि कोई हो, पता या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न के ऐसे संयुक्त स्वतन्त्रतारों के काराबास का भारत में मुख्य स्थान का पता जिनके काराबास का भारत में मुख्य स्थान है।

(ख) जहाँ व्यापार चिह्न के स्वतन्त्रतार के काराबास का कोई स्थान भारत में नहीं है, वहाँ उसके अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामिल के लिए उसका यह पता जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट है।

(ग) संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में, उस दशा में जिसमें कि संयुक्त स्वतन्त्रतारों में से किसी की भी किसी काराबास का भारत में मुख्य स्थान नहीं है, वह संयुक्त स्वतन्त्रतारों में से प्रत्येक के अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामिल के लिए उसका वह पता, जो कि आवेदन में दिया गया है।

(घ) स्वतन्त्रतार के या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वतन्त्रतारों के व्यापार, काराबास, वृद्धि, उपजीविका की विशेषताओं, या अन्य वर्णन जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट हैं।

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के विषय या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अंदाजों को प्रभावित करने
वासी विशिष्टियाँ, और
(य) कर्नवाल आवेदन की तारीख (यदि कोई हो) धारा 154 के अधीन, की गई किसी कर्नवाल देखे के आवेदक की आवेदन के अनुसारण मंद रखेंगे।
(झ) जाँच यह चिह्न समूहीय या प्रामाणिकता चिह्न है, यह तथ्य
(झ) जाँच यह पूर्वक्त स्थापना या अन्य पूर्वक्त अधिकार के स्वतंत्रता की सहमति से धारा 11 के अंतर्गत (4) के अनुसारण में यह चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाता है यहाँ यह तथ्य और
(झ) उस व्यापार चिह्न के संबंधित चिह्न रजिस्ट्री का समूहीय कार्यालय विमोचित होगी।
(3) रजिस्ट्री तरंग समय-समय पर कम्प्यूटर विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हुए शासकीय रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं इसी लिस्ट निर्देश बनाएगा।

55. सम्बद्ध चिह्न-(1) जाँच कि व्यापार चिह्न किसी अन्य चिह्नों से सम्बद्ध होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वह रजिस्ट्री प्रभारी वर्गीकरण चिह्न के संबंध में उस चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्या संबंध में रजिस्ट्री में लिखेगा, जिनके साथ वह सम्बद्ध है और ऐसे चिह्नों में से प्रत्येक के संबंध में रजिस्ट्री में उसके साथ सम्बद्ध चिह्न होने के मात्रा प्रभारी चिह्न की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी लिखेगा।
(2) सम्बद्ध व्यापार चिह्नों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों में से चिह्न का सहबद्धता भंग करने के लिए धारा 16 के अंतर्गत (5) के अधीन आवेदन प्रस्तुत व्यापार, चिह्न की जानकारी और आवेदन के आधारों का कथन उसमें किया जाएगा।

56. रजिस्ट्रीकरण के पूर्व आवेदन की मृत्यु- आवेदन की मृत्यु के पश्चात और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के रजिस्ट्री में प्रक्रिया किया जाने के पूर्व यदि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदक की मृत्यु हो गई हो, तो रजिस्ट्री अनुमोदन किया जाने पर प्रस्तुत व्यापार, चिह्न की मृत्यु की सिद्धि पर और मृत्यु की प्रक्रिया के इतिहास के सम्बद्ध के स्पष्ट पर आवेदन में ऐसे मुक्त व्यापार के उत्तराधिकारी के नाम को रखेगा और तपश्चात यथासंपूर्ण आवेदन पर कार्यावधी की जानेगी।

57. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र-(1) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण-पत्र को रजिस्ट्री प्रस्तुत किया जाने के बाद 23 के उपर (2) के अधीन दिया जाता है प्रस्तुत ऑफ-2 में व्यापार चिह्न प्राप्ति पत्र किया जाएगा। उस पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का नाम लगा होगा।
(2) रजिस्ट्रीकरण के जिस प्रमाण-पत्र के प्रति निर्दिष्ट उपलब्ध (1) में किया गया है उसका उपयोग विशेष कार्यावधी की गई योग्यता या विशेष रजिस्ट्रीकरण अभिव्यक्ति करने के लिए नहीं किया जाएगा। इस उदेश्य के लिए धारा 137 के तहत की आवेदन प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाएगा।
(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के दूसरी प्रति या अनौपचारिक प्रतियाँ रजिस्ट्री विविध योजना सहित प्रमाण पत्र व्यापार, चिह्न या मूल नेके में उसे लीन विभाग गहराई-विशेष किया जाने पर दे सकेगा: परन्तु ऐसी कोई प्रतिपति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति जाने नहीं किया जाएगा जहाँ
रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रत्यवादन के लिए समय सीमा की समाप्ति के बाद अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

अध्याय-3
रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण का प्रत्यवादन

58. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण-(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत व्यव.चि.-आर में किया जाएगा और यह व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से पूर्व के मास के भीतर किसी समय किया जा सकेगा।

(2) नवीकरण के लिए ऐसा आवेदन उस व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का स्वतंत्रतारी या उसका अभिकर्ता है।

(3) यदि वह स्वतंत्रधारी जो नवीकरण के लिए आवेदन में वर्णित है वही व्यक्ति या उसकी विधि अस्तित्व का नहीं है जो रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी है, जिसकी रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी से हकदारी संबंध है, जिसके नाम से वर्तमान स्वामी के नाम अंतिम नवीकरण हुआ था प्राधमिक: दर्शित होगा जिसके लिए दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र होना चाहिए।

(4) रजिस्ट्रियार नवीकरण के लिए आवेदन प्रबंधकारी न्यायाधीशों, प्रशिक्षणों और उसी तरह के जिसी व्यक्ति से स्वीकार कर सकेगा जब न्यायालय आदेश या वर्तमान स्वतंत्रधारी की ओर से कार्य करने के प्राधिकार की अनुमति साबित हो।

59. रजिस्ट्रियार से व्यापार चिह्न के हटाने से पूर्व सूचना-(1) व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से एक मास अनुपूर्व से और तीन मास से अनिवार्य पूर्व वाली तारीख तक यदि विहित फीस के साथ प्रस्तुत व्यव.चि.-आर में कोई आवेदन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं होता है तो रजिस्ट्रियार रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी को और संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की अवस्था में संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारियों नियमों में से प्रश्रेष्ठ का और प्रश्रेष्ठ रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का, यदि कोई हो, होने वाले अवसान की प्राप्त ओ 3 में लिखित अधिसूचना रजिस्ट्रियार में प्रवर्तित उनके क्रमशः कार्यान्वयन भारत में मुख्य स्थानों के प्रति या जहां कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का कोई वाहक का भारत में मुख्य स्थान नहीं, वहां रजिस्ट्रियार में प्रवर्तित भारत के प्रति या प्रति तालिका के लिए देगा।

(2) जहां किसी चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शहीद हो जाता है वह चिह्न उस तारीख से पूर्व जिसकी नवीकरण होती नियम है एक मास के भीतर किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत हो जाता है रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के पश्चात् चार मास के भीतर नवीकरण फीस के संदर्भ पर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदर्भ नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रियार नियम 61 के अंतर्गत रहते हुए उस चिह्न को रजिस्ट्रियार से हटा देगा।
(3) जहां ऐसे बिहान के दश में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोधन हो जाता है वह बिहान नवीकरण की तारीख के पश्चात रजिस्ट्रीकृत किया जाता है यहां रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के छह मास के भीतर नवीकरण की संदर्भ पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस मार्गदर्शन के भीतर नवीकरण की संदर्भ नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्री नियम 66 के अधीन रहते हुए उस बिहान को रजिस्ट्री से हटा देगा।

(4) सामतूहिक बिहान या प्रभावीकरण व्यापार बिहान के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रस्तूत व्यापार के अनुसरण में होगा और उसके साथ वह फीस होगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

60. रजिस्ट्री से व्यापार बिहान हटाने का विधान- यदि व्यापार बिहान के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर नवीकरण की स्थायी नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रीर रजिस्ट्री से व्यापार बिहान को हटा सकेगा और तदनुसार इस तथ्य को जमल में विज्ञापित कर सकेगा:

रजिस्ट्री व्यापार बिहान को रजिस्ट्री से नहीं हटाएगा यदि अधिकार के लिए कोई आवेदन द्वारा 25 की उपाधि (3) के परन्तु के अधीन प्रस्तूत व्यापार के अनुसार व्यापार बिहान के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की सहायता से छह मास के भीतर कर दिया जाता है।

61. प्रत्यावर्तन और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण-रजिस्ट्री में व्यापार बिहान का प्रत्यावर्तन और इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन द्वारा 25 की उपाधि (4) के अधीन विविध फीस लगने प्रस्तूत व्यापार के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के अवसान के छह मास के पश्चात और एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्री ऐसे प्रत्यावर्तन और नवीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करने वाले अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर देगा जो प्रभावित है।

62. नवीकरण और प्रत्यावर्तन का सूचना और विज्ञापन- रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण पर, उच्च आवेदन के एक सूचना रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को ख्यात जाएगी और नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण जमल में विज्ञापित किया जाएगा।

अंधवृत्त-4
मैंड्रिड ट्रांजेक्शन के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से व्यापार बिहान के संरक्षण के संबंधित उपबंध

63. परिस्मरण- (1) इस अंधवृत्त के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ में संरक्षण और अन्य अन्य संरक्षण न हो; -
(क) "अनुच्छेद" से मैंड्रिड ट्रांजेक्शन को विनिर्दिष्ट अनुच्छेद अभिव्यक्ति है;
(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रदाताओं की अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 उपधारा (1) के खंड (d) में दिया है;
(2) अधिनियम के अंदाज़ पर अनुसार अंतरराष्ट्रीय आवेदन या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के
64. भाषन- कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यूहों को कोई संसूचना या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप भारत को संक्रान्त के लिए सलाह के माध्यम से विस्तार की अदिशुचना होगी।

65. सूचना या संसूचनाओं आदि का जारी करना और उनके प्रत्यस्त- धारा 368 के अर्थात अंतरराष्ट्रीय आवेदन और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण जहां भारत को धारा 368 के अर्थात वस्त्रानिय दिनानिय किया गया है दोनों से संबंधित कोई सूचना या संसूचना रजिस्ट्री द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी और उसका कोई प्रत्युत्तर भी केवल उसी रूप में अभिप्रदेश किया जाएगा।

66. अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिनके संबंध में भारत उद्ध्व देश है- भारत से प्रांतहोने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदन या सामाजिक विनियमों के आनुवांशिक उनसे संबंधित कोई सूचना अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति चिन्ह आवेदन प्रणाली के माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की जाएगी।

67. अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जिनके संबंध में भारत मूल देश है, का सत्य्यापन और प्रमाणनप (1) जहां अंतरराष्ट्रीय व्यूहों को परीक्षण के लिए एक 368 के अर्थात अंतरराष्ट्रीय आवेदन वाहन किया जाता है तो रजिस्ट्री द्वारा अनुमोदन करता है 79 में विनियमित प्रातिशर के संदर्भ के अर्थात रहने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यूहों।

(2) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा करेगा है, वहां रजिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय आवेदन में उस तारीख को जिसको आवेदन अभिप्रदेश किया गया था उपयुक्त करेगा।

(3) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो रजिस्ट्री उससे अंतरराष्ट्रीय व्यूहों को अभिप्रदेश करेगा और आवेदन द्वारा पूरे संदर्भ अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करेगा और उस सूचना में विनियमित प्रातिशर के बीतर ऐसे अनुभव को पूरा करने के प्रवास हों अंतरराष्ट्रीय आवेदन अभिप्रदेश करेगा।

68. पहसलन कीस- रजिस्ट्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय आवेदन को प्रमाणित और अंतरराष्ट्रीय व्यूहों को परीरित करने के लिए, पहली अनुपालन में यथाविनियमित पहसलन कीस संदर्भ होगी और ऐसी कीस का संदर्भ आवेदन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से भारतीय रूप में किया जाएगा।

69. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण, जिनके संबंध में भारत को नामिनियमित किया गया है, के अभिलेखों को रखने की शिक्षा- (1) अंतरराष्ट्रीय व्यूहों से भारत को नामिनियमित करने के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सलाह की
प्राप्ति पर और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संस्करण विस्तार की अधीनस्थता पर रजिस्ट्रार उसकी सभी विशिष्टियों को इंटरनेट पर से "अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का अभिलेख" नामक अभिलेख में दर्ज करेगा। अंतरराष्ट्रीय द्वीपों से जैसे और जब प्राप्त विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उपरोक्त अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(2) ऐसे अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि जहां तक वह भारत को नागरिकित पटकार के रूप में लामू होती है का वही प्रभाव होगा जहां कि वह रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार में दर्ज की गई थी।

70. धारा 36 इ. के अधीन आवेदन की जांच— (1) नियम 67ç में निषिद्ध सलाह की संदर्भागतता ऐसी सलाह की प्राप्ति से दो मास के भीतर जांच की जाएगी।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह पाता है कि कोई चिह्न जो भारत में नागरिकित अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विषयवस्तु है का संस्करण नहीं किया जा सकता है, तो वह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना के अनुबंध अंतरराष्ट्रीय द्वीप के अधीन लामू इंकार की अवधि के अवसर से पूर्व अंतरराष्ट्रीय द्वीप के अन्तर्गत इंकार के अधिकृत करेगा।

(3) जहां संस्करण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विषयों को, साधारणतः सलाह की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर योग्यता अधिकृत व्यापार चिह्न नियम में, एक पूर्वाभाव कानून में विज्ञापित करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई विशेष फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय द्वीप को इस तद्न्यू हौ के अन्तर्गत इंकार के रूप में प्रदर्शित करेगा और साममें विषयों के अनुसार विशेष आधार से अधिकृत करेगा।

(5) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का उस पर किसी विषयकी प्राप्ति पर व्यापार चिह्न नियम के नियम 47 से नियम 57 में अंतरस्तंब उपभोग के अनुसार प्रसंस्करण किया जाएगा।

(6) जहां उपभोगी (1) से उपभोगी (5) के अधीन वृंदाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और रजिस्ट्रार ने सभी मालिक और राखी अनुसार जिनके लिए संस्करण का अनुप्रेरक किया गया है, को चिह्न के संस्करण से इंकार की पूर्णता करने का विशेष अहन कर लिया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय द्वीप को इस प्रभाव का एक विवरण भेजेगा।

(7) जहां अन्तर्गत इंकार का पूर्णता है आधार: प्रतिसंहारण कर लिया गया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय द्वीप को (8) इस प्रभाव का एक विवरण कि अन्तर्गत इंकार का प्रतिसंहारण कर लिया गया है और उन सभी मालिक और सेवाओं के लिए चिह्न का संस्करण प्रदान किया गया है जिनके लिए संस्करण का अनुप्रेरक किया गया है, या (8) शर्त या सीमाओं जिनके अधीन माल या सेवाओं की बातचीत संस्करण प्रदान किया गया है, को उपर्युक्त करते हुए एक विवरण भेजेगा।

(8) जहां संस्करण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय द्वीप को इस प्रभाव से सूचित करने किया गया है, रजिस्ट्रार इस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय द्वीप को एक विवरण भेजेगा।

(9) जहां भारत में किसी चिह्न के संस्करण को प्रभावित करने के लिए और विशेष अहन है, रजिस्ट्रार इस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय द्वीप को एक विवरण भेजेगा।
71. संरक्षण का अधिकारन्यकरण— किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप किसी संरक्षण का अधिनियम के अधीन भारत में विधिक कार्यवाहियाँ के फलस्वरूप प्रभाव समाप्त हो गया है, या उसमें परिवर्तन आ गया है, रजिस्ट्रार तद्नुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

72. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभाव— जहां उदयम कार्यालय के अनुरोध पर किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का रद्द कर दिया गया है प्रोटोकाल के अनुच्छेद 9 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को जहां तक वह भारत में अभिविन्यास हुआ है पांच गुना लागू होंगे।

73. सामूहिक और प्रमाणण चिह्न— जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत को सामूहिक चिह्न या प्रमाणण चिह्न के संबंध में नामांकित करता है, ऐसे सामूहिक चिह्न या प्रमाणण चिह्न के शासित करने वाले विभिन्न प्रशासन उस अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक द्वारा रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की सलाह की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

74. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापन— जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत में धारा 368. की उपधारा (6) के अधीन धूत रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापित करता है, तो रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण पर ध्यान देगा और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुशंकित रजिस्ट्रार में अपेक्षित प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार सामान्य विभिन्न विभागों के लिये 21 के अधीन तद्नुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

75. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहने एंड मैक्रॉप्रोटोकाल, सामान्य विभिन्न और प्रशासनिक अनुदेश भारत से आरंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण जहां भारत को नामांकित किया गया है, को लागू होंगे।

अध्याय—5
समनुदेशन और पारेशण

76. समनुदेशन और पारेशण की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन— जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हकदार समनुदेशन या पारेशण द्वारा बन जाता उस व्यक्ति के हक को रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हक को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत व्या. चि. -भी किया जाता है।
97. आवेदन के साथ मामला— (1) नियम 76 के अंतिम यथास्थिति अपने हक के लिए प्रज्ञीतीकरण के लिए प्राप्त व्या.चि.—की पर अनुरोध के साथ आवेदन करने समय मूल दस्तावेज, मूल लिखित या प्रलेख, यथास्थिति, समयक मूल कर्म करने हुए दाखिल किया हो जिसमें व्यापार चिह्न के हक का हस्तांतरण और उस अनुरोध के समय में कथन शामिल हो। यदि रजिस्ट्रार ऐसी अपेक्षा करे, तो वह मामला का कथन प्राप्त व्या.चि.—की में दिए गए शायद पत्र द्वारा सत्यापित किया जायेगा। और आवेदक समन्दरदेश या हस्तांतरण दर्ज होने के पहले किसी ही कारण इस प्रकार का शायद पत्र देगा कि व्यापार चिह्न के स्वतंत्रताकार संबंधित कोई कात्य जिसी न्यायालय या अधिकारण में लंबित नहीं है।
परन्तु रजिस्ट्रार आवेदक को समयक सत्यापित सिलिस्त्र या प्रलेख की प्रति जमा करने की अनुमति दे सकेगा यदि आवेदक यह सत्यापित करे कि मूल प्रलेख का सिलिस्त्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
(2) साधारणतः रजिस्ट्रार नियम 76 के अंतिम किए गए आवेदन का निपटात आवेदन करने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा और उससे आवेदक की समाधान करेगा।
(3) हक के अंतर्गत की प्रतिच्छेद बंद करने के पश्चात् रजिस्ट्रार मूल दस्तावेज, लिखित या प्रलेख को नियम 76 के अंतिम आवेदन करने वाले आवेदक को अभिव्यक्ति करने की संबंधत में साथ वापस कर देगा और अभिव्यक्ति के लिए लिखित या प्रलेख की समयकता: प्रमाणित प्रति प्रतिदर्शित करेगा;
परन्तु नियम 76 के अंतिम किए गए अनुरोध के समय में फाइल किए गए किसी शायद पत्र को वापस नहीं करेगा।

78. हक का सबूत— जो कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न के स्वतंत्रतारी के स्पष्ट सत्यापित किया जाने के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रार उसे अपने हक का ऐसा सबूत या अतिरिक्त सबूत देने के लिए प्रस्तुत कर सकेगा, जो उसके समाधान के लिए अपेक्षित है।

79. लिखितों का परिच्छेद— रजिस्ट्रार यह जाने की उचित यथा है कि किसी व्यक्ति के हक की विशिष्टता में पेश की गई कोई लिखित उपलब्ध या पर्यायत मुद्रांक पर नहीं है, तो रजिस्ट्रार उसे परिबद्ध कर लेगा और उससे ऐसी रीति में बरतेगा जैसे कि भारतीय स्टेट्स अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अध्याय 4 में उपबंधित है।

80. भारत से बाहर धन के पारे:— यदि भारत से बाहर धन के पारें का विश्लेषण करने वाली कोई विभिन्न प्रवेश हो तो जो व्यक्ति व्यापार चिह्न के लिए हकदार ऐसे पारें करने वाले तत्वांतरण के प्रयोग ने जाता है उसके हक का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऐसे पारें करने के लिए उस प्रतिष्ठान के अनुप्रयोग जो ऐसी विभिन्न में उल्लिखित है, में पेश किए जाने पर करने के सिद्धान्त करेगा।

81. व्यापार चिह्न जो समन्दरदेश के कार्यालय के गुडविल बिगा किया जाता है उसका विश्लेषण करने के बारे में रजिस्ट्रार के निदेश के लिए आवेदन— (1) धारा 42 के अंतिम निदेशों के लिए आवेदन प्राप्त व्या.चि.—की में किया जायेगा और उसमें वह तारीख दी जायेगी जिसकी समन्दरदेश किया गया था। आवेदन में उस अवस्था में, जिसमें कि यह रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न है, रजिस्ट्रेशन की विशिष्टताओं दी जायेगी और
उस अवस्था में जिसमें कि वह अनरजिस्ट्रेक्ट विभाग के, जो कि उसके साथ समन्वय बनाया गया है,
उपयोग सहित उसके विशेषज्ञों की जानकारी। रजिस्टर बोई साहब या और जानकारी मांग सकेंगा। और यदि
विभिन्न बातों के संबंध में उसका समाधान हो जाता है, तो वह समन्वय का विचार करने विषयक लिखित
में निर्देशित होगा।

(2) जब तक किस रजिस्टर का अनुमोदन दाना 41 के अधीन अन्तिम प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और रजिस्टर के अनुमोदन विषयक अपरिहार्य को प्रकट करने वाला निर्देश आवेदन में नहीं दे दिया जाता,
रजिस्टर ऐसे आवेदन पर विचार करने से इकरा उस मामले में कर सकेंगा जिसके संबंध में वह धारा लगू है।

(3) उस कालावधि बदलने के लिए, जिसके अंदर यह आवेदन जो उपनियम (1) में वर्णित है,
अनुरोध किया जायेगा यह अनुरोध प्रकुप्त व्या. वि - १३ में किया जायेगा।

82. गुम्बिश के बिना समन्वय के प्रविष्ट करने के लिए आवेदन— जिन्हें माल या सेवाओं के संबंध में
व्यवाहार चिह्न के समन्वय बनाने के आवेदन जो नियम 76 के अधीन किया जाता है उसमें यह कथन होकर फ़ि—
[ क] या उस व्यवाहार चिह्न का उपयोग उन माल या सेवाओं में होने वाले किसी काराबार में किया जा चुका था,
या किया गया था, और
[ ख] या समन्वय के काराबार या गुम्बिश के संबंध में अनुप्रयुक्त किया गया है,
और यदि दोनों परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो समन्वय का विचार करने के लिए जो निर्देश नियम 81 के
अधीन आवेदन करने पर प्राप्त किए गये हैं, उनकी एक प्रति और विज्ञापन की प्रतियों सहित सबूत या अनुपात
जैसे ब्रोन्थारा रजिस्टर करे, आवेदक व्यवाहार चिह्न रजिस्टर में यह बात स्वीकार करने के लिए पेश कर देगा
कि रजिस्टर के निर्देशों की पूर्ति की जा चुकी है और यदि रजिस्टर का समाधान इस बात में नहीं होता है कि
निर्देशों की पूर्ति की गई है, तो वह आवेदन के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा।

83. पृथक रजिस्टरकरण— जिन्होंने नियम 76 के अधीन आवेदन के अनुसार में और रजिस्टरकरण के माल
या सेवाओं के विवरण और पृथककरण या स्थानीय अथवा बाजार के विवरण और पृथककरण के फलस्वरूप
विभिन्न व्यक्ति व्यवहार चिह्न के तत्परता स्वतंत्रतारूपों के रूप में एक ही रजिस्टरकरण संयोग के अधीन
Pृथक— रजिस्टरकृत हो जाते हैं, जैसे उन विभिन्न व्यक्तियों के नामों में परिणामम जैसे पृथक पृथककरणों
या यहे पृथक रजिस्टरकरण का बालाल इस अपीलेमेंटसके सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह पृथक
रजिस्टरकरण है।

84. कुछ समन्वयों और परिष्करणों के लिए रजिस्टर का प्रमाण-पत्र या अनुमोदन— कोई व्यक्ति जो धारा 40
की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर का प्रमाण-पत्र या धारा 41 के अधीन उसके अनुमोदन की अप्रत्येक
cारण करना प्रारंभ करता है, वह अपने आवेदन के साथ मामले का कथन, जिसमें वे परिस्थितियों उपविष्ट हैं,
प्रकुप्त व्या. वि. - १३ में दो प्रतियों में और समन्वय का परिष्करण को प्रभावित करने वाली कई लिखित या प्रकुप्त
प्रयोगिता लिखित और जाकारी, जिसे वह आवश्यक
समझता है, मांग सकेंगा और मामले का कथन उस दशा में जिसमें कि उसमें सभी सुनिश्चित परिस्थितियों को
समझित करने की अपेक्षा की गई है, संशोधित किया जायेगा और यदि वह अपेक्षा की जाये, तो उसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित करेगा। रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में, जिसमें कि उससे ऐसी अपेक्षा की गई है और किसी अन्य व्यक्ति की, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार का वह विचार है कि वह अन्तरण में, हित रखता है, सुनने के प्रयत्न सामान्य रूप से विचार करेगा और यथास्पदता उसका प्रमाण-पत्र या उस मामले के अनुमोदन या अनुमोदन की निश्चित में अधिकृत आवेदक को देगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को भी इतिहास तदनुसार देगा। जहाँ कि मामले का कथन संशोधित किया जाता है, वहाँ उसके अंतिम रूप वाली ली न्यायपाल चिह्न रजिस्ट्री में रेखा कर दी जायेगी। रजिस्ट्रार मामले के कथन के अंतिम रूप वाली एक प्रति प्रमाणपत्र या अधिकृत नाम अपनी मुद्रा लगाकर जोड़ देगा।

85. समनुद्धेशन की विशिष्टियाँ का रजिस्ट्रार में प्रविष्ट करना- जहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अनुसार किसी व्यवाहार चिह्न के समनुद्धेशन को अनुज्ञात कर चुका है वहाँ रजिस्ट्रार में समनुद्धेशन को निम्नलिखित विशिष्टियाँ की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थातः:-

(i) समनुद्धेशित का नाम और पता;
(ii) समनुद्धेशन की तारीख;
(iii) जहाँ समनुद्धेशन उस चिह्न में किसी अधिकार की बात है वह समनुद्धेशित अधिकार का वर्णन;
(iv) वह आधार जिसके अधीन समनुद्धेशन किया गया है; और
(v) वह तारीख जिसकी रजिस्ट्रार में प्रविष्टि की जाती है।

86. धारा 46 के अधीन किसी कंपनी के लिए समनुद्धेशन का रजिस्ट्रेशन- धारा 46 की उपाधेय (४) के प्रयोजनों के लिए वह कालवियत जिसमें किसी कंपनी की नियम 76 के अधीन किया गया आवेदन पर किसी रजिस्ट्रेट्टूकृत व्यवाहार चिह्न के पश्चातवर्ती स्वतंत्ररूप के रूप में रजिस्ट्रेट्टूकृत चिह्न या सबके, व्यवाहार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के जनरल में विजयासन की तारीख से छह मास तक, या छह मास के अंतिम इतिहास के कालवियत, या छह मास के अंतिम इतिहास के कालवियत तक या वह दृष्टि समनुज्ञत की जा सकती है, किसी समय व्यापकता तक के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक द्वारा या रजिस्ट्रेट्टूकृत स्वतंत्ररूप द्वारा किया गया प्रस्ताव व्यवस्था- वि. भी में आवेदन पर अनुज्ञात करें।

अध्याय-६
रजिस्ट्रेट्टूकृत उपयोगका

87. रजिस्ट्रेट्टूकृत उपयोगका के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन- (१) रजिस्ट्रेट्टूकृत व्यवाहार चिह्न के रजिस्ट्रेट्टूकृत उपयोगका के रूप में धारा 49 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह उस व्यक्ति और व्यवाहार चिह्न के रजिस्ट्रेट्टूकृत स्वतंत्ररूप द्वारा संयुक्त: 
(2) रजिस्ट्रेटकृत स्वतंत्रधारी या उसके निम्नलिखित कार्य करने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रेट के सामान्य रूप में, आवेदन के साथ एक ऐसा शास्त्र पत्र फाइल किया जाएगा जो आवेदन के साथ लगे दस्तावेजों की वास्तविकता को अधिप्रभावित करता हो और उसमें निम्नलिखित अंतर्भाषित होगा:

(क) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा अपेक्षित विशिष्टतियाँ और कथन;
(ख) रजिस्ट्रेटकृत स्वतंत्रधारी और प्रस्तावित रजिस्ट्रेटकृत उपयोक्ता में, यदि कोई संबंध है तो उसका व्याख्यात स्वरूप.
(ग) इस बाबत व्यूहों सहित कि जो व्यक्ति विहीन आवेदन का विषय है तथा उसका उपयोग आवेदन की तारीख से पहले अथवा इसके अन्तर्गत में उसने किया है और यदि किया है तो ऐसे उपयोग के परिस्थितियों के व्यूहों सहित उन मामलों व सेवाओं विषयक कथन जिनका कार्यान्वयन रजिस्ट्रेटकृत स्वतंत्रधारी करता है।

(3) रजिस्ट्रेटकृत स्वतंत्रधारी और प्रस्तावित उपयोक्ता ऐसे अन्य दस्तावेजों भी ईर्षा और फाइल करने और ऐसा अपर साक्ष्य और जानकारी भी देने के लिए कि रजिस्ट्रेट उस निम्नलिखित अपेक्षित करे।

(4) जब तक कि कोई आवेदन उपनियम (1) के खंड (क) में लिखित कार्य की तारीख से छह मास के भीतर फाइल नहीं किया जाए, वह शास्त्र नहीं किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) की जिसका अंतर्भाषित का होता है तो, जब रजिस्ट्रेटकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रेटकरण के लिए एक से अधिक आवेदन उसी कार्य के अंतर्विकल अथवा वाले व्यक्तियों की वाइट उसी रजिस्ट्रेटकृत स्वतंत्रधारी और उसी प्रस्तावित रजिस्ट्रेटकृत उपयोक्ता द्वारा की जाती है वह उपनियम (1) में वर्णित दस्तावेज किसी एक आवेदन के साथ फाइल किए जा सकते और अन्य आवेदन या आवेदनों में दिए गए ऐसे दस्तावेजों के प्रति निर्देशित किया जाएगा।

88. कार्य में कथित की जानी वाली विशिष्टतियाँ— नियम 87 के उपनियम (1) के खंड (क) में लिखित कार्य में---

(क) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से लेकर उपखंड (iv) तक विशिष्टतियाँ होगी;

(ख) उन स्वामित्व और अन्य पारिस्थितिक सम्बंधी नियंत्रणों, का प्रकार जो कि प्रस्तावित
रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता द्वारा उनके रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र दाराने 49 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन और उसके साथ करने के दृष्टिवेक्त अधिनियम और नियमों के सूचारे उपयोगी और 49 की उपधारा (1) के खंड (२) ने में निर्देशित वालों का अनुपालन करते हैं तो उन मालों या सेवाओं के बावजूद जिसके संबंध में वह इस प्रकार संपर्क हो जाता है, प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के अनुयायी उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

90. आवेदन को अस्वीकार करने या उसे सर्वेक्षण स्वीकार करने से पूर्व सुनवाई:- (1) रजिस्ट्रा जहां वह आवेदन को किसी शर्त, नियमों या सूचनाओं के अधीन स्वीकार करने की प्रस्तावना करता है वहां आवेदकों को लिखित में सूचना देगा। सूचना में वह आधार होगा जिस पर रजिस्ट्रा ऐसे आदेश जारी करने की प्रस्तावना करता है और आवेदकों को सूचना देगा कि वे सुनवाई के लिए आदेश करते हैं। (2) जब तक कि उपनियाम (१) में उल्लिखित सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र दाराने 49 के लिए आवेदन नहीं करते हैं रजिस्ट्रा आवेदन को यथास्थिति स्वीकार करेगा। (3) यदि रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र दाराने 49 के लिए आवेदन करते हैं तो रजिस्ट्रा दो मास के भीतर सुनवाई के लिए चार ज्यादा नियम करता है उस समय के लिए उनको कम से कम एक मास की सूचना देगा। (4) रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्र दाराने 49 के पश्चात रजिस्ट्रा यदि चिन्हित करेगा कि आवेदन को स्वीकार किया जाए या उसे इंडिक किया जाए या उसे सर्वेक्षण स्वीकार किया जाए। (5) रजिस्ट्रा आवेदन पर अपने आदेश आवेदकों को अर्हत स्वीकार करने के अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ताओं को, यदि कोई हो, लिखित रूप में संसूचित करेगा।

91. रजिस्ट्रा में प्रविष्टि- (1) जहां रजिस्ट्रा दाराने 49 की उपधारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता
92. रजिस्ट्रीकरण से भारत के बाहर धन का पारेशन करने के लिए प्राथिक विवेचन किया जाएगा है - किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण से उस कार्य का अनुमोंदन विवेचन नहीं समझा जा सकता तब उसका संबंध किसी धन के पारेशन से है जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए उक्त व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए प्रतिवेदन के रूप में हो।

93. रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की अधिसूचना - रजिस्ट्रीकरण उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की लिखित अधिसूचना रजिस्ट्री व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी की रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को और प्रत्येक अन्य ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता को जिनसे नाम उसी व्यापार चिह्न के बारे में प्रतिबंधित किया गया है, भेजेगा और रजिस्ट्री रजिस्ट्री के तीन मास के भीतर ज्ञापन में भी उसी अंतः स्थापित किया जाएगा।

94. प्रतिवेदन में परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रता का आवेदन - व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के परिवर्तन के लिए जो आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रता दरारा धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत दिया जाता है वह प्रस्तुत व्यायाम के पूर्व या भी यह दिया जाता है सना आधारित और जिन आधारित पर यह दिया जाता है उसका काम और हाल ही एक या प्रकार के एक व्यापार चिह्न के बारे में प्रतिवेदित किया गया है, भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की लिखित सम्मति के साथ किया जाएगा।

95. रजिस्ट्रीकरण उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का रद्द करना - (1) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत दिया जाता है तब रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण का रद्द करने के लिए आवेदन व्यायाम में प्रस्तुत प्रस्तर व्यायाम के पूर्व या भी यह दिया जाता है उसका काम और हाल ही एक या प्रकार के एक व्यापार चिह्न के बारे में प्रतिवेदित किया गया है, भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की लिखित सम्मति के साथ होगा।

(2) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ब) के अंतर्गत एक नागरिक के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण की दस्तावेज में रजिस्ट्रीरण रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता की प्रतिष्ठा को उस कालावधि के अंत पर रद कर देगा जल्द जो तय क्षण या सब मामले या सेवाएं उसने से हो जिनके बारे में
96. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की बाबत जानकारी मांगने की रजिस्ट्रा की शक्ति—(1) रजिस्ट्रा, किसी भी समय लिखित में सूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रतार्थी से यह अपेक्षा कर सकेगा वह उसे 51 की उपधारा (2) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करे और उस धारा की प्रक्रिया (2) के अनुसार कारवाई करे।

97. प्रविष्टि को परिवर्तित करने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया—

(1) रजिस्ट्रा, व्यापार रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रतार्थी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को (जो किसी भी दशा में आवेदन नहीं है) धारा 50 के अधीन सभी में आवेदन को अधिसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने का आशय रखता है वह रजिस्ट्रा को उस आवेदन की सूचना ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति के एक मामले भी भर्ती लेता है। वि.- यू में देखा और उससे साथ अपने मामले के आधारों का कायम रखा जाता है। तुरंत रजिस्ट्रा ऐसी सूचना और कथन की प्रतियां को नामांकन के मायक जारी करने, अभियंता आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रतार्थी पर, उस रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया में रहने वाले को विषयवस्तु है और अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अन्यायपारंपर उपयोक्ता या अनुमोदित उपयोक्ता जो भाग लेता है, करेगा या करायेगा।

(3) धारा 50 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में आवेदन और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति ऐसे समय या समय के भीतर जारी या जारी करे कि रजिस्ट्रा लिखता करे, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और रजिस्ट्रार प्रदाताओं को सूचि जाने का अवसर देने पर अधिकारी से नियुक्त आवेदन को प्रतिक्रियाप्रद नामांकन कर सकेगा या नामांकन कर सकेगा या ऐसी किफायती शर्तों पर संशोधन, या उसके प्रस्तावित मंत्रालयों या भागीदारों के अंतर्गत उसे प्रतियोगी नामांकन जिन्हें यह अधिसूचित करना ठीक समझता है और तदनुसार वह पदार्थों को लिखित में हटाता।

(4) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तित करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का रद्द करने धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ग) की मद (ि) से (ि०) तक में वर्तमान आधारों में से किसी पर किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार प्रस्ताव या वि.- यू में किसी सूचना और पृष्ठ किए गए मामले के कारण सहित विवाद करेगा और आवेदन का निर्णय करेगा और टदनुसार पदार्थों को लिखित हटाता।

98. रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता आवेदन—धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन व्यापार व्यापार या रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रतार्थी या ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसे द्वारा या तो रजिस्ट्रा का यह समाधान कर दे कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के लिए से रखने का हकदार है, प्रस्ताव वि.- वि. में से जो भी समुचित हो प्रस्ताव में दिया जायेगा और शपथ पत्र द्वारा या अन्य ऐसे साक्ष्य देने की अपेक्षा रजिस्ट्रार कर सकेगा जैसा कि उन
परिस्थितियों में ठीक समझता है जिनमें आवेदन किया गया है।

अध्याय-7
रजिस्टर का परीक्षण तथा संशोधन , रजिस्टर का परिवर्तन या परीक्षण

99. व्यापार चिह्न में परीक्षण या उसे रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन – रजिस्टर में व्यापार चिह्न से संबंधित किसी प्रतिष्ठित के करने, विलुप्त करने या परिवर्तन करने के लिए धारा 47, 57, 68, या 77 के अधीन जो आवेदन रजिस्टर को किया जाता है वह व्यापारिक प्रस्तुत व्यापा। वि.-ओ में तीन प्रतियों में किया जाएगा और आवेदक के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका मामला धारित है, और वह अनुशंसा जिसे वह चाहता है, को पूर्णतया उपयोगित करने वाला तीन प्रतियों में एक कथन उसके साथ होगा। जहाँ कि आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रता नहीं है, वह यह आवेदन और पूर्वक कथन तीन प्रतियों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दिया जाएगा। उस अनुश्या में, जिसमें कि रजिस्ट्रीकृत उपयोगका है ऐसे आवेदन और कथन के साथ उसकी उत्तरी अत्तिक्षित प्रतियों होगी जितनी रजिस्ट्रीकृत उपयोगका है। प्रत्येक आवेदन और कथन की एक-एक प्रति रजिस्टर द्वारा एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रता और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकाओं और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसके बारे में रजिस्टर को यह प्रतीत होता है कि उसका व्यापार चिह्न में हित है, साथारणतः एक मास के भीतर भेजेगा। आवेदन उसी रीति में संचालित किया जाएगा जो विशेष की सूचना के सत्यापन के लिए नियम 44 के उपनियम (इ) के खंड (1) के अधीन विधित है।

100. और प्रक्रिया-नियम 99 में वर्णित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रता दूराव कार्य कि से दो मास के भीतर या तुल विनाकार एक मास में अन्धीक या ऐसी और अवधि के भीतर वह रजिस्टर को प्रस्तुत व्यापा। वि.-ओ में चौ प्रतियों में उन आधारों का एक प्रतिक्षण भेजेगा जिस पर आवेदन के बारे में प्रति विरोध किया गया है और यदि वह ऐसा करता है कि जो रजिस्टर प्रतिक्षण की एक प्रति की तालीम सब्र आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर करेगा। नियम 99 में उल्लिखित आवेदन की प्राप्ति की सादेश तो तीन महीनों की अवधि के भीतर यदि कोई प्रतिक्षण फाइल नहीं किया जाता तो संशोधन हेतु आवेदक नियम 46 (1) के प्रतिक्षणों के तहत संशोधन हेतु अपने आवेदन के समय में साक्षात काफिल करेगा। नियम 47 से नियम 52 तक के उपचार इस आवेदन विषयक और कार्यवाहियों के संबंध में उसके पश्चात यथा-परिवर्तित रूप में लागू हो।

101. पश्चात दूराव मध्यस्थ–रजिस्ट्रीकृत स्वतन्त्रता से विन्यस्त व्यक्ति जो व्यापार चिह्न में संबंध में अपने हित, जिनके बारे में नियम 99 के अधीन आवेदन किया गया है, वह व्यापारिक करने के लिए इजाजत के लिए अपने हित का रस्म करने के प्रस्तुत व्यापा। वि.-ओ में आवेदन कर सकेगा और रजिस्टर संबंध पश्चात दूराव की सुनवाई करने के परामर्श (यदि ऐसा अपरीक्षित हो) ऐसी शर्तें और निवेदनों पर दे जाएं कि वह लागत की सूचना के लिए अधिष्ठित करना ठीक समझे ऐसी इजाजत देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी इजाजत

38
102. रजिस्ट्रार दुवारा स्वयंपर्यंत से रजिस्ट्रर का परिशोधन- (1) रजिस्ट्रार ऐसी सूचना की धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन देने अधिकृत है, रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी को प्रत्येक रजिस्ट्रिकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि व्यापार यिहन में उसका कोई हित है, लिखित रूप में भेजी जाएगी और इससे उन आधिकारिक को कथन किया जितन पर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रर का परिशोधन करने की प्रस्तावना करता है और उसमें ऐसी सूचना की तारीख से अन्यून से एक मास का वह समय भी विनिवेशित किया जाएगा जिसमें भीतर सुलनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा।

परन्तु इसके राजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी को कोई सूचना न मेली गयी हो, रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी में लिखित रूप में रजिस्ट्रिकृत के निरस्तकरण हेतु अनुरोध या सहमति दी हो, और तदनुसार रजिस्ट्रर संशोधित किया जाएगा।

(2) यह कि पूर्वभाग कृष्ण हो में विनिवेशित समय के भीतर, कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार अधिकृत किया गया है, रजिस्ट्रार को उन तथ्यों को देखते हुए, जिन पर वह सूचना में संकेत आधिकारिक को पूरा करने के लिए विश्वास करता है, विनिवेशित में कथन नहीं मेला है, या सुलनवाई किया जाने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यह समझाए जाएगा कि वह कार्यान्विताओं में मामला नहीं लेता वास्तविक और रजिस्ट्रार के तदनुसार कार्यवाह कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रर का परिशोधन करने या विनिवेशित करने है तो वह अपना विनिवेशित रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रिकृत या अनुरोध उपयोक्ता को यदि कोई हो लिखित रूप में संदिग्धता करेगा।

पते में परिवर्तन

103. रजिस्ट्रर में पते का परिवर्तन- (1) व्यापार विहन का वह रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी या रजिस्ट्रिकृत उपयोक्ता, जिनके यथार्थितक धारी का भारत में मुख्य स्थान का या स्वदेश का पता, इस भांति परिवर्तित हो गया है, जिससे कि रजिस्ट्रार में की प्रविष्टि अनुरुद हो गई है, रजिस्ट्रार से यह निवेदन प्राप्त व्या। वि.-पी में तत्काल करेगा रजिस्ट्रर में पते को समूचे रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बात को हो जाता है तो वह रजिस्ट्रर में तदनुसार परिवर्तित कर देगा।

(2) व्यापार विहन का रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी या रजिस्ट्रिकृत उपयोक्ता जिसका भारत में तामिल के लिए यह पता जो रजिस्ट्रार में प्रमित है, चाहे तो इस दावा कि प्रविष्टि पता अमल में नहीं रहा जो किसी अन्य कारण से इस प्रकार बदल गया है कि रजिस्ट्रार में यह प्रविष्टि अब तुम हो गई है, रजिस्ट्रार से प्राप्त व्या। वि.-पी में तत्काल यह निवेदन करेगा रजिस्ट्रर में की पते को समूचे रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का इस विषय में समाधान हो जाता है, जो वह तदनुसार रजिस्ट्रर में परिवर्तन कर देगा।

(3) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रिकृत स्वतंत्र धारी या रजिस्ट्रिकृत अथवा अनुरोध उपयोक्ता जिसके कार्यालय का भारत में मुख्य स्थान का पता जिसके स्वदेश का पता या भारत में जिसकी तामिल का पता लोक
प्राथमिकी दृष्टि ऐसे बदल दिया गया है कि परिवर्तित पते से भी बहु परिसर अभिषिक्त है जो कि रजिस्ट्रर में प्रविष्ट हैं, रजिस्ट्रर से व्यवहार. चित्र-6 में पूर्व में निवेदन करेंगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसके साथ उक्त प्राथमिकी दृष्टि दिए गए परिवर्तन का प्रमाणपत्र देगा। यदि रजिस्ट्रर का समाधान मामले में तथ्यों के संबंध में हो जाता है, तो वह रजिस्ट्रर में तदनुसार परिवर्तन करेगा, किंतु प्रत्येक पता देने वाली कोई फीस नियम 11 के उपनियम (2) या नियम 11 के उपनियम (2) के उपर्युक्त को होते हुए भी नहीं मांगेगा।

(4) (1) जहाँ कि रजिस्ट्रीकृत स्वातंत्र्यार्थी उपनियम (1), (2) या (3) के अधीन निवेदन करता है वहाँ यदि कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है या है तो वह निवेदन कि प्रति तामील उस या उन पर करेगा और तदनुसार रजिस्ट्रर को इतिलादेगा।

(1) जहाँ कि पूर्व में निवेदन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता दृष्टि किया होता है वहाँ वह निवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वातंत्र्यार्थी और पत्रकर अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं पर यदि कोई हो, करेगा और रजिस्ट्रर को इतिलादेगा कि उससे यह बात कर दी है।

(5) व्यक्ति को जो पता व्यापार चिह्न के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के भारत में तामील के लिए पते के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिवर्तित करने के मामले में रजिस्ट्रर प्रकृत्व व्यव. चित्र-6 में जिसे गार्डस के लिए उपयोग करने के लिए संशोधित कर लिया गया है उस व्यक्ति का वह आवेदन जो उस पते की बाबत है यह सिद्ध किया जाने पर कि कैसी पता आवेदक का पता है और उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रर का समाधान हो जाता है कि वैसे करना ठीक होगा, आवेदक के पते की प्रत्येक में समुचित विवरण उन विविधर्म रजिस्ट्रयरण में, जिनकी विशेषताओं प्रकृत्व में दी जायेगी उसे तामील के पते के रूप में करने के बारे में संबंधित और तदनुसार रजिस्ट्रर का संबंध होता है।

(6) जब तक कि अपेक्षा स्वयं परिवर्तितों में रजिस्ट्रर अन्यथा करने की अनुमति नहीं देता है, प्रकृत्व व्यव. चित्र-6 पर नियम के अधीन किया जाने वाले आवेदन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वातंत्र्यार्थी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता अथवा ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके दृष्टि अभिव्यक्त स्वयं प्रतिष्ठित अभिव्यक्त दृष्टि अभिव्यक्त होता है।

रजिस्ट्रर की शुद्धि

104. धारा 58 (1) के अधीन आवेदन- जहाँ कि धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन शुद्धि परिवर्तन रद्द करने या माल या सेवाओं को काट देने के प्रयोजन से या जापन की प्रविष्टि करने की हदसे से रजिस्ट्रर में परिवर्तन करने के लिए किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रर आवेदक से अपेक्षा कर सकेंगा कि आवेदक शपथ पत्र दृष्टि या अन्यथा ऐसा साधन है जैसा कि रजिस्ट्रर ठीक समझता है उन परिवर्तितों के बारे में जिन परिवर्तितों में आवेदन किया गया है ऐसे आवेदन प्रकृत्व व्यव. चित्र-6 में किया जायेगा और उसकी प्रति की तामील प्रशासनिक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रयरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं पर और ऐसे किए अन्य बातों पर जिनकी पाबंद रजिस्ट्रर से यह प्रति होता है कि वह व्यापार चिह्न में हित रखना वाला है, आवेदक दृष्टि की जाएगी।
105. रजिस्ट्रर व्यापार चिह्न में परिवर्तन - जहां कि कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन करता है, वहाँ वह अपना आवेदन प्रथम व्या. चि. - पी में लिखित रूप में करेगा और उस चिह्न की दो प्रतियां देगा जैसा कि वह ऐसा परिवर्तन करने का इजाजत लेने के पश्चात् प्रतीत होगा। आवेदन और इस भाष्ट्र संरचनित या परिवर्तित चिह्न की प्रति तामिल आवेदक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगका पर, यदि कोई से, कराएगा।

106. विनिश्चय और विरोध आदि के पूर्व विज्ञापन - (1) रजिस्ट्रार आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसे यह बात इतिफाक प्रतीत हो, तो आवेदन पर विनिश्चय करने के पूर्व उसे जनरल में विज्ञापित करायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास से अधिक ऐसी और कालावधि के भीतर, बैसी कि रजिस्ट्रार समनुगत करे, कोई व्यक्ति आवेदन का विरोध करने की सूचना प्रथम व्या. चि. - पी में दे सकेगा और उसके साथ अपनी आवश्यकताओं के काठामो भी देगा। सूचना और यदि कोई कमान हो तो तीन प्रतियां में भैज जाएंगे उस अवस्था में जिसमें प्रशासन पर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगका हां ऐसे सूचना और काठामो के साथ उनकी अपनी आवश्यकताओं भी होंगी जिन्हें कि रजिस्ट्रीकृत उपयोगका हां। सूचना और कान्ह व्यक्ति का एक-एक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत मुख्यवाहारी के और व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत या अनुमान उपयोगका को यदि कोई हो, तत्काल इस्तेमाल रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत मुख्यवाहारी अपने को ऐसे प्रतियों के सिलसिले से दो मास के भीतर उन आधारों वाला एक प्रतिकृत निर्देश प्रति व्योध का प्रतिविरोध किया गया है, रजिस्ट्रार को प्रथम व्या. चि. - और तीन प्रतियों में इस्तेमाल। यदि रजिस्ट्रीकृत मुख्यवाहारी ऐसा प्रतिकृत भेजता है तो रजिस्ट्रार उसकी एक प्रति तामिल विनिश्चय की सूचना देने वाले व्यक्ति पर एक मास के भीतर करायेगा और विनिश्चय पर होने वाली और कान्हवाहियों के संबंध में नियम 46 से लेकर नियम 52 तक के उपवर्धण यथार्थवायकृत रूप में लमूँ। रजिस्ट्रार आवेदन को ईवल इस कारण ही नामांकन नहीं देगा कि रजिस्ट्रीकृत मुख्यवाहारी ने प्रतिकृत फाइल नहीं किया है। जब कि उसका यह समाप्त नहीं हो जाता है कि प्रतिकृत फाइल करने में विचल व्यक्ति ले है और मामले की परिस्थितियों में नया संदर्भ नहीं ठहरता है। कोई पत्र कर रजिस्ट्रार में निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन उस दशा में कर सकेगा जिसमें किसी बाद विशेष कोई शक नहीं है।

(3) यदि उपनियम (2) में विनिष्ठित यथासमय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में सुनने के परामर्श जिससे कि आवेदक ऐसी इच्छा प्रकट करता है, आवेदक को मंजूर या नामांकन कर सकेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय को लिखित संस्चिप्पा देगा।

107. विनिश्चय-विज्ञापन-अधिकृति- यदि रजिस्ट्रार आवेदन को अनुज्ञा करने का विनिश्चय करता है तो यह रजिस्ट्रार में तदनुसार चिह्न परिवर्तित करेगा और जनरल में एक अधिकृति विनिश्चित कि चिह्न परिवर्तित कर दिया गया है।

108. वर्तनाम रजिस्ट्रीकृत के लिए पुनर्वर्गीकरण - (1) माल और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) का संशोधन होने पर, व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वरूप व्या.
चित्र-पी में आवेदन रजिस्ट्रार से अपने व्यापार चिह्न विषयक विनिर्देश का संपरिवर्तन करने के वातावरण कर सकेगा कि वह विनिर्देश संरक्षित वर्गीकरण के अनुरूप हो जाए।

(२) रजिस्ट्रार मान और सेवाओं के अंतर्गतीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) के अनुसार मान और सेवाओं के विवरण या वर्गीकरण, स्थापित करें संशोधन करें।

(३) यदि अनुमोदित को तो मान और सेवाओं का वर्गण या वर्गीकरण में संशोधन जरूरत में विज्ञापित किया जाएगा और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन के संबंधित रजिस्ट्रार की प्रतिष्ठा तदनुसार संशोधित की जाएगी।

अध्याय-८
प्रक्रियाएं

१०९. भौगोलिक उपदेशन का विशेष करने वाले व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन से इंकार करना और उसका अविश्वसनीय मान्यता करने - रजिस्ट्रेशन के व्यापार चिह्न के इंकार करने या उसका असह्य विषय संबंधित करने के लिए अनुमोदित हिन्दी व्यक्ति करना रजिस्ट्रार को मान्यता के बाध्यता के साथ एवं एक असह्य व्यक्ति के साथ, व्यापार चित्र-पी में किया जा सकेगा जिसमें:

(क) ऐसा मान या मालों के वर्ग या वर्गों की बाद ऐसा भौगोलिक उपदेशन अंतर्विस्त या संगठित होगा, जो किसी देश के राज्य क्षेत्र में या उस देश के किसी प्रदेश या तालाब में उपयोगिता होता है, जिसमें ऐसे भौगोलिक उपदेशन उपयोगिता होते है, यदि ऐसे मालों के लिए व्यापार चिह्न में ऐसे भौगोलिक उपदेशन का उपयोग ऐसी प्रकृति का है, जो व्यक्तियों की वातावरण उपयोग के स्थान के बारे में ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों के बारे में संदेह पैदा करता है या धर्मित करता है।

(ख) माल का भौगोलिक उपदेशन (रजिस्ट्रेशन और संगठन) अधिनियम, 1999 का (1999) का 48 अधिनियम (2) की अधिनियम (2) के अधीन अधिकृत माल या माल के वर्ग या वर्गों की पहचान करने वाले भौगोलिक उपदेशन अंतर्विस्त या संगठित हो।

११०. धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन एकल आवेदन- (१) जहां माल या सेवाओं की विभिन्न वर्गों के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन किया जाता है वहां उसमें अंतर्विस्त माल या सेवाओं के विनिर्देश में व्युत्कृत संबंध के साथ प्राप्त होने वाले लगातार संदेहसूक्ष्म क्रम में उन वर्गों को और माल या सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के अधीन सूची जो उस वर्ग के लिए संचालित हो उपविशिष्ट होगा।

(२) यदि किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए मूल आवेदन में अंतर्विस्त माल या सेवाओं के विनिर्देश होने वाले अनुमोदित में किसी वर्ग या वर्गों के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। रजिस्ट्रार
आवेदक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह यथा- विया.-एम में वर्गीकरण अनुसार को ठीक करे:

परन्तु सभी माल और सेवाएं निर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत अन्य वर्ग में आती हैं, रजिस्ट्रेटर प्राप्त यथा- विया.-एम पर अनुरोध फाइल करने पर वर्ग में परिवर्तन की अनुमति देगा।

(3) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्य लिखि गई आवेदनों को जब विज्ञापित करने के लिए आदेश दिया जाता है तब जनरल के पृथक खंड में उनको प्रकाशित किया जायेगा।

(4) रजिस्ट्रेटर धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे आवेदन की बातक जिसे पर रजिस्ट्रेटकरण के लिए कार्यवाही की जा चुकी है, रजिस्ट्रेटकरण का एकल प्रमाण पत्र जारी करेगा।

111. सम्बन्धित आवेदन- (1) जहां किसी एकल लिखित आवेदन के विभाजन के लिए धारा 22 के पर्यावरण के अधीन प्राप्त यथा- विया.-एम में कोई आवेदन किया जाता है, रजिस्ट्रेटर विद्वानसंघ पीस के अधीन तथा पृथक आवेदन को दो या अधिक पृथक आवेदनों में विभाजित करेगा।

(2) आवेदन के विभाजन के मामले में रजिस्ट्रेटर प्राप्तक विद्वानसंघ को रजिस्ट्रेटकरण के लिए पाराक्रामिक आवेदन के संबंध में फाइलिंग तारीख के साथ पृथक आवेदन मानेगा।

(3) विभाजन के संबंध में मूल आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा किसी कार्य के लिए कोई समय सीमा विभाजन की तारीख का विचार किए बिना विभाजन द्वारा सूचित प्रत्येक नए पृथक आवेदन को लागू होगा।

(4) आवेदन के विभाजन के मामले में जहां रजिस्ट्रेटर यथास्थिति अतिरिक्त पृथक नए क्रम संदर्भ या संख्यानुसार समुदाय करेगा और उपर्युक्त मूल आवेदन के साथ प्रतिनिधित्व करेगा।

(5) सबीर के निर्देश के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी एकल आवेदन को विभाजित किया जाता है कोई नया रजिस्ट्रेटकरण नहीं किया जाता है। इसके विपरीत कम आवेदन बहुत से ही फाइल किया जाता है उसको पृथक-पृथक फाइल में नवल पृथक किया जाता है। विभाजित किया जाता है।

112. समय बढ़ाना- (1) धारा 131 के अधीन ऐसे समय के बढ़ाने के लिए (जो अधिनियम में अर्थात्वकित रूप से उल्लिखित या निम्न 86 या निम्न 87 के उपनियम (4) द्वारा विनियमित समय नहीं है, या जो ऐसा समय नहीं है जिसके विस्तार के लिए नियमों में उल्लिखित किया गया है) प्राप्त यथा- विया.-एम में किया जायेगा।

113. रजिस्ट्रेटर की वैधस्थानिक शक्ति का प्रयोग- वृत्तिक के अधीन आवेदन का अस्तर पाने के लिए धारा 128 के अधीन हकदर्श तथ्यांत मूल समय के अंदर ऐसा बताया विषय कि उसकी सुनवाई की जाए अपेक्षा करने की बात के प्रति विश्वसनीय कारण भेजो। वह समय, अधिनियम या नियमों में अर्थात्वकित रूप से अधिकारिक उल्लिखित के सिद्धांत है उस सुनवाई की तारीख से एक वर्ष का समय होगा जो सूचना के लिए आवेदक के स्वयं का समय होगा जो सूचना के रजिस्ट्रेटर उस समय पर अपना अध्यापित करने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को देगा जिस विषय के प्रति निर्देश न सुनवाई के लिए ऐसा व्यक्ति हकदर्श है। यदि ऐसा व्यक्ति अपनी सुनवाई की जाने की अपेक्षा उस मास के अंदर कर देता है तो रजिस्ट्रेटर सुनवाई के लिए तारीख नियम करेगा और उसको उसके दस दिन की सूचना देगा।
114. विनियम की अधिसूचना - अधिनियम या नियमों द्वारा जो कोई वैवेकिक रासिद्ध रजिस्ट्रार को दी गई है उसके प्रयोग में किया गया रजिस्ट्रार का विनियम उस व्यक्ति को अधिसूचित किया जाएगा जिस पर प्रभाव पड़ता है।

115. प्रक्रिया विषयक अनिवार्यताओं का संशोधन और परिवर्तन - (1) व्यापार चिह्न के किसी दस्तावेज में या प्राप्तियों या अन्य सामग्री में संशोधन किया जा सकेगा और प्रक्रिया में हुई ऐसी किसी अनिवार्यता का, जो रजिस्ट्रार की यह राय में किसी व्यक्ति के हितों को हानि पहुँचाए बिना दूर की जा सकेगी, यदि रजिस्ट्रार ऐसा करना उचित समझता है, परिमापित की जा सकेगी, तो ऐसे निर्देशनों पर, जैसा कि वह निदेश दे।

(2) रजिस्ट्रार किसी आवेदन या व्यापार चिह्न की सामग्री को या किसी अन्य दस्तावेज को अधिनियम को यथार्थ अपेक्षाओं के अनुसार करने के लिए उसे संशोधित करने की या परिवर्तित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

116. अन्यथा विचित्र न किए गए निदेश- जहां कि रजिस्ट्रार की यह राय है कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन के उचित अभिव्यक्ति या उनकी सुसंगति के लिए यह बात ऐसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह ऐसा करे, ऐसी दस्तावेज फाइल करे या ऐसा साहित्य पेश करे जिसके विषय में कोई उपच्चार अधिनियम या नियमों में नहीं दिया है, तो रजिस्ट्रार लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति चूँचना में रिभित करवाये रे दस्तावेज फाइल करे या साहित्य पेश करे।

117. धारा 115(4) के अधीन रजिस्ट्रार की राय- (1) जहां धारा 115 की उपधारा (4) के परलोक के अधीन उसकी राय के लिए रजिस्ट्रार को कोई मामला निर्देशित कर दिया गया है वहाँ ऐसी राय को निर्देशित करने वाले प्राधिकारी को ऐसी विचित्र सूची-क्रम के आवश्यक निर्देश के साथ दिने के लिए फ्रीज बंद निर्देशन में अनुसूचित कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार कम निर्देशित मामले में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) इस नियम के अधीन राय, रजिस्ट्रार या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी और अनिवार्य प्राधिकारी का नाम जनरल में प्रकाशित किया जाएगा।

118. सूत्रबाई- (1) उस व्यापार चिह्न के संबंध में जिसके रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन अधिसूचित तारीख को या तत्पश्चिम में निर्देशित किया जाता है, उस आवेदन की सूत्रबाई और साथ ही अधिनियम या नियमों के अधीन तद्दृष्टिकोण कोई कार्यवाही उस दशा में, जिसमें कि सूत्रबाई आवश्यक हो जाती है, उस व्यापार चिह्न रजिस्ट्रिकरण कार्यालय, जिसमें कि ऐसा आवेदन धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन किया गया था, या उस स्थान जो कि उस कार्यालय की होती है अधिकारिक तरह से है, जहाँ वह होता है रजिस्ट्रेटर उचित समझता है।

(2) उस व्यापार चिह्न के संबंध जिसके रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार के समग्र अधिसूचित तारीख को लें, उस आवेदन की सूत्रबाई या अधिनियम या नियमों के अधीन तद्दृष्टिकोण
कोई कार्यवाही, यदि कोई हो, समृद्धि व्यवापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, मे से वहाँ होगी जहाँ कि उसका होना रजिस्ट्री उचित समझा है।

(3) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में जो व्यापार चिह्न, अधिसूचित तरीक़े की घड़ी हुआ है, अधिनियम और नियमों के अधीन तद्विषयक कार्यवाही के सिस्तिस्तों में सुनवाई, यदि कोई हो समृद्धि व्यवापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय या उस स्थान, जो कि उक्त कार्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर है, मे से वहाँ होगी जहाँ कि उसका होना रजिस्ट्री उचित समझा है।

(4) रजिस्ट्री के शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिस पदाधिकारी ने अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले को सुन लिया है और उस पर आदेश बदल में देने के लिए उसे अपने राज्य रख लिया है, जहाँ कि उसकी बदल से एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से दूसरी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को हो जाती है या उस पर आदेश देने या विनियम करने से पूर्व वह दूसरी लियुकित पर वापिस चला जाता है वहाँ यदि रजिस्ट्री ऐसा लियुकित देता है तो वह, जैसे ही आदेश देने या विनियम करने पर वह उस अवस्था में देता है या करता जिसमें कि वह उस रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पदाधिकारी बना रहता जहाँ कि मामले के सुनवाई हुई थी।

रजिस्ट्री द्वारा खर्च का दिलवाला

119. जिस मामले में प्रतिविरोध नहीं किया गया है, उनमें खर्च – जहाँ नियमों के अधीन संज्ञानपण संस्थित किसी विरोध का प्रतिविरोध आवेदक द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ रजिस्ट्री यह विनियम करने में कि क्या खर्च विरोधी को दिलवाया जाना चाहिए, इस बात पर विचार करेगा कि विरोध की सुचना से फाइल किये जाने के पूर्व यदि आवेदक को विरोधी मुनितिपुल सुचना दे देता तो क्या कार्यवाहियाँ न होती।

120. नियम 119 का अपवाद – नियम 119 में किसी बात के होते हुए भी पहले अनुसूची की प्रविष्टियाँ 10, और 11 के अधीन विनियमित पीस और कार्यवाही में दिये गए शपथपत्रों पर लगे और चिपकाए गए सभी मूलभूत लेख के हुआ खर्च के अनुसार होगा।

121. खर्च का मापामान – छहीं अनुसूची में उसके लिए अनुसूची रकम से अधिक ऐसे खर्च रजिस्ट्री, अपने समह वाले सभी कार्यवाहियों में दूसरे अवस्था के सिस्टिस्तों जिसमें कि अधिनियम प्रस्तुत अनुसूची अभिव्यक्त स्रोत उपबंधित है नियम 119 और 120 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिलवाए जिसे वह मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करके मुनितिपुल समझा है।

रजिस्ट्री द्वारा विनियम का पुनर्परिवर्तन

122. रजिस्ट्री के विनियम के पुनर्परिवर्तन के लिए आवेदन – रजिस्ट्री के विनियम का पुनर्परिवर्तन करने के लिए धारा 127 के उप खण्ड (g) के अधीन उससे आवेदन ऐसे विनियम की तारीख से एक मास के अंदर या
तपश्चात एक मास से अधिक इतनी अपर वालावधि के अंदर, जिसकी कि रजिस्ट्रार अपने से की गई प्रार्थना पर सम्मानित करे, प्रथम यथा, विश. -एम में दिया जायेगा, और उन आधारों वाला, जिन पर पूर्ववीरोक चाहा गया है, एक कथन उनके साथ होगा। जबंकि प्रसन्नपद विविधतय आवेदक के अवसर किसी अन्य व्यक्ति से भी सम्मुख्त है, वहाँ ऐसे आवेदन और कथन की तीन प्रतियाँ दी जाएंगी और रजिस्ट्रार आवेदन और कथन की एक-एक प्रति अन्य सम्मुख्त व्यक्ति को तत्क्षण भेजेगा। रजिस्ट्रार, पत्रसारों को सुनें जाने का अवसर देने के अवसर आवेदन को या तो सम्मान देने या बिना दान के या ऐसी किसी शर्त का या मम्मल के अधीन जैसी कि वह ठीक समझता है, उसे मंजूर कर लेना।

शपथ पत्र

123. शपथ पत्रों के प्रथम आदि-(1) अधिनियम और नियमों के अधीन जिन शपथ पत्रों की बात कह अपेक्षित है कि वे व्यपार में विहन रजिस्ट्रार में फाइल किया जाय या रजिस्ट्रार को दिये जाएं, वे उस सूचना में के संबंध, जिसमें कि दिशितीय अनुसूची में अन्यथा उपचारित हैं, उस बात या बातों वाले शर्यतक से होंगे, जिससे या जिनसे कि वे सब है उत्तर व्यक्ति से लिखे होगे हैं, जब वे अनुसूची नियमों में विबंधित होंगे और प्रत्येक पैर यात्रा या व्यक्ति के बात तक परिवर्तित होगा और प्रत्येक शपथ पत्र में उसे लेने वाले व्यक्ति का अधिवकरण और उसका शर्यत का व्यक्ति दिया गया है। उसे फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया होगा और उसमें नाम और फाइल किया गया है।

(2) जब कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शपथ पत्र में सम्मिलित होते हैं तो उनमें से प्रत्येक पूर्णतः ऐसे तथ्यों का अधिलक्ष देना जो उसके लिए जाना हैं और वे तथ्य यूथ-पृथक पैरों में दिये जाएंगे।

(3) शपथ पत्र-(क) भारत में ऐसे किसी न्यायालय के या व्यक्ति के समक्ष, जिसे साध्य लेने या प्राधिकार विधि दुरवाद दान या मामूल देने या तथ्य के लिए या सत्य के लिए या तथ्य के लिए सत्यकार तथ्य के समक्ष व्यक्ति शपथ पत्र कारण के लिए सत्यकार करेंगे।

(ख) भारत के बाहर किसी देश या स्थान में राजनीतिक और काउंसलियर अफिसर (शपथ और फोस्टर) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अंत्र में ऐसे देश या स्थान के राजनीतिक या काउंसलियर अफिसर के समक्ष में देने या स्थान के लेखन प्रमाणक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष, किसी जाएंगे।

(4) इस व्यक्ति के सामने शपथ पत्र किया जाएगा, वह उस लालच बोल, जो पर और उस स्थान को, जहाँ शपथ पत्र किया गया है, लिख देवा और पैदा उसकी अपनी मुद्दा है, तो उस से उस पर लगाएगा या उस न्यायालय की मुद्दा लगाएगा जिसीसे वह संलग्न है और उस के अंत में अपना नाम और अधिवकरण देकर हस्ताक्षर करेंगे।

(5) उस शपथ पत्र को जिस की बात है एक व्यक्ति द्वारा प्रकट कि वह उस शपथ के समक्ष किया गया है, जो शपथ पत्र करने के लिए अधिनियम (3) द्वारा प्राधिकृत है, ऐसे व्यक्ति की मुद्दा लगी है या हस्ताक्षर किया है, रजिस्ट्रार उस मुद्दा के हस्ताक्षर के असल होने का या उस व्यक्ति की पतीय हैसियत की शर्त किया गया कर सकेगा।

(6) परिवर्तन और पंक्तियों के बीच लिखी वालों को इसके पूर्व कि शपथ पत्र सारण लेकर या प्रतिज्ञान
करके किया जाए, उस व्यक्ति के आद्यावासी दूसरा अभिप्रार्थित किया जाएगा, जिसके समाक्ष शपथ पत्र किया गया है।

(7) जहां कि अभिसाक्षकता निरीक्षा, अंधा या उस बारे से अपरिवर्तित है जिसमें शपथ पत्र लिखा गया है, वहां शपथ कराने वाले व्यक्ति दूसरा या प्रमाणपत्र कि शपथ पत्र उसके समाक्ष अभिसाक्षकता के प्रदर्शन सुनाया गया, उसके बारे में उसका अनुवाद किया गया या उसकी व्यवहार की गई और यह प्रतीत हुआ कि अभिसाक्षकता उसे पूर्णतः समझता है और यह कि अभिसाक्षकता में मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए या चिह्न बनाया शपथ पत्र के निचयते भाग में दिया होगा।

(8) अधिनियम या नियमों के अधीन वाले किसी कार्यवाहियों के संबंध में जो शपथ पत्र रजिस्ट्रिक के समान फाइल किया जाता है वैसा प्रयोग शपथ पत्र तत्समय प्रभावित विधि के अनुसार लगावे वाले मुद्राक पर होगा।

जनता दूसरा दस्तावेजों का निरीक्षण

124. दस्तावेजों का निरीक्षण— धारा 148 की उपधारा (1) में वर्णित दस्तावेज निरीक्षण के लिए व्यवाय चिह्न रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रियर दूसरा यथा निष्ठा समय पर सभी कार्य दिवसों में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के क्रममान पर उपलब्ध होगे।

प्रमाणपत्र

125. दस्तावेजों का प्रमाणित प्रतियाँ— रजिस्ट्री में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिया या धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रियर के किसी विविध या आदेश की प्रमाणित प्रतिया या धारा 23 की उपधारा (2) के अंदर वाले प्रमाण पत्र से मिलन प्रमाण पत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि बात या चीज से सम्बन्ध है जिसे कि रजिस्ट्रियर, अधिनियम या नियमों दूसरा करने के लिए आवश्यक या अपेक्षित है, रजिस्ट्रियर विहित फीस सहित उसके लिए किसी व्यक्ति दूसरा प्रति प्रवक्ता व्यय, च. - एम में किया गए अनुरोध के साथ प्रमाण प्रमाणीयों में उल्लिखित फीस के क्रममान पर दे सकेंगे।

परंतु रजिस्ट्रीर उपयुक्त विहित प्रमाणित प्रतियों को उसकी समस्त क्रममान फीस के पांच गुणीयों के संस्तव पर उस आश्य के लिए प्राप्त प्रति प्रवक्ता व्यय, च. - एम में आवेदन पर तीसरा कारवार दिवस के भीतर शीघ्रता से दे देंगे।

126. अंतरराष्ट्रीय अस्तव्याहारी नामों को अधिसूचित करने की रजिस्ट्रियर की शक्ति— रजिस्ट्रियर धारा 13 की उपधारा (ब) में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय अस्तव्याहारी नामों के रूप में विशेष स्वास्थ्य संगठन दूसरा जो शरीर घोषित किये जाते हैं उन्हें जरुरत में समय—समय पर प्रकाशित कर सकेंगा।

127. रजिस्ट्रियर दूसरा सुनात व्यवाय चिह्न का निर्धारण— (1) कोई व्यक्ति प्रति प्रयत्न व्यय, च. - एम में किया गए आवेदन और प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के क्रममान के बाद रजिस्ट्रियर के समझ किसी व्यवाय चिह्न
विधिमान्यता का प्रमाण पत्र

130. विधि मान्यता के प्रमाण पत्र का नोट लिया जाना— (1) जहां कि बीचौंक सम्पदा अपील बोर्ड ने रजिस्ट्रेटक व्यापार विधेयक मान्यता के संबंध में, प्रमाण पत्र 141 में व्याख्यात रूप में दिया है, वहां उसका रजिस्ट्रेटक व्यापार विधेयक रजिस्ट्रर से प्राप्त व्यापार विधेयक से दिया गया था, उसे यह नोट कर सकता है कि रजिस्ट्रर में की प्रविष्टि में यह दिखाई देता है कि विधिमान्यता का प्रमाण पत्र, जिसकी विशिष्टियां निवेदन में दी जाएँगी, कार्यवाहियों के दौरान अनुमति किया गया है। प्रमाण पत्र की जो प्रति राजकीय रूप से प्रमाणित है वह इस नोट के साथ भेजी जाएगी और रजिस्ट्रर रजिस्ट्रर में उस आशय का एक दिखाई अभिलिखित करेगा और उस दिखाई का अर्थ में प्रकाशित करेगा।

अभिलिखित के संप्रदाय और नया को प्राप्त करना

131. प्रदर्शण लौटाना— जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी मामले में या य़ा भायाहों में देश के प्रदर्शण से निर्वाचित व्यापार विधेयक कार्यवाही में आगे के लिए आवश्यकता नहीं रहती वहां रजिस्ट्रर संबंध पक्षकार को समाहत कर सकता कि प्रदर्शण रजिस्ट्रर द्वारा विनिवेशित समय के भीतर वापिस ले जाएं और यदि पक्षकार दैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्शण लौट दिए जाएँगे।

(2) जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी मामले में देश के रजिस्ट्रर द्वारा विनिवेशित समय के भीतर पक्षकार को प्रदर्शण की पूर्व अन्वेषण किसी भायाहों में देश के प्रदर्शण द्वारा विनिवेशित समय के भीतर पक्षकार को प्रदर्शण की पूर्व अन्वेषण किसी भायाहों में देश के प्रदर्शण
132. अभिलेखों का नष्ट किया जाना- जहां कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्ताव/ईनाम या खारिज कर दिया जाता है या कोई व्यापार चिह्न रजिस्टर से हटा दिया जाता है या विरोध या परिशोधन कार्यवाही में उस विषय को समाप्त कर दिया गया है और वृद्धि समपटा अर्थात बोर्ड के संस्थापक अधीन लिखित नहीं है वहाँ रजिस्ट्रा यथास्थिति आवेदन के प्रस्ताव या परिवर्तन या खारिज किए जाने के पश्चात् या रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाए जाने के पश्चात् या विरोध या परिशोधन कार्यवाही के बंट हो जाने के पश्चात् (तीन वर्ष की समाप्ति पर आवेदन, विरोध या परिशोधन या उस संबंध व्यापार चिह्न से संबंधित सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा।

भाग-2
सामूहिक चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

133. सामूहिक चिह्नों का लागू होने वाले नियम- इन नियमों के भाग 1, के उपबंध सामूहिक चिह्नों को, वहाँ तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होगे।

(134) रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और तत्त्वांशिक कार्यवाही- (1) माल और सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन रजिस्ट्रे से प्रस्तुत व्यापक चिह्न-अ पर प्रारूप विनियमन के उपर विशेष रूप में दाखिल किया जाएगा।

(2) माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्रतिवाद करने विषय को निर्देश नियमों के भाग 1 में है उनके स्थान में वहाँ जहां तक कि सामूहिक चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का संबंध है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध कार्यवाही करने के प्राधिकार विषय भी है।

(3) सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सब प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, वह समझा जाएगा कि वह पता उनके कार्यालय का भारत में के यूरोप स्थान का पता है।

(4) सामूहिक चिह्नों को शास्त्रीय उपलब्धि के लिए विनियमन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनियमन होगा: --

(क) माल के संगम का नाम और उनके अन्य कार्यालय के पते;
(ख) संगम के उदेश्य;
(ग) सदस्यों के बोर्ड;
(घ) सदस्यों के लिए शर्त और उस समय से प्रत्ये रजिस्ट्रे का संबंध;
(ङ) चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और सामूहिक चिह्न के उपयोग पर आवेदन के निर्देश की प्रकृति;
(य) सामूहिक चिह्न के उपयोग को शासित करने वाली शर्तें जिसके अंतर्गत मंजूरियाँ भी हैं;
(झ) सामूहिक चिह्न के उपयोग के विस्तृत अथवा के लिए व्यवहार में लाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो रजिस्ट्रेशन दुर्बार मांगी जाएं

135. आवेदन के साथ मामले का कथन- आवेदक अपने आवेदन के साथ उन आधारों वाला जिसका वह अपने आवेदन के समय में सहायता लेता है मामले का कथन रजिस्ट्रेशन को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन दो प्रतियों में दिया जाएगा।

136. परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रेशन और नवीकरण- (1) व्यापार चिह्न के परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रेशन और नवीकरण से संबंधित प्रावधान अपने आप सामूहिक व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

137. सामूहिक चिह्नों और उनके नवीकरण से संबंधित विनियमों का संशोधन- (क) धारा 66 के अधीन विनियम के अंतर्गत संशोधन के लिए सामूहिक चिह्नों के रजिस्ट्रेशन संस्थानीय दुर्बार आवेदन प्रस्तुत करेगा। चि. -एम में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रेशन ऐसे कोई संशोधन को असंभव करता है वहाँ वह ऐसे आवेदन को जरूरत में विज्ञापित करेगा और मामले में आगे कार्यवाहियाँ नियम 43 से लेकर नियम 52 दुर्बार शासित होंगी।

(ख) सामूहिक चिह्न समय-समय पर नवीकृत किए जाएं तथा नियम 58 से लेकर नियम 62 के उपबंध के नवीकरण के लिए ऐसे निवेदन की बाबत यथा परवरितित लागू होंगे।

138. सामूहिक चिह्न का हटाया जाना- सामूहिक चिह्न के हटाया जाने के लिए आवेदन धारा प्राप्त व्यप.चि.-ओ में किया जाएगा और उन आधारों की विशिष्टियाँ होंगी जिन पर आवेदन दिया जाता है। इन नियमों के नियम 99 से 102 तक के उपबंध मामले में आगे कार्यवाहियाँ के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भाग-3
प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

139. प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों पर लागू होने के लिए नियम-इन नियमों के भाग 1, भाग 4 और भाग 7 के उपबंध प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों को, वहाँ तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

140. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और तत्त्वांशिक कार्यवाहियाँ- (1) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के माल
(2) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रड़करण के लिए आवेदन का प्रतियोगण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग में हैं उसके शुरुआत से बांटा तक यदांतक भगत रजिस्ट्रडकरण व्यापार चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का सवाल है वे निर्देश रख दिए जाएँ जो कि आवेदन के संबंध में कार्यांवयश करने के प्राधिकार विषयक है।

(3) प्रमाणिकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रडकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सभी प्रयोजनों के लिए जिनका लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, वह समझा जाएगा कि वह पता उसके कार्यांवयश के भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(4) प्रमाणिकरण व्यापार चिह्न को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बालों के साथ-साथ निम्नलिखित विनियम दिया गया है:

(क) आवेदक का वर्ण;
(ख) आवेदक के कार्यांवयश की प्रकृति;
(ग) अधर एड़ी, तकनीकी मामला शक्ति समस्त जैसी अवसारणी की विशिष्टता;
(घ) प्रभावण सभी की प्रशासित करने अवशेष की भागता;
(ङ) आवेदक के विद्वान व्यवस्था;
(च) आवेदक से वचनबद्धता कि यदि वे विनियमों में अधिकृत अवशेष का पूरा करते हैं तो पदकर्मी के कार्य भी भेदभाव नहीं किया जाएगा;
(छ) चिह्न के संबंध प्रमाणित माल में या प्रमाणित सेवा प्रदान करने के संबंध में संकेत देगा;
(ट) भारत में चिह्न के उपयोग को मौजूदा करने की रैल; और
(ढ) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टताओं जो रजिस्ट्रड द्वारा मांगी जाएं।

141. आवेदन के साथ मामले का कथन— (1) आवेदक अपने आवेदन के साथ उप आधारी वाला, जिनका वह अपने आवेदन के समय में सहायता लेता है, मामले का कथन रजिस्ट्रड को भेजेगा। मामले का ऐसा कथन दो प्रतियों में दिया जाएगा।

142. परीक्षा, सूचना, विरोध, रजिस्ट्रडकरण और नवीकरण— (1) व्यापार चिह्न के परीक्षा, सूचना, विरोध, रजिस्ट्रडकरण और नवीकरण से संबंधित उपबंध अपने एप्प्राणिकरण व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

143. प्रमाणिकरण व्यापार चिह्न का परित्याग— प्रमाणिकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रडकरण के उपबंध या परित्याग के लिए आवेदन धारा 77 में वर्णित आधारों से से किसी पर प्रस्तुत व्यापार चिह्न को किया जाएगा और उसमें उन आधारों की विश्वसनीयता जिन पर आवेदन किया गया है, उपवर्तित होता। नियम 99 से नियम 102 तक के उपबंध आवश्यक परित्याग सहित मामले की कार्यांवयश में लागू होंगे।
144. निषेधित विनियम का परिवर्तन और प्रभावीकरण व्यापार चिह्नों के समन्वयन और संप्रभु के वास्तव रजिस्ट्रेटर की सम्मति- (1) निषेधित विनियम के परिवर्तन के लिए पाठ 74 की उपाधि (2) के अधीन प्रभावीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेटगृह स्वतंत्रता द्वारा आवेदन प्रस्तुत व्या. पि. 3 में किया जाएगा और यह रजिस्ट्रेट ऐसे परिवर्तन की आज्ञा देने वाले विनियम से विवशिष्टख निहित रहे। वह आवेदन लेने वाले में विज्ञापित किया जाएगा और समय में आगे कार्यवाहिय नियम 43 से लेकर नियम 52 द्वारा शासित होगी।

(2) पाठ 43 के अधीन प्रभावीकरण व्यापार चिह्न के समन्वयन और संप्रभु के लिए रजिस्ट्रेट की सम्मति के लिए आवेदन प्रस्तुत व्या. पि. -पी में किया जाएगा।

भाग-4
व्यापार चिह्न के अभिक्रियाओं का रजिस्ट्रेटकरण

145. व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं का रजिस्ट्रेट- व्यापार चिह्नों के अभिक्रियाओं का एक रजिस्ट्रेट रखने जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रेटकृत व्यापार चिह्न के अभिक्रियाओं का नाम, निवास स्थान का पता, काराबास का मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रीयता, अहिताएं और रजिस्ट्रेटकरण की तारीख प्रकर्षण की जाएगी।

146. विद्यमान रजिस्ट्रेटकृत व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं, आवार संहिता आदि रजिस्ट्रेटकरण- (1) नियम 150 में किसी बात के होते हुए एक भी प्रत्येक व्यापार चिह्न या नाम पुरुषों विधि के अधीन रखे जाने वाले व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं रजिस्ट्रेट में लिखा है, यह समझा जाएगा कि वह इस नियमों के अधीन व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं के रूप में रजिस्ट्रेटकृत है।

(2) रजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रेटकृत व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं को हमें रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक आवार संहिता जरूरत में प्रकटित कर सकेगा।

147. रजिस्ट्रेटकरण के लिए आदेश- यदि कोई व्यक्ति- (1) भारत का नागरिक है;
(1.1) आयु में 21 वर्ष से कम नहीं है;
(1.3) भारत के किसी विभाग द्वारा का स्नातक है या तत्समान आदेश रखता है नियम 151 में विहित परिक्षा में उत्तीर्ण हो पुका है या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधिकृतता एक अधिवक्ता है;
(1.4) रजिस्ट्रेट द्वारा व्यापार चिह्न अभिक्रियाओं के रूप में रजिस्ट्रेटकृत होने के लिए योग्य और उद्देश्य व्यक्ति अधिकृत अहित समझ हो गए।

148. यदि व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेटकरण विवर्धित है- यदि कोई व्यक्ति- (1) सरकार व्यापार द्वारा विकृत चिह्न या व्यायामनिर्णय कर दिया गया है, तो
(1.1) अदालत में दिया गया है, तो
iii) उन्मुक्त दिवालिया होते हुए उसमें न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि अभियोगी और से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था, तो।
(iv) भारत के अंचल या बाहर स्थान, न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जो कि निर्वाचन या कारावास से दंगी समझाता है तो जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है उसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल गई या जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने उस किए गए आवेदन पर उसकी निर्मलता इस निम्नित्व आदेश द्वारा हटा नहीं दी है, तो।
(v) विवेच न्यायाधीश होते हुए बृहत संबंधी अवचार का दोषी भारत में किसी उच्च न्यायालय द्वारा या भारत की सीमाओं से बाहर गए विवेच न्यायालय द्वारा ठहराया है तो।
(vi) चार्टर प्राप्त लेखापेल होते हुए अपेक्षा या अवचार का दोषी उच्च न्यायालय द्वारा ठहराया गया है तो।
(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यापार विभाग अभिलक्ष्य होते हुए कृतिकेय अवचार का दोषी रजिस्ट्रीकृत द्वारा ठहराया गया है तो।

149. आवेदन करने की रूटि - इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन तीन प्रतियाँ में किए जाएंगे, और उस व्यापार विभाग रजिस्ट्री को मोजें या उसमें उपस्थित किए जाएंगे जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक के कारकार का मुख्य स्थान अवस्थित है।

150. व्यापार विभाग अभिलक्ष्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) व्यापार विभाग अभिलक्ष्य के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण भरने वाला प्रथम व्यक्ति प्रथम व्यवस्था. वि. -जी में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, आवेदन पर वहन ऐसी और सूचना प्रस्तुत करेगा जो रजिस्ट्रीक द्वारा किसी समय पर अपेक्षित हो।

151. आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएँ - (1) रजिस्ट्रीकरण व्यापार विभाग अभिलक्ष्य के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी तारीख नियत करेगा जिस पर अवचारी व्यापार विभाग विवेच और प्राप्ती विवेचक विवेचित परीक्षा के लिए जिसके उपरांत साक्षात्कार होगा रजिस्ट्रीकरण के समक्ष उपस्थान रहना यदि रजिस्ट्रीकरण का ऐसा सम्बन्ध हो जाता है कि आवेदक विवेचित अर्हताएँ पूरी करता है। अर्हताएँ से यह प्राप्तवेश की जाएँ कि उसे अधिनियम और नियमों के उपबंधों का बिस्तार से जान और व्यापार विभाग विवेच विवेच के तत्त्वों का जाना हो।

(2) विवेचित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक विवेचक, प्रतिष्ठान और प्रभाव प्रतिष्ठान द्वारा और अंकसंख्या को उस दशा में ही उल्लिखित सूचना किया जाएगा यदि वह कुल अंको का साथ प्रतिशत कुल मिलाकर प्राप्त कर लेता है।

53
152. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र- किसी अभियंता के साक्षात्कार के पश्चात और जो उसके आवेदन से संबंधित कोई ऐसी और जानकारी की रजिस्ट्रीकरण आवश्यक समझे अभिप्राप्त हो जाती है और यदि रजिस्ट्रीकरण आवेदक को व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पत्र और अधिष्ठेन समझाता है तो वह आवेदक को इस आवेदन का प्रतिप्रदेश भेजेगा और इस प्रकार प्रसाधित कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए विषयी फीस जमा कर सकेगा। विषयी फीस की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण आवेदक का नाम व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रजिस्ट्रीकरण में प्रविष्ट करा देगा और व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रूप में उसको रजिस्ट्रीकरण का प्रस्तुत और-4 में उसको एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

153. व्यापार चिह्न के अभिकल्पकों के रजिस्ट्री में नाम बना रहना- व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रजिस्ट्री में व्यक्ति ने प्रस्तुत कर दिया होता है और वह प्रथम अनुसूची में विषयी फीस देता रहे।

154. व्यापार चिह्न के अभिकल्पकों के रजिस्ट्री का नाम हटाया जाना- (1) रजिस्ट्री एस ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के नाम का व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रजिस्ट्री से हटा सकेगा।
   (क) जिससे इस आश्वासन की प्राप्ति मिली है, या
   (ख) जिससे उस तरीके से, जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है, तीन मास की समाप्ति पर वार्षिक फीस प्राप्त नहीं हुई है।

   (2) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के ऐसे अभिकल्पकों का नाम व्यापार चिह्न के अभिकल्पकों के रजिस्ट्री से हटा देगा।
   (क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण के समय नियम 151 के खण्ड (i) में लेखा खण्ड (vii) तक में कार्यकर्ता नियंत्रीयता में से किसी के अधीन है या तत्प्रतिकार हो गया है; या
   (ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्री ने इस कारण कि उसके अपनी कृतिक हैलिटेट में उपेक्षापूर्ण अवधारणाएँ, या बेडमानी की कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि वह व्यक्ति रजिस्ट्री में रहने रहने के लिए अधिकार और अनुचित रूप से है; 
   (ग) रजिस्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त या तालिका के प्रमाण प्रविष्ट कर दिया गया है।

परन्तु खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण संबंध होकर कह सके संदर्भित करेगी कि उसके रजिस्ट्रीकरण को अपधारित कर न कर दिया जाए और वह ऐसी अपने जान भी, यदि कोई हो, करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

(3) रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रजिस्ट्री में से ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकल्पकों का नाम हटा देगा जो मूल दोहरा हुआ है।

(4) वह बात कि व्यापार चिह्न अभिकल्पकों के रजिस्ट्री में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है जरूरत में अधिकृत की जाएगी और जहाँ भी संभव हो उसकी संसूचना संबंध होकर दी जाएगी।
155. कितिपथ अभिक्षिताओं के साथ त्यवहर करने से इंकार करने की रजिस्टर की शक्ति—

(1) रजिस्टर—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की जो व्यापार चिह्न अभिक्षित के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्टर की दस्तावेज में उस व्यक्ति के नाम में या उसके प्रत्येक के लिए जिसने उसे नियोजित कर रखा है भारत में या अन्यांत्र व्यापार चिह्न के लिए लगाए जाने में अभिक्षित के रूप में उपस्थित या मुख्यतः कार्य करने में लगा हुआ है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ग) किसी ऐसी कंपनी या फार्म और यदि किसी व्यक्ति जिसको इस नियम के अधीन किसी कार्यालय के बावजूद अभिक्षित के रूप में रजिस्ट्री में मान्यता देने से इंकार कर दिया है, वह कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या वह फार्म में कोई भागीदार है, मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(2) रजिस्टर किसी ऐसे व्यक्ति जो न तो भारत में निवास करता है और न ही भारत में उसके कार्यालय का स्थान है जो भी इस नियम के अधीन किसी कार्यालय की बावजूद अभिक्षित के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

156. हटाये गए नामों का प्रत्यावर्तन— (1) जिस व्यक्ति का नाम नियम 154 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है, व्यापार चिह्न अभिक्षिताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाये जाने की तारीख से 4: नास के भीतर उस व्यक्ति से प्रथम इनकार की आवेदन प्रस्तुत दिया गया था, या

-जी या अन्या वार्षिक चीज ग्रहण की गई, एक दर्ज के कार्यकारिण के लिए उसका नाम रजिस्टर में रहने देना सकेगा:

पानी रजिस्टर प्रत्यावर्तन चीज के साथ अतिरिक्त चीज के भुगतान पर पढाई का नाम 4: महीनों के अवधि के बाद भी किंतु तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

(2) व्यापार चिह्न अभिक्षिताओं के रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन जनरल में अपनी हवा दिया जाएगा और संस्कृति सामुद्रिक व्यक्ति को दी जाएगी।

157. व्यापार चिह्न अभिक्षिताओं के रजिस्टर में परिवर्तन— (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का अभिक्षित व्यापार चिह्न अभिक्षिताओं के रजिस्टर में प्रविभाग अपने नाम, निवास स्थान के पते, कार्यालय के मुख्य स्थान के पते, या अर्थातों में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत दिया गया था, या अर्थातों में रजिस्टर में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया या इस अवधि के बाद भी किंतु तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित था तो उसे रजिस्टर में व्यापार चिह्न अभिक्षिताओं के रजिस्टर में आवेदन परिवर्तन करायेंगे।
159. अपील- इन नियमों के भाग-4 के अधीन व्यापार चिह्न अभिविरोधों के रजिस्ट्रीकरण या हटाए जाने के संबंध में रजिस्ट्री के किसी आदेश या विनियम से अपील वैधिक संपर्क अपील बोर्ड में होगी और अपील बोर्ड का विनियम अंतिम होगा और आदेश होगा।

भाग-5
निर्देश
160. निर्देश- व्यापार चिह्न नियम, 2002 नियमों के प्रभावी होने के पहले ऐसे नियम के अधीन की गई किसी कार्येवाही के प्रति प्रतिकूल के दिन निरस्त किया जाता है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रविष्टि नंबर</th>
<th>कित पर देय</th>
<th>रकम भारतीय रूपए में</th>
<th>तत्समवहनी प्रभुम संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत है उसके विनिर्देश से सम्बंध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन पर [ (धारा 18 (1) )]</td>
<td>8000</td>
<td>8800</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>जो माल या सेवाएं धारा 18(1) और धारा 154(2) के अधीन किसी कल्पना उपकर के किसी वर्ग के अन्तर्गत है, उनके विनिर्देश से संबंध व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण</td>
<td>8000</td>
<td>8800</td>
</tr>
<tr>
<td>करने के लिए आवेदन परः</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए</td>
<td>व्या.चित्र.-ए</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>जो माल या सेवाएं शिल्प वर्गों के अन्तर्गत हैं धारा 154(2) के अधीन किसी करजेशन देश में उनके विनिर्देश से संबंधित व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेशन करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए 8000</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए 8000</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>जो माल या सेवाएं शिल्प वर्गों के अन्तर्गत हैं से संबंधित व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेशन करने के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए 8000</td>
<td>प्रत्येक वर्ग के लिए 8000</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>जो माल या सेवाएं एक वर्ग या वर्गों के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबंधित व्यापार चिह्न की शृंखला की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन पर।</td>
<td>(i) प्रत्येक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8000 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8000 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8000</td>
<td>(i) प्रत्येक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8800 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8800 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8800</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>जो माल या सेवाएं एक वर्ग या वर्गों के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबंधित धारा 154(2) के अधीन करजेशन देश की व्यापार चिह्न की शृंखला का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन पर।</td>
<td>(i) प्रत्येक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8000 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8000 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8000</td>
<td>(i) प्रत्येक वर्ग में व्यापार चिह्न के लिए 8800 (ii) प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार चिह्न के लिए 8800 (iii) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए 8800</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं उनके विनिर्देश से संबंधित सामूहिक चिह्न का रजिस्ट्रेशन करने के लिए धारा 63(1) के अधीन आवेदन पर।</td>
<td>20000</td>
<td>22000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| नं. | विषय | 20000 | 22000 | व्या.चि. -  ।
|-----|-------|-------|-------|----------------|
| 8   | जो माल या सेवाएं एक वर्ग के अन्तर्गत हैं। उनके विनियमण से संबंधित प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेशन करने के लिए धारा 71(1) के अधीन आवेदन पर। |       |       | व्या.चि. -  ।
| 9   | विनियमण के लिए आवाहन कर्तित करने के लिए 37(1) के अधीन अनुरोध पर। | 2000  | 2200  | व्या.चि. -  ।
| 10  | विरोध की जो सूचना विशेष रूप से गर्भ प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 21(1), 64, 66 या 73 के विरोध की सूचना पर। | 2500  | 2750  | व्या.चि. -  ।
| 11  | विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए धारा 21 के अधीन विरोध की उस सूचना के उत्तर में या प्रत्येक व्यापार चिह्न के बारे में धारा 47 या 57 से किसी के अधीन किए गए आवेदन के उत्तर में या धारा 58 या नियम 108 के अधीन विरोध किए गए प्रत्येक आवेदन या संपरीक्षण के विरोध की वैसी सूचना के उत्तर में प्रतिक्रिया पर। | 2000  | 2200  | व्या.चि. -  ।
| 12  | रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्नों के बीच सम्बन्धता का विवरण करने के लिए 16(5) के अधीन किए गए आवेदन पर। | प्रत्येक विघटन के लिए 1000 | प्रत्येक विघटन के लिए 1100 | व्या.चि. -  ।
| 13  | किसी वर्ग में व्यापार चिह्न के विचित्र रजिस्ट्रेशन के अवसान पर धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रेशन का निवृत्ति करने के लिए, जिस से अवबाध प्रभाव नहीं लिया गया है। | 10000 | 11000 | व्या.चि. -  ।
| 14  | पिछले रजिस्ट्रेशन के अवसान पर व्यापार चिह्न श्रृंखला के रजिस्ट्रेशन के प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के अधीन निवृत्ति करने के लिए | 10000 | 11000 | व्या.चि. -  ।
| 15  | एक से अधिक वर्ग वाली वस्तुओं या सेवाओं संबंधी प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के अधीन व्यापार चिह्न के एकल आवेदन का निवृत्ति करने के लिए | प्रत्येक वर्ग के लिए 10000 | प्रत्येक वर्ग के लिए 11000 | व्या.चि. -  ।
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>सामूहिक व्यापार चिंहन/प्रभावीकरण</th>
<th>व्यापार चिंहन का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 25 के अधीन नवीकरण पर।</th>
<th>20000</th>
<th>22000</th>
<th>व्या. चि. -आर</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>रजिस्ट्री से हटाए गए व्यापार चिंहन के गत रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास और वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तन और नवीकरण करने के लिए धारा 25(4) के अधीन दिए गए आवेदन पर।</td>
<td>10000 प्रविधि 13 से 16 के अधीन नवीकरण के लिए अनुरोध प्रीस</td>
<td>11000 प्रविधि 13 से 16 के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध प्रीस</td>
<td>व्या. चि. -आर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>व्यापार चिंहन के पिछले रजिस्ट्रीकरण का अवसान होने के छह मास के भीतर धारा 25(3) के प्रावधान के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर।</td>
<td>अधिभाष के रूप में 6000</td>
<td>अधिभाष के रूप में 6600</td>
<td>व्या. चि. -आर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>रजिस्ट्रीकरण का प्राप्ति प्राप्त करने के लिए धारा 40(2) के अधीन दिए गए आवेदन पर- जिस चिंहन के समन्वय का प्रस्तावना है वैसे प्रथम चिंहन पर। उसी स्थानाधीन के प्रत्येक अतिरिक्त चिंहन के लिए जो कि उसी समन्वय के अतिरिक्त है।</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए धारा 41 के अधीन दिए गए आवेदन पर- प्रथम व्यापार चिंहन के लिए। उसी स्थानाधीन के प्रत्येक अतिरिक्त चिंहन के लिए जो कि उसी हस्तांतरण के अतिरिक्त है।</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>जो व्यापार चिंहन उपयोग में है उनका बिना समन्वय का अवसान करने के लिए रजिस्ट्री के निदेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन दिए गए आवेदन पर- वैसे प्रथम समन्वय चिंहन के लिए। हक के वैसे ही व्यापार चिंहन के समन्वय के प्राप्त अतिरिक्त चिंहन के लिए।</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
</tr>
<tr>
<td>नं.</td>
<td>क्रमांक</td>
<td>सामग्री</td>
<td>व्या.चि. - पी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>जो व्यापार चिह्न उपयोग में है उनका विना कीतिरुप के समानदेश्य का हक के एक न्यायमान के विचय में विज्ञापन करने के लिए लिपेश प्राप्त करने के लिए धारा 42 के अधीन आवेदन करने के लिए समय का विस्तार करने के लिए किए गए आवेदन पर- 1000 2000 3000</td>
<td>1100 2200 3300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>एकल व्यापार चिह्न के समानदेश्य या अन्तरण की दशा में पश्चातवृत्ति स्वतंत्रारी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन किए गए आवेदन पर- 10000 15000 20000</td>
<td>11000 16500 22000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>एक ही नाम में रजिस्ट्रीकृत एक से अधिक व्यापार चिह्न वाले पश्चातवृत्ति स्वतंत्रारी को उस दशा में, जिससे हक का न्यायमान प्रत्येक मामले में एक सा ही रहा है, रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 45 के अधीन दिए गए आवेदन पर- 10000 15000 3000</td>
<td>11000 16500 3300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथम चिह्न हेतु</td>
<td>पत्रकेक अतिरिक्त चिह्न हेतु</td>
<td>यदि वह स्वाधीता अर्जन की तारीख से 12 मास के अवसान के पश्चात किया गया है—</td>
<td>प्रथम चिह्न हेतु</td>
<td>पत्रकेक अतिरिक्त चिह्न हेतु</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>कंपनी का एक समस्तुदेशन पर व्यापार चिह्न की पश्चातवर्ती स्वाधीनता के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए समय के ऐसे वितरण के लिए धारा 46(4) के अधीन किए गए आवेदन पर—</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>जो दो मास से अधिक का नहीं है</td>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>जो दो मास से अधिक का नहीं है</td>
<td>3000</td>
<td>3300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>रजिस्टर का परिशोधन करने या रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने या किसी रजिस्ट्रीकृत सामूहिक चिह्न अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रद्दकरण के लिए धारा 47 से धारा 57 में से किसी के अधीन किए गए आवेदन पर।</td>
<td>6000</td>
<td>6600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>रजिस्टर का परिशोधन करने के लिए धारा 47 या धारा 57 में से किसी के अधीन की गई कार्रवाइयों में या सामूहिक चिह्न अथवा प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न आवेदन की बाबत नियम 132 या 138 के अधीन रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने के लिए कार्रवाई में संदर्भ करने के लिए अनुमति के लिए नियम 101 के अधीन किए गए आवेदन पर।</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>वस्तुओं और सेवाओं की बाबत उनके वितरकों के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगका का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए धारा 49 के</td>
<td>10000</td>
<td>11000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अधीन आवेदन पर ।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>29 एक ही रजिस्ट्रेकृत राजस्व व्यवसाय के एक से अधिक ऐसे रजिस्ट्रेकृत व्यवसाय चिह्नों के उसी रजिस्ट्रेकृत उपयोगका को, जहां कि सभी व्यवसाय चिह्न वस्तुओँ या सेवाओं की बाजार, उनके अपने-अपने विविधताओं की सीमा में और उन्हों शामिल तथा निवेदनों के अधीन रहने हुए प्रत्येक दशा में उसी रजिस्ट्रेकृत उपयोगका कार्य के अन्तर्गत हैं, धारा 49 के अधीन रजिस्टर करने के लिए आवेदन पर- प्रथम चिह्न के लिए रजिस्ट्रेकृत राजस्व व्यवसाय के प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन और रजिस्ट्रेकृत उपयोगका कार्य में सम्मिलित किया गया है ।</td>
<td>10000</td>
<td>6000</td>
<td>11000</td>
<td>6600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30 जहां के व्यवसाय चिह्न उसी रजिस्ट्रेकृत उपयोगका के अधीन है एक व्यवसाय चिह्न के रजिस्ट्रेकृत उपयोगका की प्रविष्टि में फेर सदृश करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन उनमें से प्रत्येक की बाजार आवेदन पर- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।</td>
<td>10000</td>
<td>5000</td>
<td>11000</td>
<td>5500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31 एक व्यवसाय चिह्न के रजिस्ट्रेकृत उपयोगका की प्रविष्टि रद करने के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन आवेदन पर- जहां कि आवेदन में एक से अधिक व्यवसाय चिह्न सम्मिलित है- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।</td>
<td>5000</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>5500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>एक व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रतिष्ठित रहने के लिए धारा 52 की उप-धारा (1) के खंड (म) या (घ) के अधीन आवेदन पर—&lt;br&gt;जहाँ कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित किए गए हैं—&lt;br&gt;प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जिसे आवेदन में सम्मिलित किया गया है।</td>
<td>10000</td>
<td>11000</td>
<td>व्या.वि. - यू</td>
<td>4000</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रतिष्ठित रहने के लिए की गई एक कार्यवाही में दखल देने के उद्देश्य से नियम 97 (2) के अधीन सुचारा पर।</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
<td>व्या.वि. - यू</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम या विवरण बदलने के लिए धारा 58 के अधीन आवेदन पर जहाँ निम्नलिखित में परिवर्तन नहीं हुआ है—&lt;br&gt;स्वतंत्रधारिता में या रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता की पहचान में ऐसे आवेदन को छोड़कर जो जन प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप या भारत के विधि के अनुसार किसी फायदे अपेक्षा के परिणामस्वरूप किया है जहां आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है—&lt;br&gt;प्रथम व्यापार चिह्न के लिए आवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए</td>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
<td>व्या.वि. - पी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के पते से संबंधित प्रतिष्ठित में परिवर्तन करने के लिए, जब तक कि वह</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
<td>व्या.वि. - पी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नियम</td>
<td>103 (3) के अधीन छूट प्राप्त नहीं हो, धारा 58 के अधीन आवेदन पर-</td>
<td>1000 500</td>
<td>1100 550</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------------------------------------------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सम्मिलित है और जब कि प्रत्येक मामले में पता वाह की है और उसी प्रकार वह परिवर्तित किया गया है</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सममिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36 व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेक्ट कस्तवधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को भारत में तामिल के लिए यतों की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन पर।</td>
<td>1000 500</td>
<td>1100 550</td>
<td>व्या.वि.-पी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सममिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37 रजिस्ट्रार में, भारत में तामिल के लिए पते संबंधी प्रविष्टि को, जब तक कि नियम 103 (3) के अधीन उसे फीस से छूट प्राप्त नहीं है, परिवर्तन या प्रतिस्थापित करने के लिए आवेदन पर-</td>
<td>1000 500</td>
<td>1100 550</td>
<td>व्या.वि.-पी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जब कि आवेदन में एक से अधिक व्यापार चिह्न सममिलित है तथा प्रत्येक मामले में पता एक ही है और उसी प्रकार परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया गया है।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>प्रथम प्रविष्टि के लिए आवेदन में सममिलित प्रत्येक अन्य प्रविष्टि के लिए</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38 धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (म) के अधीन प्रविष्टि या प्रविष्टि के किसी भाग को रद करने या माल अथवा सेवाओं को रजिस्ट्रर से निकाल देने के लिए खंड (घ) के अधीन किए गए आवेदन पर।</td>
<td>500 550</td>
<td></td>
<td>व्या.वि.-पी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39 रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में (लोक</td>
<td>5000 5500</td>
<td></td>
<td>व्या.वि.-पी</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किए गए आदेश को छोड़कर</td>
<td>परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए धारा 59 (1) के अधीन किए गए आदेश पर-</td>
<td>जब कि आदेश में एक से अधिक व्यापार चिह्न समिलित हैं और प्रत्येक नामांक से किए जाने वाले परिवर्तन या परिवर्तन की वहीं हैं- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अन्य चिह्न के लिए या आदेश में सम्मिलित किया गया है।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्राधिकारी के आदेश के फलस्वरूप या किसी कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप किए गए आदेश को छोड़कर</td>
<td>परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए धारा 59 (1) के अधीन किए गए आदेश पर-</td>
<td>जब कि आदेश में एक से अधिक व्यापार चिह्न समिलित हैं और प्रत्येक नामांक से किए जाने वाले परिवर्तन या परिवर्तन की वहीं हैं- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अन्य चिह्न के लिए या आदेश में सम्मिलित किया गया है।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5000</td>
<td>2000</td>
<td>5500</td>
<td>2200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 40 | रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आदेश पर धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले विरोध की सूचना के लिए प्रथम आदेश पर। |
|---|---|---|
| 3000 | 3300 | व्य.चि. -पी |

| 41 | विनिर्देश के परिवर्तन के लिए धारा 60 के अधीन आदेश पर |
|---|---|---|
| 2000 | 2200 | व्य.चि. -पी |

| 42 | रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में विनिर्देश या विनिर्देशों में संपरिवर्तन के संबंध में धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पुष्टि वर्ग में विरोध की सूचना पर- प्रथम चिह्न के लिए प्रत्येक अतिरिक्त चिह्न के लिए जो विरोध की सूचना में सम्मिलित किया गया है। |
|---|---|---|
| 3000 | 3300 | व्य.चि. -पी |
| 3000 | 3300 | व्य.चि. -पी |

| 43 | सामूहिक चिह्न के निषेध किए गए विनिर्देशों धारा 66 के अधीन में संशोधन या धारा 74 (2) के अधीन प्रनालीकरण व्यापार चिह्न के विनियमन के लिए परिवर्तन आदेश पर जब कि चिह्नों की रजिस्ट्री में प्रविष्ट सहयुक्त व्यापार चिह्नों के रूप में की गई हैं- एक रजिस्ट्रीकरण के विनियमन के लिए |
|---|---|---|
| 2000 | 2200 | व्य.चि. -एम |
| 2000 | 2200 | व्य.चि. -एम |
| प्रत्येक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण के लिए वैसे ही या सारांश: वैसे ही उन विषयों के लिए जिन्हें एक ही रीति में परिवर्तित करने की प्रश्नावली है और जो एक ही आवेदन में सम्भव है। | 2000 | 2200 | व्या.चि.-ओ
| सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को हटाने के लिए धारा 68 या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को जिक्र किया जा रहा पर उसके फर्जित करने के लिए धारा 77 के अधीन आवेदन पर। | 2000 | 2200 | व्या.चि.-एम
| व्यापार चिह्न के एक वर्ग की बाबत धारा 133(1) के अधीन रजिस्ट्री की प्राधिक सलाह के लिए किया गया अनुरोध पर। | 1000 | 1100 | व्या.चि.-एम
| रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र [धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] धारा 137 के अधीन प्राप्त करने के लिए अनुरोध पर | 1000 | 1100 | व्या.चि.-एम
| रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र [धारा 15 के अधीन व्यापार चिह्नों की श्रृंखला के रजिस्ट्रीकरण की धारा 23(2) के अधीन प्रमाणपत्र को छोड़कर] प्रत्येक वर्ग के लिए अनुरोध पर | 1000 | 1100 | व्या.चि.-एम
| रजिस्ट्री में की किसी प्रविष्टि या किसी दस्तावेज की प्रमाणीकृत प्राप्ति के लिए धारा 148(2) के अधीन किया गया अनुरोध पर | 1000 | 1100 | व्या.चि.-एम
| किसी वर्ग में एक चिह्न के बाबत चिह्न प्रमाणपत्र संबंधी प्रमाण रजिस्टर में प्रविष्टि करने और विज्ञापित करने के लिए नियम 130 के अधीन किया गया अनुरोध पर | 500 | 550 | व्या.चि.-एम
<p>| लोक पारिवारी के आदेश के फलस्वरूप या भारत में विधि के अनुसार कानूनी अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप की गई प्रक्रिया | 1000 | 1100 | व्या.चि.-एम |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>को छोड़कर धारा 18(4) धारा 22 और 58 के अधीन लिचिबीय पुनः को ठीक करने या उसके संशोधन के लिए की गई उस प्रारंभिक पर जिस पर अन्यथा प्रभाव नहीं लिया गया है।</th>
<th>1000</th>
<th>1100</th>
<th>पथा. वि. -एम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>51</td>
<td>धारा 131 के अधीन एक मास का समय या उसके किसी भाग की वृद्धि करने के लिए [जो कि अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या नियम 86 या नियम 87(4) द्वारा विहित समय नहीं है] किया गए आवेदन पर</td>
<td>4000</td>
<td>4400</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>रजिस्ट्रेशन के विलियम का पुनर्विवेकन करने के लिए धारा 127(ग) के अधीन किया गए आवेदन पर</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>सविरोध कार्यवाही में किसी अन्तर्वेती सामग्री पर रजिस्ट्रेशन का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका [जिस पर अन्यथा प्रभाव नहीं लिया गया है] पर</td>
<td>500</td>
<td>550</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>रजिस्ट्रेशन से विहित के विज्ञापन की विशेषता लेने के लिए नियम 42 के अधीन किया गए अनुरोध पर</td>
<td>500</td>
<td>550</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>धारा 148 (1) में वर्णित निम्नलिखित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए-(क) किसी विशेष व्यापार विभाग से संबंधित पत्रदाता या उसके किसी भाग से संबंधित (ख) धारा 148 में वर्णित अनुप्रमाणिक से पत्रदाता या उसके किसी भाग के लिए तलाश</td>
<td>10 प्रति पृष्ठ (न्यूनतम 10 रु. के अधीन रखते हुए)</td>
<td>10 प्रति पृष्ठ (न्यूनतम 10 रु. के अधीन रखते हुए)</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>दस्तावेजों की प्रतियाँ (फोटो-कापी या टाइप की गई) के आवेदन में एक पृष्ठ से अधिक के लिए प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए</td>
<td>1000</td>
<td>1100</td>
<td>पथा. वि. -एम</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| प्राप्त करने के लिए अनुरोध पर नियम 57(3) | 3000 | 3300 | व्या.वि.-ओ
| सामूहिक त्यागर चिह्न या प्रमाणीकरण त्यागर चिह्न की वांछन धारा 64, 66, 73 और 77 के अधीन दी गई विरोध की सुचना के प्रति प्रतिक्रिया पर | 10000 | 11000 | व्या.वि.-सी
| नियम 23(3) के अधीन प्रमाणपत्र तलाश करने और उसे जारी करने के लिए। | 6000 | 6600 | व्या.वि.-ओ
| माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग अथवा वर्ग की पहचान करने वाले किसी भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत या उसमें अंतर्विष्ट या उससे मिलकर बनाने वाले किसी त्यागर चिह्न का रजिस्ट्रीकरण उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (क) के अधीन इन्नार किए जाने या अवधिमान्य बनाने के लिए किए गए आवेदन पर। | 6000 | 6600 | व्या.वि.-ओ
| माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (क) के अधीन किसी त्यागर चिह्न का रजिस्ट्रीकरण से इन्नार करने या विचित्र: अवधिमान्य बनाने के लिए, जिसमें ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट है या उससे मिलकर बना है जो उस देश के राज्य क्षेत्र में व उस राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र या परिसर में उद्देश्य नहीं होता है जैसे कि भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित करता है, आवेदन पर। | 2000 | 2200 | व्या.वि.-एस
| एक आवेदन को विभाजित करने या एकल आवेदन को विभाजित करने के लिए धारा | 2000 | 2200 | व्या.वि.-एस
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>विवरण</th>
<th>राशि</th>
<th>राशि</th>
<th>नोट</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>63</td>
<td>व्यापार विनंति के लिए चिह्न के समन्वयन या पारंपरिक या रजिस्ट्रेटर की सहमति के लिए धारा 43 नियम 143(2) के अधीन किए गए आवेदन पर।</td>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
<td>व्या.वि.-ँ</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेटरकरण की त्वरित परीक्षा के लिए नियम 35 के अधीन किए गए आवेदन पर।</td>
<td>20000</td>
<td>44000</td>
<td>व्या.वि.-ॆ</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर सामूहिक चिह्न का रजिस्ट्रेटरकरण धारा 63(1) के अधीन करने के लिए किए गए आवेदन पर।</td>
<td>20000</td>
<td>22000</td>
<td>व्या.वि.-ॆ</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>किसी कन्वेंशन देश से धारा 154(2) के अधीन वर्ग में सम्मिलित माल या सेवाओं के विनिर्देश पर व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेटरकरण करने के लिए धारा 71 के अधीन करने के लिए किए गए आवेदन पर।</td>
<td>20000</td>
<td>22000</td>
<td>व्या.वि.-ॆ</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>रजिस्ट्रेटर का त्वरित व्यापारपत्र (अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन व्यापारपत्र को छोड़कर) या दर्शावेजी की प्रमाणित पत्रिका, नियम 125 के अधीन प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन पर।</td>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
<td>व्या.वि.-ॆ</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>शीर्षक से तलाश करने और व्यापारपत्र जारी करने के लिए नियम 23(3) के अधीन अनुरोध पर।</td>
<td>35000</td>
<td>37500</td>
<td>व्या.वि.-ृ</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में नियम 146 के अधीन रजिस्ट्रेटरकरण पर।</td>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
<td>व्या.वि.-ौ</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>किसी व्यक्ति का व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में नियम 150 के अधीन रजिस्ट्रेटरकरण पर।</td>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
<td>व्या.वि.-ौ</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>किसी व्यक्ति का नाम व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में नियम 155 के</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
अधीन बनाए रखने पर:-
प्रत्येक वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष को प्रारंभिक) जिसे प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को संदर्भित किया जाएगा है।
किसी यूजर को पहली अप्रैल और 30 सितम्बर के बीच रजिस्टर किए जाने की दशा में फीस या रजिस्ट्रीकरण के साथ प्रथम वर्ष के लिए संदर्भित किए जाने के लिए।
ध्यान है: कि इस प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन आरम्भ होगा और पश्चातकी भार के इकाइयाँ से दिन समाप्त होगा।

| नियम 158 के अधीन किसी व्यक्ति का नाम करार व्यापार विभाग के मुद्दों पर रजिस्टर कराने के लिए आवेदन पर। हटाए जाने की तारीख से छः महीने के भीतर। |
|---|---|
| छः महीने के बाद किसी एक वर्ष के भीतर। |
| एक वर्ष के बाद किसी दो वर्ष के भीतर। |
| दो वर्ष के बाद किसी तीन वर्ष के भीतर। |
| व्यापार ढि.--जी |

<table>
<thead>
<tr>
<th>2000</th>
<th>2200</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>2200</td>
</tr>
<tr>
<td>5000</td>
<td>5500</td>
</tr>
<tr>
<td>10000</td>
<td>11000</td>
</tr>
<tr>
<td>15000</td>
<td>16500</td>
</tr>
<tr>
<td>धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस</td>
<td>धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस</td>
</tr>
<tr>
<td>धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस</td>
<td>धन मद सं. 71 के अधीन बनाए रखने की फीस</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रारूप</td>
<td>व्यापार विधियों अंशकाल्यांचा रजिस्टर मधे नियम 156 के अधीन किसी प्रतिविद्यालय मधे परिवर्तन के लिए आवेदन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>धारा 16(1) के अधीन नए रजिस्ट्रीकृत विधियां के साथ सहयोगिता किसी व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रीकृत प्रतिविद्यालय मधे प्रत्येक परिवर्तन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>किसी कान्वेशण देश से विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>किसी कान्वेशण देश से धारा 154(2) के अधीन विशिष्ट वर्ग के माल या सेवाओं के लिए प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 18(2) के अधीन एकल आवेदन पर।</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>अंतरराष्ट्रीय आवेदन के प्रमाणण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परस्पर हेतु हस्तांतरण पीडीए।</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>सुंगत व्यापार चिह्न की सूची में किसी चिह्न के समायोजन का अनुरोध।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### द्वितीय अनुसूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रारूप</th>
<th>अधिनियम और नियम की धारा और लियम</th>
<th>शीर्षक</th>
<th>प्रत्येक अनुसूची की प्रतिविद्यालय संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्या.प्रि.-ए</td>
<td>धारा: 15, 15(3), 18(1), 18(2), 63(1), 71, 71(1), माल या सेवाओं के व्यापार</td>
<td>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 66, 75, 76, 77,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>व्या. चित्र.-एम</td>
<td>धारा: 18(4), 22, परंतुक 22 का 2, 23(2), 43, 58, 66, 74(2), 127(ग), 131, 133(1), 137, 148(2), नियम: 24, 37, 37(1), 42, 57(3), 125, 127, 130.</td>
<td>चिह्न के रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन</td>
<td>७८. 9, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 66, 80</td>
</tr>
<tr>
<td>व्या. चित्र.-आर</td>
<td>धारा: 25, परंतुक धारा 25(2), 25(4) का 2.</td>
<td>नतीजेकरण, अधिकार सहित नतीजेकरण और व्यापार चिह्न के प्रचारवर्तन हेतु आवेदन।</td>
<td>१३, १४, १५, १६, १७, १८</td>
</tr>
<tr>
<td>व्या. चित्र.-सी</td>
<td>नियम 23(3), नियम 23(5)</td>
<td>नियम 23 के अंतर्गत दाखिल को व्यापार चिह्न के प्रचारवर्तन हेतु आवेदन।</td>
<td>५९, ६८</td>
</tr>
<tr>
<td>व्या. चित्र.-ओ</td>
<td>धारा: 21, 21(1), 47-57, 59, 64, 66, 68, 73, 77 और 25 के भौगोलिक उपर्युक्त अधिनियम। नियम: 101, 108, 133, 139.</td>
<td>विरोध, परिरक्षण और उससे संबंधित प्रतिक्रिया की सूचना।</td>
<td>१०, ११, २६, २७, ४४, ५८, ६०, ६१</td>
</tr>
<tr>
<td>व्या. चित्र.-पी</td>
<td>एशियाई संलग्नीकरण के विकास, समस्यावशेष, व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्या</td>
<td>२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रसंग का सूची</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रसंग व्याख्या, धि. -ए

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन

[संगठन सूचना प्रत्येक शीर्ष के समस्त रंगीन खाने में अवश्य अभी जाय]

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतत्त्व पीपल</th>
<th>(अपयुक्त पीपल के लिए प्रतत्त्व अनुसूची देखें)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आवेदन की प्रकृति</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[(क) आवेदक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक का पदवा करें -
1. मानक व्यापार चिह्न 2. सामूहिक चिह्न 3. प्रमाणीकरण चिह्न 4. लेखनी चिह्न]

वहाँ मानक चिह्न से समावय व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन हेतु किसी आवेदन का आश्वास्क है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।

[(क्ष) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण चिह्न के संदर्भ में प्रतत्त्व व्याख्या, धि. -एम के साथ प्रसंग विनियमन अवश्य दाखिल किया जाएगा।]

<table>
<thead>
<tr>
<th>भवन पीपल</th>
<th>(अपयुक्त पीपल के लिए प्रतत्त्व अनुसूची देखें)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आवेदक</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| नाम : * |
| व्यापार नाम |
| पता : * |

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य</th>
<th>(देश)</th>
</tr>
</thead>
</table>

[भारत में व्यवसाय का आवेदक का स्थान पता ही पते के रूप में दाखिल किया जाएगा।]

| सेवार्थ पता : |

| पौधा | (देश) |

[(क) अन्य विविध रूप से वर्गीकृत होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के स्थान पता के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।]

[(क्ष) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय का पता ही सब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]

| मोबाइल नं. : |
| ई-मेल का पता : * |

| आवेदक की प्रकृति |

[(आवेदक निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक का पदवा करें -
1. व्यापार 2. राजस्वी दाखिल 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निम्नलिखित निर्भर, 4. सीमित देयता साइंसी,]
3 आदेशक के अधिकारी (यदि कोई हो)

नाम:
पता:
मोड़ाम नं.
ई-मेल का पता:
अधिकारी की प्रकृति
आदेशक निम्नलिखित बैठकों में ही किसी एक का पद भरें:
1. रजिस्ट्रिट्यूट व्यापार (चित्र अधिकारी), 2. अधिकारी, 3. मान्यता प्राप्त एडिटर

4 व्यापार चित्र

चित्र के प्रभार

व्यापार चित्र का उत्तरदायी
आदेशक निम्नलिखित प्रणयनों में से किसी एक का पद भरें:
1. शब्द चित्र (इसमें एक शब्द, अंशाद, संस्करण या मानक रूप में सिक्कत साहित्य कुछ शामिल है), 2. बिंदु चित्र (इसमें लेबल, स्टीकर, मोड़ाम, लोजें या शब्द चित्र के अंतर्गत कोई अन्य सामग्री का विवरण शामिल है), 3. समाचार (यदि उनके पास नहीं, तो उसके साथ या और घर इन्हें किसी चित्रों के संयोजन में पार्श्वभूमि का दृष्टि किया गया हो), 4. बिडिंगस प्रयोग व्यापार चित्र (इसमें वस्तुओं के आकार या पैकेजिंग शामिल है), 5. धातु

व्यापार चित्र का विवरण

(क) बिंदु चित्र का विवरण निर्देश 28 के अनुसार अवश्य दिया जाय।
(ख) पृष्ठ और प्रयोग के अंतिम ग्राहक इम्प्रेस और व्यापार चित्र के संयोजन में यह जाना जाए कि चित्र का पार्श्वभूमि का दृष्टि किया गया है और उन्हें सुझाव दिया जाय।
(ग) बिंदु चित्र के संयोजन में विवरण इस प्रकार होगा जैसे: "पुस्तक व्यापार चित्र में दृष्टि, हेड और फैसले रंग की तों तों पृष्ठ या दृष्टि की जीवन रंग की रचना चित्रों के संयोजन में चित्र की प्रदशित प्रस्तुति के अनुसार लगायी गई है।" भारतीय धातु चित्र के संयोजन में वितरित संयोजन धातु की प्रस्तुति व्यापार चित्र के लिए प्रदशित रंग पर अवश्य की जानी चाहिए।

5 हिन्दी या अंग्रेजी के अन्य भाषा में चित्र

भाषा

रोगव्यक्ति में चित्र का निदर्शन

(विचार के समय के अन्य भाषा में होने की नियति में उस चित्र का निदर्शन रोगव्यक्ति में अवश्य उपलब्ध कराया जाए।)

विचार का अंग्रेजी में अनुवाद

(विचार के हिन्दी या अंग्रेजी के अन्य भाषा में होने की नियति में उस चित्र का अंग्रेजी अनुवाद अवश्य उपलब्ध कराया जाए।)

6 व्यापार चित्र के प्रयोग का मार्ग या सीमा, यदि कोई हो

7 माल या सेवा का विवरण

माल और सेवा का विवरण
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न व्या, वि. - एम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापार विभाग अधिनियम के अधीन व्यापार विभाग आवेदन/विरोध/संसोधन के संबंध में प्रकीर्ण कार्यवाही हेतु</td>
</tr>
<tr>
<td>आवेदन/अनुरोध</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| (क) एक प्रमाण केन्द्र एक अनुरोध के लिए है। एक अनुरोध के लिए पुष्टि करके आवेदन एक प्रमाण के सर्वोच्च अथवा अनुरोध का दाखिल करने की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुरोध अथवा दाखिल किया जाता है। |

| (ब) संगठन सूची और शीर्ष शीर्ष में संबंधित कॉर्पोरेट व्यवसायीय नवीनताएं के सार्वजनिक संबंधों में \|

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न व्या, वि. - एम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापार विभाग अधिनियम के अधीन व्यापार विभाग आवेदन/विरोध/संसोधन के संबंध में प्रकीर्ण कार्यवाही हेतु</td>
</tr>
<tr>
<td>आवेदन/अनुरोध</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| (क) एक प्रमाण केन्द्र एक अनुरोध के लिए है। एक अनुरोध के लिए पुष्टि करके आवेदन एक प्रमाण के सर्वोच्च अथवा अनुरोध का दाखिल करने की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुरोध अथवा दाखिल किया जाता है। |

| (ब) संगठन सूची और शीर्ष शीर्ष में संबंधित कॉर्पोरेट व्यवसायीय नवीनताएं के सार्वजनिक संबंधों में \|

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न व्या, वि. - एम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापार विभाग अधिनियम के अधीन व्यापार विभाग आवेदन/विरोध/संसोधन के संबंध में प्रकीर्ण कार्यवाही हेतु</td>
</tr>
<tr>
<td>आवेदन/अनुरोध</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| (क) एक प्रमाण केन्द्र एक अनुरोध के लिए है। एक अनुरोध के लिए पुष्टि करके आवेदन एक प्रमाण के सर्वोच्च अथवा अनुरोध का दाखिल करने की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुरोध अथवा दाखिल किया जाता है। |

<p>| (ब) संगठन सूची और शीर्ष शीर्ष में संबंधित कॉर्पोरेट व्यवसायीय नवीनताएं के सार्वजनिक संबंधों में |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>नं.</th>
<th>विभाग का नाम</th>
<th>उपभोक्ता की कृिष्णी</th>
<th>उपभोक्ता की धारणा</th>
<th>उपभोक्ता का शिक्षण कार्यक्रम</th>
<th>उपभोक्ता का संबंधित कार्यक्रम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>तन्त्रिक भोजन</td>
<td>विभाग का नाम</td>
<td>उपभोक्ता की कृिष्णी</td>
<td>उपभोक्ता का शिक्षण कार्यक्रम</td>
<td>उपभोक्ता का संबंधित कार्यक्रम</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>वनस्पति शोध</td>
<td>विभाग का नाम</td>
<td>उपभोक्ता की कृिष्णी</td>
<td>उपभोक्ता का शिक्षण कार्यक्रम</td>
<td>उपभोक्ता का संबंधित कार्यक्रम</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>वाणिज्यिक विभाग</td>
<td>विभाग का नाम</td>
<td>उपभोक्ता की कृिष्णी</td>
<td>उपभोक्ता का शिक्षण कार्यक्रम</td>
<td>उपभोक्ता का संबंधित कार्यक्रम</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>सार्वजनिक सेवाएं</td>
<td>विभाग का नाम</td>
<td>उपभोक्ता की कृिष्णी</td>
<td>उपभोक्ता का शिक्षण कार्यक्रम</td>
<td>उपभोक्ता का संबंधित कार्यक्रम</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**प्रमाणित किया गया:**

सबूत के लिए विभाग का नाम का उपभोक्ता की कृिष्णी शिक्षण कार्यक्रम का संबंधित कार्यक्रम को लेकर निर्देशित किया गया।
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>संदर्भ नीति के अनुसार का लिखने के लिए</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>संभवित विस्तार हेतु अनुरोध</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>संक्षिप्त विवेचन के लिए</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>संव्रतता के अनुसार कर्मचारी का कारण</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>संक्षेप में संयुक्त हेतु अनुरोध</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>व्यापार विवेचन के लिए नवीनता/प्रत्यावर्तन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अथवा नवीनता के लिए अधिभाष के भूमिकाने हेतु आवेदन</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>संगठन सूचना प्रदाताओं के समस्त संयोजन कार्यालय से अक्षय भरी ज्ञापन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**प्रदर्शन व्यापार**

व्यापार विवेचन के लिए नवीनता/प्रत्यावर्तन

अथवा नवीनता के लिए अधिभाष के भूमिकाने हेतु आवेदन

(संगठन सूचना प्रदाताओं के समस्त संयोजन कार्यालय से अक्षय भरी ज्ञापन)
<table>
<thead>
<tr>
<th>सेवार्थ पता:</th>
<th>(राज्य)</th>
<th>(देश)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.क. आवेदक भवन 8 के नं. 1 फ्लोर पर आवेदन करने का पता बदल होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदन का सेवार्थ पता है।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. यदि आवेदक भारत में व्यवसाय का कर्तव्य हो तब भी भारत में सेवार्थ पता कार्यक्रम जारी रहेगा।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मिलाइंग न. :</td>
<td>पता का पता:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ई-मेल का पता:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 आवेदक के अभिवर्त्तक (यदि कोई हो)  
नाम:  
पता:  
मोबाइल न. :  
ई-मेल का पता:  
अभिवर्त्तक की प्रकृति (आवेदक निम्नलिखित मैलियों में से किसी एक का प्रयोग करें)  
1. तत्क्षण पर व्यावहारिक प्रयोग अभिवर्त्तक  
2. अधिवक्ता  
3. मामला प्रभाव पदार्थ
रजिस्ट्रीकरण में:  
अभिवर्त्तक को प्राथमिकता दिए जाने की तिथि में अभिवर्त्तक का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।

3 व्यापार विवेचन प्रकार  
1. क. आवेदक निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का प्रयोग करें  
2. सांस्कृतिक विवेचन  
3. प्रामाणिकता विवेचन  
4. क्षमा विवेचन  
(क) यहाँ मानक विवेचन से समानायंत्रित व्यापार विवेचन के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आवश्यक है जो सम्मिलिका या प्रमाणीकरण व्यापार विवेचन अथवा प्रणाली की भूमिका नहीं हो।

4 व्यापार विवेचन संदर्भ:  
5 वर्ग  
6 के लिए भुगतान (यदि से चयन करें)  
7 आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का चयन  
इलाज़  
8 संरचना दस्तावेज की सूची  

प्रश्न रचा, दिया, सीता
प्रतिस्पर्धिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45 (1) के तहत खोज और प्रभाव पत्र हेतु आवेदन
(संगठन सुचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष संबंधी खातों में अवशेष भरी जाय)

<table>
<thead>
<tr>
<th>नंबर</th>
<th>आवेदक</th>
<th>पदवी प्रथा</th>
<th>उपयुक्त प्रथा के लिए चयन अनुरुपीय (दैर्घ्य)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>हाईयर साम</td>
<td>राज्य (देश)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>पता:</td>
<td>(दैर्घ्य) (देश)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>यदि आवेदक भारत में व्यवसाय में करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>सेवार्थ पता:</td>
<td>(दैर्घ्य) (देश)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(क) अम्यया विशिष्ट रूप से वर्गित न होने पर आवेदक का पता नहीं होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदन का सेवार्थ पता है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>मोबाइल न.</td>
<td>ई-मेल का पता:</td>
<td>*</td>
</tr>
</tbody>
</table>

आवेदक की प्रकृति
आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का ध्यान करें-
1. प्रकृत (भविष्य- एकल स्तरीय), 2. प्रकृत व्यक्ति - भारतीय फर्म, 3. प्रकृत लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निगम निगम, 4. संस्था देशाता भारतीय, 5. सोशल इंडी, 6. स्थान, 7. सरकारी सेवार्थ, 8. कांग्रेस संस्थान, 9. कोई अन्य।

आवेदक के अधिकारी (यदि कोई हो)
नाम:                                     
पता:                                     
मोबाइल न. :                            
ई-मेल का पता:                           
अधिकारी की प्रकृति
आवेदक की स्वीकारित श्रेणियों में से किसी एक का ध्यान करें-
1. निर्मिती, व्ययपरिवहन अधिकारी, 2. संस्था पाथ प्राप्त, 3. संस्था पर एंटरप्राइज

प्रविभाग में:
अधिकारी को प्रविभाग के जाने की नियमित में अधिकारी का पता आवेदन के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>व्यक्ति (ई/नहीं)</th>
<th>विभाग/खण्ड के लिए स्थान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का व्यक्ति</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाम:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>श्रेणी:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

संयुक्त दस्तावेज की सूची
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न या विचारक</th>
<th>विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 आवेदक या रजिस्ट्रेटर स्वस्थ्यावर्धन/विशेषज्ञाति/आवेदक/अनुरोध करने वाला सामूहिक पक्ष</td>
<td>प्रदर्शण की सूची के लिए प्रयोग अनुपस्थीत देखी गई।</td>
</tr>
<tr>
<td>नाम : *</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>व्यापार नाम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पता : *</td>
<td>(राज्य) (देश)</td>
</tr>
<tr>
<td>संचार पता:</td>
<td>(राज्य) (देश)</td>
</tr>
<tr>
<td>(इ) अवधारणा विशिष्टित रूप से अभिव्यक्त करते हुए, आवेदक का पता बाहर होगा जो भारत में व्यापार सार्थक के मुख्य स्थल के रूप में आवेदक के स्थान पता है।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>विवेक म. :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ई-मेल का पता : *</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2 आवेदक या रजिस्ट्रेटर स्वस्थ्यावर्धन/विशेषज्ञाति/तृतीय पक्ष के अभिकल्पक जैसी अन्य हैं (टॉप कोई हो)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>विवेक म. :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ई-मेल का पता</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अभिकल्पक की प्रकृति</td>
<td>(आवेदक विद्यालयक श्रेणियों में से किसी एक एक का पक्ष बनाएँ)</td>
</tr>
<tr>
<td>1. रजिस्ट्रेटर स्वस्थ्यावर्धन अभिकल्पक, 2. अभिकल्पक, 3. मान्यता प्राप्त गृहीतकर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>विवेक म. :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अभिकल्पक का प्रभाव लेकर जाने की रिपोर्ट में अभिकल्पक का पता आवेदक के सेवापत्र पते के रूप में उल्लिखित होगा।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3 समाप्ति</td>
<td>के मामले में, विवेक में (विवेकों/संशोधन दक्षता करने के लिए)</td>
</tr>
<tr>
<td>आवेदन रजिस्ट्रेटर स्वस्थ्यावर्धन पत्रिका संख्या</td>
<td>वर्गीय स्थान, व्यापार रिपोर्ट, प्रकाशित आवेदन की जमीन लंबाय।</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रश्न व्या. चि. - पी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>व्यापार चिह्न में रजिस्ट्रीकरण के बाद परिवर्तन के लिए आवेदन</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. / (क) एक प्रश्न के तल पर परिवर्तन के अनुरोध के लिए है। पूर्वांग परिवर्तनों के लिए पूर्वक अनुरोध दाखिल किया जाएगा।

<table>
<thead>
<tr>
<th>आवेदक</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापार चिह्न</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रदेश कीस</td>
</tr>
<tr>
<td>नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यापार का नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>पता</td>
</tr>
<tr>
<td>* (लाइफ)</td>
</tr>
<tr>
<td>सेवार्थ चिह्न</td>
</tr>
<tr>
<td>* (लाइफ)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

/ (क) अन्यथा विशिष्ट रूप से प्रकृतित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा। जो भारत में व्यवसाय के मुख्य \स्थान के रूप में आवेदक का \सेवार्थ चिह्न है। |

/ (क) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ चिह्न अवधार दिया जाएगा। |

<p>| सोचाया है : |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आदेशक के असिस्टेंट (यदि कोई हो)</td>
<td>नाम:</td>
<td>पता:</td>
</tr>
<tr>
<td>मोबाइल सं.:</td>
<td>हेन्ड का पता:</td>
<td>असिस्टेंट की पुर्त्ती</td>
</tr>
<tr>
<td>आदेशक नियुक्तिशील कौशलों में से किसी एक का प्रचार करना:</td>
<td>1. रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न असिस्टेंट, 2. अधिकारी, 3. मानवता पांव एटेंसी</td>
<td>रजिस्ट्रेशन में</td>
</tr>
<tr>
<td>असिस्टेंट की प्रबंधन हेतु जाने की निर्देशित में असिस्टेंट का पता आदेशक के सेरायर पोसे के रूप में उल्लिखित होगा।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन के संहोधन के लिए विस्तृत अनुदेश/आदेश</td>
<td>रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न संदर्भ</td>
<td>[एक से अधिक व्यापार चिह्न के लिए अनुदेश किए जाने की निर्देशित में व्यापार चिह्न संदर्भ लिया गया]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>असिस्टेंट का पदाधिकार, चोटि नहीं हो</td>
<td>चिह्न के प्रबंध</td>
<td>(क) आदेशक नियुक्तिशील कौशलों में से किसी एक का पदाधिकार करना:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. मानवता पांव चिह्न 2. मानवता पांव चिह्न 3. मानवता पांव चिह्न 4. शेफ चिह्न</td>
<td>(क) यह मानवता चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन हेतु किसी आदेशक का आशय है जो समूहीक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अधिक चिह्नों की सुश्रुषा ना हो।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
<th>स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अनुदेश किया गया संहोधन</td>
<td>स्वश्रृंखला में परिवर्तन का स्वरूप</td>
<td>[इस संदर्भ का प्रयोग केवल यह हो किया जाए गया जब समन्वय या हस्तांतरण दूसरा चिह्न की स्वश्रृंखला में कोई परिवर्तन ना हो।]</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>में अनुदेश किया गया संहोधन</td>
<td>स्वश्रृंखला का नाम</td>
<td>पता</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सेवा का पता</td>
<td>असिस्टेंट/एटेंसी का व्यापार</td>
<td>(अनुदेश के में से किसी एक का प्रयोग किया गया जब उसके समन्वय रूप में अनुदेश किया गया परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>व्यापार चिह्न में संहोधन</td>
<td>रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति को अनुसारके</td>
<td>रजिस्ट्रेशन से नाम या सेवाओं को हटाना</td>
<td>(अनुदेश किया गया परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख है।)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मान्यता और सेवाओं के निर्देश का बदलाव</td>
<td>(अनुदेश किया गया परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख है।)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रेशन का निरस्त्रीकरण</td>
<td>(अनुदेश किया गया परिवर्तन का निरस्त्रीकरण का स्पष्ट उल्लेख है।)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संहोधन का कारण</td>
<td>एक रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न और अन्य व्यापार चिह्न के बीच एरोसिसल रण का विघटन</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रेशन व्यापार संदर्भ</td>
<td>व्यापारिक अधिकार की लागत देखे जिसका संबंध संदर्भ रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न से है अभिव्यक्ति के अनुसार किया गया।</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रेशन व्यापार चिह्न के बमन्वय का हस्तांतरण उसके मुद्दत के साथ</td>
<td>समन्वय संग्रह का संदर्भ, रजिस्ट्रेशन प्रयोग के साथ</td>
<td>समन्वय प्रयोग का हस्तांतरण का संदर्भ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

82
<table>
<thead>
<tr>
<th>पाठांश</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अधिकारण की तारीख से अधिधेत के भीतर दाखिल</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| अनुरोध | 6 महीने के भीतर *
| 12 महीने के भीतर | 12 महीने के खाली |
| (उपर्युक्तमु में से किसी एक नह चलने अवश्य किया जाय) |

| प्रारम्भिक समन्दरादि क्षमागती | प्रारम्भिक समन्दरादि के पता |

| (क) यदि एक से अधिक समन्दरादि हों तो समन्दरादियों के विवरण उनके समन्दरादि क्षमागती में किया जाय |
| (ख) प्रारम्भिक समन्दरादि के साथ केवल निर्देशक किया जाय |

| पाठा 40 (2) के अधीन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव यह | प्रस्ताव पर हेतु अनुरोध |
| (पाठा 40 (2) के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाय और समन्दरादि के पत्र के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय) |

| पाठा 41 के अधीन रजिस्ट्रेशन का अनुमोदन | अनुमोदन हेतु अनुरोध |
| (पाठा 42 के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाय और समन्दरादि या इतालवार की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय) |

| पाठर चिह्न की गाथा के किसा समन्दरादि के विमान हेतु रजिस्ट्रेशन के निर्देश के लिये पाठा 42 के अधीन आवेदन | निर्देश हेतु अनुरोध |
| (पाठा 42 के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाय और समन्दरादि या इतालवार की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय) |

| पाठर चिह्न की मुख्यियत के किसा समन्दरादि के विमान हेतु रजिस्ट्रेशन के निर्देश के लिये पाठा 42 के अधीन समय के विस्तार हेतु आवेदन | समय विस्तार हेतु आवेदन |
| (पाठा 42 के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाय) |
| अधिकारण के तारीख से अधिधेत के भीतर दाखिल | एक महीने से अधिक नहीं |
| दो महीने से अधिक नहीं |
| तीन महीने से अधिक नहीं |

| पाठा 46 (4) के अनुसार समय के विस्तार हेतु आवेदन | समय विस्तार हेतु आवेदन |
| (पाठा 46 (4) के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाय) |
| अधिधेत के मीठद दाखिल आवेदन | दो महीने से अधिक नहीं |
| तीन महीने से अधिक नहीं |
| चार महीने से अधिक नहीं |

<p>| आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का व्यक्ति | हस्ताक्षर |
| साम | प्रथिकार |
| संस्था दस्तावेज की यूजी |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न पंजीयन, वि. - यू</th>
<th>निरस्त्रीकरण/बदलाव की कार्यवाही में हस्तक्षेप के उद्देश्य की सूचना और रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता/ आर्ये के बदलाव/ आर्ये के निरस्त्रीकरण रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(संगठन प्रश्न ग्रहण की वैधता के तत्त्व के रूप में एक संगठन रजिस्तान के अंतर्गत)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>आवेदन की प्रकृति</td>
</tr>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>आवेदन निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का प्रयोग करें -</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सामाजिक ज्ञान प्रचार 2. अधिनियम प्रचार 3. राजस्व नियोजन प्रचार 4. अभियान प्रचार</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)</td>
<td>सामाजिक प्रचार का प्रयोग करें जिसमें से किसी एक का प्रयोग करें जिसका उपयोग आवश्यक किया जाएगा</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रश्न पंजीयन</td>
<td>उपयुक्त प्रश्न पंजीयन के लिए प्रश्न अनुसार देने</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>आवेदक</td>
</tr>
<tr>
<td>नाम: *</td>
<td>स्वायत्त नाम</td>
</tr>
<tr>
<td>पता: *</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(राज्य):</td>
<td>(देश):</td>
</tr>
<tr>
<td>(भारत में व्यवसाय का आवेदक का मुख्य पता ही पते के रूप में दर्शाया जाएगा)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सेवायें पता:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(राज्य):</td>
<td>(देश):</td>
</tr>
<tr>
<td>(क)</td>
<td>अपना विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदन का पता दिया जाना जाएगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थल के रूप में आवेदक का सेवायें पता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख)</td>
<td>यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवायें पता अवश्य दिया जाएगा</td>
</tr>
<tr>
<td>मोबाइल नं. :</td>
<td>ई-मेल का पता: *</td>
</tr>
<tr>
<td>आवेदन की प्रकृति</td>
<td>आवेदन की प्रकृति</td>
</tr>
<tr>
<td>/आवेदन के निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का प्रयोग करें-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. प्रमुख व्यवसाय - एकल स्वायत्त व्यवसाय, 2. प्रमुख व्यवसाय - भारतीय कम्पनी, 3. प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी वाहित निगम निकाय, 4. सीविटिस एवं/या भारतीय, 5. सोसाइटी, 6. न्याशनल, 7. सरकारी विभाग, 8. कायदी संगठन, 9. कोई अन्य</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>आवेदक के अभिकारी (यदि कोई हो)</td>
</tr>
<tr>
<td>नाम:</td>
<td>पता</td>
</tr>
<tr>
<td>मोबाइल नं. :</td>
<td>(ई-मेल का पता:</td>
</tr>
<tr>
<td>अभिकारी की प्रकृति</td>
<td>आवेदन के निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक का प्रयोग करें-</td>
</tr>
<tr>
<td>1. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय प्रचार अभिकारी, 2. अभियान कार्यालय, 3. अधिकारी प्रति एकाद रजिस्ट्रीकरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकरण नं.</td>
<td>अभिकारी की उद्देश्य देने की विधि में अभिकारी का पता आवेदक के सेवायें पते के रूप में उल्लिखित होगा</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>के सामाजिक अथवा/आवेदन</td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय प्रचार संघ/रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता संघना</td>
<td>नर्म</td>
</tr>
<tr>
<td>उपयोगकर्ता संघना</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रीकरण हेतु</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रश्न पंजीयन रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का विषय</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अधिधि</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>माल/लेख</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>शर्त</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 5 | माल/लेख/थर्सेल/सुबह से संबंधित रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता के निर्देशन हेतु  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता में</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>माल/लेख में</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>थर्सेल/सुबह में</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 6 | रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता और उनकी पृष्ठभूमि का मिलानीकरण  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>स्वतंत्रता द्वारा (विवरण)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता द्वारा (विवरण)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मिलानीकरण का आधार</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>इसकी सूचनायामी हरतालोप के आधार की सुनिश्चित</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>मिलानीकरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>वस्तुवाणी</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 7 | रजिस्ट्रीकृत स्वतंत्रता वा अभिकल्पना का स्वरूप  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>हस्ताक्षर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रसिद्धीकरण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता या अभिकल्पना का स्वरूप</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>हस्ताक्षर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>नाम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>प्रसिद्धीकरण</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रस्तुत व्या. पि. - जी  

व्यापार चिह्न अधिनियम  

व्यापार चिह्न अभिकल्पना रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/प्रत्यावर्तन/परिवर्तन  

(संस्थ भुगता प्रत्यक्ष शरीर के समस्त रोजगारां में अवस्था भी जाना)  

| 1 | व्यापार चिह्न अभिकल्पना के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन  
|---|---|
| प्रदेश फीस | (उपरुपका फीस के लिए प्रस्तुत अनुप्रस्तृत हेतु)  
| आवेदक का नाम |  
| उपभोक्ता से बुकाए हुए पूर्व नाम |  
| आवास का पता |  
| (रज्य) | (देश)  
| व्यवसाय का मूल स्थान |  
| (रज्य) | (देश)  
| रजिस्ट्रीकृत |  
| जन्म स्थान और लाइन |  
| व्यवसाय का पूर्ण विवरण |  
| व्यापार चिह्न अभिकल्पना के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन का विवरण |  
| क्या किसी साथी व्यापार चिह्न अभिकल्पना के |  

85
2. व्यापार घिन्न अभिकल्पन के रजिस्ट्रर से जिन व्यक्ति के नाम के निर्देशपत्र/प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

व्यापार घिन्न अभिकल्पन का संबंध

नाम :
पता :
मोबाइल न. :
ई-मेल का पता :

3. व्यापार घिन्न अभिकल्पन के रजिस्ट्रर से परिवर्तन हेतु आवेदन

व्यापार घिन्न अभिकल्पन का संबंध

नाम :
पता :
मोबाइल न. :
ई-मेल का पता :

सिस्टम प्रकार से विवरणों को परिवर्तित किया जाय 

नाम :
सिस्टम संस्था का पता :
व्यापार घिन्न के मुख्य स्थान का पता 
सौदी अफ्रीका 
मोबाइल न. :
ई-मेल का पता :

4. हस्ताक्षर

नाम :
प्रतिपक्ष 

5. संहिता दस्तावेज की सूची

तृतीय अनुसूची रजिस्ट्रर के उपयोग के लिए प्रस्तुत प्रति की सूची

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रति नं.</th>
<th>प्रति</th>
<th>वर्णन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0-1</td>
<td>231(1)</td>
<td>रजिस्ट्रीपत्र के पूरे होने की सूचना</td>
</tr>
<tr>
<td>0-2</td>
<td>231(2)</td>
<td>व्यापार घिन्न के रजिस्टर का प्रस्तुत पत्र</td>
</tr>
<tr>
<td>0-3</td>
<td>25(3)</td>
<td>अतिम रजिस्टरकर के पुलियन की सूचना</td>
</tr>
<tr>
<td>0-4</td>
<td>152</td>
<td>व्यापार घिन्न अभिकल्पन के रूप में जिन व्यक्ति के रजिस्टरकर का प्रस्तुत पत्र</td>
</tr>
</tbody>
</table>
प्रस्तृत 0-1
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना धारा 23(3) नियम 53

संस्था,

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 23(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि उस व्यापार
चिह्न का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी, बाबत_________________________20______________________
को उपरोक्तरासार संबंधायित आवेदन किया गया था, आवेदक की चुकू के कारण पूरा नहीं हुआ है। यदि इस
सूचना की तारीख से इकबाल दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं कर दिया जाता, तो आवेदन को परिवर्तन
मान लिया जाएगा।
इस आवेदन से संबंधित सभी संस्थाओं एवं भारत में निवेशित पते पर भेजी जा सकेगी: -
तारीख_________________________20______________________

रजिस्ट्रीर, व्यापार चिह्न

सेवा में,

-----------------------------------------------

प्रस्तृत 0-2
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री
व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 57(1))

व्यापार चिह्न सं.________________
तारीख__________________________

प्रमाणित किया जाता है कि व्यापार चिह्न जिसकी समाकृति इसके साथ संलग्न
हें_________________________ की बाबत_________________________ तारीख_________________________ के सं.
के
अधीन ______________________ वर्ग में ______________________ के नाम में रजिस्ट्रीर में रजिस्ट्रीकृत
किया गया है।

तारीख_________________________20______________________ को मेरे निदेशानुसार मुद्दानित किया गया।

रजिस्ट्रीर, व्यापार चिह्न

रजिस्ट्रीकरण, ऊपर उल्लिखित पते के तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और
उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी नवीकरण किया जा सकेगा [व्यापार चिह्न
अधिनियम, 1999 की धारा 25 और व्यापार चिह्न नियम, 2015 के नियम 58 से 61 देखिए]

यह प्रमाणपत्र विभिन्न कार्यालयों में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभियोजन के उपयोग के लिए नहीं है।

टिप्पणी- इस व्यापार चिह्न के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, या भारत में कार्यालय के प्रधान स्थान के पता या
सेवा के लिए पत्र में परिवर्तन होने पर तुरंत परिवर्तन को रजिस्ट्रेटर करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

रजिस्ट्रेटः

प्ररूप 0-3
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेटःकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 59(1))

रजिस्ट्रेटःकृत व्यापार चिह्न सं. -----------------------

वर्ष --------------------------

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि पूर्वकता व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रेटःकरण ---------------------- को समाप्त होगा और यह कि तारीख -------------------------- को यह उससे पहले -------------------------- रूपए की विद्यमान पैसे सहित संकल्पन यथा, चिं. -12 पर आवेदन के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर 10 वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रेटःकरण का नवीकरण किया जा सकेगा।

तारीख--------------------------20----------

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

प्ररूप 0-4
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अधिनियम के रूप में रजिस्ट्रेटःकरण का प्रमाणपत्र (नियम 152)

सं. --------------------------

प्राप्त किया जाता है कि -------------------------- के

---------------------------------------- को

---------------------------------------- 20-------- को, व्यापार चिह्न नियम, 2015 के नियम 145 के

अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अधिनियम के रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेटःकरण किया गया था।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

छठी अनुसूची
रजिस्ट्रार के सामने नियम 122 की कार्यवाहियाँ के समस्त जेब खर्चों का मापमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतिलिपि</th>
<th>यह मामला जिसके लिए खर्च अधिनियमवाद किया जाता है</th>
<th>शंकर (रूपए में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>एक दिन की ऐसी समस्या के लिए जिसके अन्तर्गत तालिकाओं से</td>
<td>1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
भाग VI

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा: - (1) (क) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा अंग्रेजी होगी:

परन्तु कार्यवाही के पश्चात्, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समाप्ति में हिन्दी में प्रकृति दस्तावेजों को फाइल कर सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसी वांछा की हो:

परन्तु जॉहान- (क) रजिस्ट्री अधिकारक की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमा देता है और ऐसी कार्यवाहियों में सुनवाई की वास स्वविक्रेतानुसार अधिवक्ताओं और फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए निर्देश दे सकेंगा।

(कं) राजबाबा (संघ के शासकीय प्रकाशियों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 2 के खंड (च) में यथार्थता प्राप्त "क" क्षेत्र में स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यवाही के बारे में रजिस्ट्री स्वविक्रेतानुसार अंग्रेजी आदेश हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकेंगा।

(2) पैर (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अंतिम आदेश हिन्दी में किया जाता है वहां उसका अधिकारिक अंग्रेजी अनुवाद सामान्य भाषा के साथ समान तैयार किया जाएगा और अभिलेख में रखा जाएगा।

सं. 8/16/2015-आईपीआर-IV

(राजीव अध्याय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार